

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड




TATA POWER-DDL

एमवाईटी नियंत्रण अवधि (विव 2008 से विव 2012)
के लिए कैपेक्स तथा आरओसीई के लिए टू-अप

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए टू-अप


विव 2013-14 के लिए एआरआर

खंड I



टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड
वितरण तथा खुदरा आपूर्ति लाइसेंस के लिए एआरआर सूचकांक तथा
टैरिफ फाइलिंग फॉर्मेट

विवरण	पृष्ठ सं.
विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी एवं शपथ पत्र	1-7
प्रार्थना	8-19
माननीय सुप्रीम कोर्ट/एटीई के समक्ष विचाराधीन मामले	20-22
निर्देशों का अनुपालन	23-32
परिचालन समीक्षा	33-37
विव 06 से विव 07 के दौरान पूंजीकरण का टू-अप	38-42
विव 08 से विव 12 की प्रथम नियंत्रण अवधि का टू-अप	43-95
विव 12-13 और विव 13-14 की संशोधित एआरआर	96-139
शुल्क तार्किकीकरण	140-146
विव 11-12 के लिए टू-अप फॉर्म	147-185
अंकेक्षित खातों के अनुसार वास्तविक परिचालन एवं रखरखाव व्यय तथा पूंजीकरण फॉर्म	186-190
विव 12-13 और विव 13-14 के फॉर्म	191-227





सत्यमेव जयते



INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

e-Stamp


Certificate No.	: IN-DL24044073460047K
Certificate Issued Date	: 19-Sep-2012 03:21 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ dl-shcil/ HIGH COURT/ DL-DLH
Unique Doc. Reference	: SUBIN-DLDL-SHCIL48234176878495K
Purchased by	: T P D D L
Description of Document	: Article 48(c) Power of attorney - GPA
Property Description	: NA
Consideration Price (Rs.)	: 0
	(Zero)
First Party	: T P D D L
Second Party	: NA
Stamp Duty Paid By	: T P D D L
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100

(One Hundred only)



2051/012

SL. No. _____
NOTARY REGISTER
Please write or type below this line




POWER OF ATTORNEY

By this power of attorney Tata Power Delhi Distribution Limited a body corporate incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered Office at NDPL House , Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi-110009 (hereinafter referred to as the 'Company') acting through Shri Praveer Sinha S/o Late Sh. A K P Sinha Resident of N - 66 , First Floor , Panchsheel Park , New Delhi 110 017 (hereinafter referred as the 'Executant'), being the Chief Executive Officer & Executive Director [CEO & ED] of the company and holder of

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp Certificate can be verified at Authorized Collection Centers (ACCs), SHCIL Offices and Sub-registrar Offices (SROs).
2. The Contact Details of ACCs, SHCIL Offices and SROs are available on the Web site www.shcilstamp.com



Power of Attorney given by the Company and adopted by its Board of Directors on 04.05.2012 hereby appoints Sh. Anurag Bansal son of Sh. P C Bansal , aged about 36 years, resident of C- 160 Ashok Vihar Phase-1 Delhi -110052 and working with the Company as the Senior Manager – Corporate Legal vide Employee No. 91079 as the company's Attorney (hereinafter referred to as the 'Attorney' and to exercise following powers and authorities and to do and perform all or any of the acts , deeds , matters and things herein under specified on behalf of company that is to say :



1. To institute, verify and submit before any court of law or judicial / Quasi judicial forum; any pleadings, documents or information including but not limited to petitions, complaints, criminal complaints, plaints, applications, eviction proceedings, representations, memoranda, appeals, statements of claim, counter claims, set off, execution petitions, replies, written statements, rejoinders, replications, evidence, affidavits, cross objections, counters, review, revision, application for withdrawal of cases, statements of defence, notices, references for arbitration, petitions for setting aside arbitral award and/or to commence, defend and prosecute any legal proceedings or use any other lawful means in order to safeguard the interest or enforce the rights of the Company;
2. To act, appear, plead, argue, file cases, before any Courts, State Electricity Regulatory Commission , Appellate Tribunal for Electricity , Central Electricity Regulatory Commission , Metropolitan Magistrates, Appellate Authority(ies), Forums, Tribunals, Commissions, Quasi-judicial bodies, authorities, boards, bureaus and/or any conciliatory, pre-litigative dispute resolution bodies, mediation cells, lok adalats, public hearing forums or other alternate dispute resolution channels dealing with matters pertaining to the Company ;
3. To compromise, settle, withdraw, make plea-bargaining applications or compound any cases on behalf of and in the interest of the Company;

4. To file and receive documents; to obtain copies of the documents and court orders, awards or the like;

5. To act, appear, plead , argue and lead evidence, settlements or seek enforcement thereof on behalf of the Company before any Arbitral Tribunal, mediator, settlement body or conciliator dealing with cases under Arbitration and Conciliation Act, 1996 and to examine and cross-examine witnesses therein and challenge awards;

6. To act, appear, plead and argue on behalf of the Company or its officers and employees before all Civil Courts dealing with matters pertaining to the Company or its officers or employee and to examine and cross-examine witnesses therein;

2057/012
NOTARY REGISTER




7. To do all other lawful acts and deeds which may be necessary to be done in relation to the above and the Company doth undertake to ratify all such acts, deeds and things as may be lawfully and reasonably performed by the said Attorney in terms of the authorization herein contained;
8. To sign 'Vakalatnama' and appoint advocates or to represent the Company before the Courts as mentioned above;
9. To sign the appeal written statement or replies to the petitions / applications / complaints cross examine witnesses etc.
10. To do all other lawful acts and deeds which may be necessary to be done in the course of the proceedings before the Courts, and other authorities & Forums, tribunals as aforesaid and Company do hereby agrees that all the acts and deeds lawfully done and performed by the above said Attorney in that regard shall be constituted as the acts and deeds done by the Company itself. The Company again doth undertake to ratify and confirm whatsoever that the said Attorney shall lawfully do or cause to be done for the Company solely by virtue of the powers hereby vested.


2051/02
SL. NO. 11
IN NOTARY

This Power of Attorney shall be effective from 31.03.2012 and all acts, deeds and things lawfully executed or done by the Attorney since 31.03.2012 till execution of this deed of Power of Attorney, are hereby saved and ratified by the Company.

12. This Power of Attorney shall supersede any previous attorney and/or authorization executed by the Company [Formerly, North Delhi Power Limited] in favour of the Attorney to do and perform any of the acts which are authorized under this Attorney. Anything done or any action taken or purported to have been done or taken under any such previous power of attorney and/or authorization, shall, in so far as it is not inconsistent with this Power of Attorney, be deemed to have been done under the provisions of this Power of Attorney.





The Company ratifies any past lawful act of the Attorney in his lawful capacity as the Employee of the Company and anything done or any such action taken or purported to have been done or taken, shall, in so far as it is not inconsistent with this Power of Attorney, shall be deemed to have been done under the provisions of this Power of Attorney.



14. This Power of Attorney shall remain in force until revoked or till the time said Attorney is in employment of the Company, however, any such revocation shall not affect, any act, thing or deed lawfully done by said Attorney till then in *bonafide* exercise of authority conferred herein.

IN WITNESS WHEREOF THE EXECUTANT HEREBY SCRIBES HIS HAND TO THE ABOVE PRESENTS AT DELHI ON THIS 8 DAY OF Nov, 2012

Executed by	Accepted by	Signatures of the Attorney are identified and attested by the Executant
		
Mr. Praveer Sinha	Mr. Anurag Bansal	
Chief Executive Officer and Executive Director	Senior Manager - Corporate Legal	
Executant	Attorney	

205/10/2
NOTARY REGISTERED


In presence of :

Witness :

Signatures

Name

Address



SARIKA MEHTA
164, Main App, 1st Flt, N-D-92

Witness :

Signatures

Name

Address



NOTARY AUTHENTICATION U/S 85 OF THE INDIAN EVIDENCE ACT


I Sauraj Singh S/o Shri Jag Mohan at Plot Hazari aged about 58 years am a licensed Notary Public of the Government of India vide licence no. 1556 under the Notaries Act, 1952, and at present operating in Delhi.

I was this 8th day of Nov, 2012 present at the Registered Office of the Company at NDPL House, Hudson Line, Kingsway Camp, Delhi-110 009 along with the Executant namely Shri Praveer Sinha who is working there as the Executive Director & Chief Executive Officer, the Attorney namely Mr. Anurag Bansal and Mr. Ajay Kalsie, Company Secretary of the Company. The Executant has produced before me his original Voter's Identity Card/Passport/Driving License, which bears his photograph, name, father's name, date of birth and present residential address. The Executant has also produced before me the certified copy of Power of Attorney dated 04.05.2012 issued by Board of Directors of the company affirming that the Executant is at the time of execution of this Power of Attorney, duly authorized by the Board of Directors of the company to execute the same being its constituted attorney and CEO &

The present Power of Attorney, executed by the Executant herein, authorizing Attorney to do all the acts and deeds as recited therein was signed by the Executant and the stamp of the Company was affixed on the instrument in my presence so described and in the presence of Ajay Kalsie the Company Secretary of the Company and that the signatures purporting to be that of the Executant as subscribed at the foot of the foregoing Power of Attorney is in the proper handwriting

of the said Executant. I, therefore, certify and authenticate that this Power of Attorney is in due form of law, in witness whereof, I have hereunto set my hand and affixed my Seal

on this 8th day of Nov, 2012



Notary Public
Delhi

ATTESTED
Sauraj Singh
NOTARY PUBLIC
DELHI

Company Secretary Ajay Kalsie
Tata Power Delhi Distribution Limited

8 NOV 2012







सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of National Capital Territory of Delhi

e-Stamp

Certificate No. : IN-DL53077802107051K
 Certificate Issued Date : 07-Dec-2012 12:37 PM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ dl-shcil/ HIGH COURT/ DL-DLH
 Unique Doc. Reference : SUBIN-DL DL-SHCIL06064450163728K
 Purchased by : T P D D L
 Description of Document : Article Others
 Property Description : NA
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : T P D D L
 Second Party : NA
 Stamp Duty Paid By : T P D D L
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
 (Ten only)



Please write or type below this line

BEFORE THE HON'BLE DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

AT NEW DELHI

FILE NO.:

CASE NO.:

IN THE MATTER OF :

Filing of petition for approval of Annual Revenue Requirement (ARR) for FY 2013-14 , revised ARR for FY 2012-13 ; True Up for FY 2011-12 and RoCE for control period 2008-2012

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Stamp Certificate can be verified at Authorised Collection Centers (ACCs), SHCIL Offices and Sub-registrar Offices (SROs).
2. The Contact Details of ACCs, SHCIL Offices and SROs are available on the Web site "www.shcilestamp.com"

AND

IN THE MATTER OF :

Relevant provisions of the Electricity Act 2003 read with Delhi Electricity Reforms Act 2000 and DERC (Terms and Conditions for determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) Regulations 2007 as extended by Hon'ble Commission read with DERC Comprehensive Conduct of Business Regulations 2001

AND

IN THE MATTER OF :

Tata Power Delhi Distribution Limited [Formerly , known as North Delhi Power Limited] having its Registered Office at NDPL House, Hudson Lines, Kingsway Camp, Delhi 110 009

AFFIDAVIT ON BEHALF OF TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED


1. I Anurag Bansal son of Sh. P.C Bansal am working as Senior Manager (Corporate Legal) with Tata Power Delhi Distribution Limited , the petitioner in the above matter and am duly authorized by the said petitioner to make this affidavit on its behalf .
2. I say that a Petition [in English language] was filed by the Petitioner with the Hon'ble Commission on 10.12.2012 in terms of the Electricity Act 2003 read with the Hon'ble Commission's Terms and Conditions for determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff Regulations 2011 and MYT Regulations 2007 as extended to seek approval of the Hon'ble Commission for Petitioner's/ Applicant's :
 - a. ARR for FY 2013-14
 - b. Revised ARR for FY 2012-13
 - c. True Up for FY 2011-12
 - d. RoCE for control period FY 2008- FY2012
3. I say that the present Petition/Application [in Hindi language] is being filed by the Petitioner in compliance with Hon'ble Commission letter F.3 /Tariff/DERC/2012-13/4/3700/4942 dated 18.12.2012 whereby the Hon'ble Commission sought the filing of the said petition in Hindi version .
4. I say that the statements made and data presented in the enclosed petition /application are to the best of my knowledge per records of the petitioner / applicant and information , estimations received and believed to be true . Further that no material information has been concealed in this aforesaid petition / application .


DEPONENT


VERIFICATION

I the Deponent above named do hereby verify that the contents of my above affidavit are true to my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom .

Verified at New Delhi on this 22 JAN 2013 day of JAN 2013.



ATTESTED


NOTARY PUBLIC
DELHI INDIA

22 JAN 2013



DEPONENT

प्रार्थी चाहता है: (i) डीईआरसी (व्हीलिंग शुल्क एवं रिटेल सप्लाय शुल्क के निर्धारण की शर्तों) नियमन 2007 के अनुरूप पहली नियंत्रण अवधि 2007-12 के लिए विव 2011-12 में वास्तविक समायोजन (ii) विव 2012-13 के लिए संशोधित एआरआर की मंजूरी (iii) डीईआरसी (व्हीलिंग शुल्क एवं रिटेल सप्लाय शुल्क के निर्धारण की शर्तों) नियमन 2011 (इसके बाद जिसे एमवाईटी नियमन लिखा जाएगा), जो पठित है बिजली कानून, 2003 के साथ और दिल्ली विद्युत सुधार कानून 2000 एवं डीईआरसी (व्यवसाय का व्यापक संचालन नियमन), 2011 के साथ, की शर्तों के अनुरूप वित्त वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण।

प्रार्थी आदरपूर्वक निवेदन करना चाहता है कि :

1. नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड (एनडीपीएल) की स्थापना कंपनी एक्ट 1956 के तहत हुई और इसका मुख्यालय एनडीपीएल हाउस, हडसन लाइंस, किंग्सवे कैंप, दिल्ली-110009 में है। कंपनी का नाम बदल कर भारत सरकार के कंपनी मामलों के मंत्रालय के कंपनी पंजीयक के कानूनों के तहत 29.11.2012 को "टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)" हो गया।
2. टीपीडीडीएल ने 1 जुलाई, 2002 से डीवीबी की वितरण संपदा ग्रहण कर ली और उसके बाद से वह दिल्ली विद्युत सुधार (हस्तांतरण योजना नियम), 2001 के भाग-3 की अनुसूची एच में निर्धारित किए गए इलाके में बिजली वितरण एवं रिटेल आपूर्ति का काम कर रही है।
3. प्रार्थी ने माननीय आयोग द्वारा तय तौर तरीकों और सिद्धांतों के अनुरूप पहली एमवाईटी नियंत्रण अवधि 2007-2011 (जिसे एक साल बढ़ाकर मार्च 2012 तक कर दिया गया) में सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। पहली नियंत्रण अवधि में माननीय आयोग के तीन शुल्क आदेशों विव 2007-08, विव 2009-10 और विव 2011-12 को याचिकाकर्ता ने माननीय एटीई में चुनौती दी। इन अपीलों पर आए विभिन्न निर्णयों को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और उनमें से कुछ निर्णायक स्थिति में पहुंच गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित कुछ मुद्दों की जानकारी इस याचिका के बाद के अध्यायों में दी गई है।
4. माननीय आयोग ने अपने दिनांक 24.02.2011, पत्रांक F.3 (312)/tariff/DERC/2011-12/4481, के मार्फत प्रार्थी को सूचित किया कि एमवाईटी नियमन 2007 के शुल्क निर्धारण के सिद्धांतों को एक साल यानी विव 2011-12 के लिए बढ़ा दिया गया है। माननीय आयोग के निर्देश का पालन करते हुए प्रार्थी ने विव 2009-10 के वास्तविक समायोजन, विव 2010-11 की समीक्षा और 2011-12 की एआरआर के लिए 21.03.2011 को याचिका दर्ज की जिसका निस्तारण माननीय आयोग ने अपने दिनांक 26.08.2011 के शुल्क आदेश के तहत विव 11-12 के लिए कर दिया।

माननीय आयोग ने जनसुनवाई और विभिन्न संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद नए एमवाईटी नियम दिनांक 2.12.2011 को लागू किए जो अगली नियंत्रण अवधि 2012-15 के लिए 01.04.2012 से प्रभावी होने थे। प्रार्थी ने एमवाईटी नियमन 2007 के अनुरूप विव 2010-11 के



वास्तविक समायोजन और नई एमवाईटी अवधि विव 2012-13 से विव 2014-15 के लिए एआरआर तथा नए एमवाईटी नियमन 2011 के तहत विव 2012-13 के शुल्क निर्धारण के लिए 07.02.2012 को याचिका दायर की। इस याचिका संख्या 05/2012 को माननीय आयोग ने विव 2012-13 के लिए 13.07.2012 के शुल्क आदेश के तहत निस्तारित कर दिया।

प्रार्थी ने एमवाईटी नियमन 2011 के प्रारूप को अंतिम रूप दिए जाते समय एक संबद्ध पक्ष के तौर पर सार्वजनिक सुनवाई में सक्रिय हिस्सेदारी की और अपनी बातें रखीं। लेकिन जब एमवाईटी 2011 को अंतिम रूप से घोषित किया गया तो प्रार्थी की अनेक आशंकाओं और मुद्दों का समाधान नहीं किया गया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने एमवाईटी नियमन 2011 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका सी संख्या 2203/2012 के तहत चुनौती दी। इस रिट याचिका में एमवाईटी नियमन 2011 के इन नियमों को चुनौती दी गई है:


- (ए) नियमन 4.7, 4.21: लागत का गलत वर्गीकरण : संचालन एवं रखरखाव व्यय
- (बी) नियमन 5.5 : ओ एंड व्यय का मनमाना एवं अतार्किक हिसाब
- (सी) नियमन 5.10 : माननीय आयोग द्वारा जनित राजस्व फर्क की भरपाई के लिए याचिकाकर्ता द्वारा निवेश किए गए अतिरिक्त फंड या कार्यशील पूंजी पर इक्विटी रिटर्न का प्रावधान नहीं किया जाना।
- (डी) नियमन 4.21 (बी) कार्यशील पूंजी का वास्तविक समायोजन और ब्याज दरें

यह माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है।

प्रार्थी ने माननीय आयोग के विव 2010-11 के लिए 13 जुलाई 2012 के वास्तविक समायोजन आदेश के कुछ निष्कर्षों से असहमति जताते हुए माननीय एटीई के समक्ष अपील संख्या 171/2012 के तहत अपील की।

5. अब विव 2012-13 से विव 2014-15 के लिए नए एमवाईटी नियमन और पिछले एमवाईटी नियमन के अनुरूप प्रार्थी मौजूदा याचिका दर्ज कर रहा है जिसके तहत वह चाहता है: (i) पूरे वर्ष के लिए विव 2011-12 का वास्तविक समायोजन जिसमें पहली एमवाईटी की पांच साल की नियंत्रण अवधि 2007-08 से विव 2011-12 तक के नियंत्रण मानकों का समायोजन हो। (ii) विव 2012-13 के लिए एआरआर की स्वीकृति (iii) विव 2013-14 के लिए व्हीलिंग एवं रिटेल आपूर्ति का शुल्क निर्धारण

मौजूदा याचिका प्रार्थी द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में नए एमवाईटी नियमन के कुछ मुद्दों को चुनौती देते हुए दायर याचिका संख्या 2203/2012 के परिणामों पर निर्भर है।




माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, माननीय एटीई और माननीय उच्चतम न्यायालय में टीपीडीडीएल की रिट याचिका/अपीलों का फैसला होने तक प्रार्थी यह याचिका माननीय आयोग से निम्न मामलों में राहत पाने के लिए दायर कर रहा है:

- (i) अपील संख्या 153/2009 पर 30.07.2010 के निर्णय के आधार पर विव 2011-12 तक याचिकाकर्ता के राजस्व फर्क का स्वीकार कर उसकी वसूली की अनुमति दी जाए।
- (ii) विव 2010-11 तक के राजस्व अंतर की वसूली और विव 2011-12 के लिए बिना वसूली वाले राजस्व अंतर की वहन लागत के साथ वसूली की अनुमति दी जाए।
- (iii) - प्रार्थी की विव 12-13 में राजस्व अंतर की वसूली की मध्यकालिक मंजूरी।
- (iv) विव 2013-14 के लिए एआरआर की मंजूरी और विव 13-14 तक होने वाले राजस्व अंतर के हिसाब से शुल्क का समायोजन।
- (v) अतीत के राजस्व घाटे को पाटने के लिए 8 प्रतिशत की दर से वसूली अधिभार या माननीय आयोग द्वारा ऐसे प्रतिशत की मंजूरी जिससे वसूली पूरी हो जाए।
- (vi) प्रार्थी को तिमाही आधार पर बिजली खरीद कीमत समायोजन के लिए अधिभार लगाने की स्वीकृति

यह निवेदन किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/एटीई/आयोग में किसी/सभी लंबित मामलों का विव 2011-12 के वास्तविक समायोजन एवं विव 2013-14 के लिए एआरआर की मंजूरी होने से पहले निर्णय आता है तो माननीय आयोग उसके प्रभावों को संज्ञान में लेते हुए उसके अनुसार संशोधित और घाटे की मंजूरी (घटी या बढ़ी हुई) दी जाए। यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय/एटीई और आयोग के आदेश इसके बाद जारी हों तो निवेदन है कि उसके प्रभावों को भी संज्ञान में लिया जाए।

यह दृष्टिकोण अपनाना उपभोक्ताओं के हित में होगा क्योंकि यदि उच्चतर न्यायालय के निर्णयों को लागू करने में देरी हुई तो संचालन लागत में आई कमी को प्रभाव देने में भी विलंब होगा। माननीय एटीई अपील संख्या पर 14/2012 पर सरकारी वकील की नियुक्ति कर दी है ताकि न्यायाधिकरण के निर्णयों को लागू करने में सहायता मिल सके। यहां तक कि उक्त सरकारी




वकील ने माननीय न्यायाधिकरण के निर्णय को माननीय आयोग पर बाध्यकारी बताते हुए एक निवेदन भी दाखिल कर दिया है।

6. इस याचिका में दायर दस्तावेज इस प्रकार हैं:

- (i) याचिका को पुष्ट करते हुए शपथपत्र और इसे दायर करने की पावर ऑफ अटॉर्नी
- (ii) अंकक्षित खातों के आधार पर विव 11-12 और विव 12-13 के लिए संशोधित राजस्व घाटा और माननीय आयोग द्वारा याचिका संख्या 64/2011 पर दिए गए 24.04.2012 के आदेश का समीक्षा आदेश
- (iii) विव 13-14 के नियंत्रित एवं अनियंत्रित कारकों के बारे में विस्तृत एआरआर प्रपत्र और व्याख्या नोट्स
- (iv) सचिव, दिल्ली विद्युत नियमन आयोग के पक्ष में आईसीआईसीआई में देय 1,00,000 रु का डिमांड ड्राफ्ट संख्या 231382, दिनांक 05.12.12।

यह भी विनम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि यह याचिका जिन संदर्भों और कारणों को ध्यान में रखते हुए दर्ज की गई है वे इस प्रकार हैं:

- (i) माननीय आयोग ने विव 2012-13 के लिए 13 जुलाई 2012 के शुल्क आदेश के पैरा 5.2 में विव 2010-11 के लिए 2066.17 करोड़ रु के राजस्व फर्क की बात स्वीकार की और पैरा 5.15 में राजस्व घाटा सरचार्ज का हटाते हुए 391 करोड़ रु का सरप्लस अनुमानित किया।
- (ii) माननीय आयोग के संज्ञान में लाया जाता है कि विव 2011-12 में आयोग ने 397.39 करोड़ रु के घाटे का अनुमान लगाया था जबकि वास्तविक घाटा 1782 करोड़ रु हुआ और बहुत हद तक इसका कारण बिजली खरीद लागत में पिछले शुल्क आदेश के अनुसार 4.06 रु प्रति यूनिट से बढ़कर 5.29 रु प्रति यूनिट होना रहा और बहुत हद तक ईंधन लागत भी बढ़ गई तथा उत्पादन एवं पारेषण कंपनियों को करीब 400 करोड़ रु की रिकवरी की अनुमति दी गई। लिहाजा अनुमानित राजस्व घाटे और वास्तविक घाटे में भारी अंतर आ गया जिसकी भरपाई तत्काल जरूरी है ताकि उपभोक्ताओं को संवहन लागत के बोझ से बचाया जा सके। प्रार्थी ने सीईआरसी में याचिका दायर कर उत्पादन कंपनियों के लिए निर्देश हासिल करने की कोशिश की ताकि अंकक्षित ईंधन लागत का



ब्यौरा मिल सके लेकिन माननीय सीईआरसी ने अपने शुल्क नियमन में इस भिन्नता को लाभार्थियों के पास जाने की अनुमति दे दी।

टीपीडीडीएल ने राजस्व घाटे की भरपाई के लिए विभिन्न स्रोतों से 2400 करोड़ रु की उधारी ली। ये कर्ज बिजली खरीद लागत की अदायगी के लिए गए जो सामान्य मामले में उपभोक्ताओं से बिजली के बिल की वसूली से पूरे होने चाहिए थे। कुल 2400 करोड़ रु के कर्ज से राजस्व घाटे की भरपाई की गई और विव 2011-12 के दौरान 550 करोड़ रु के अल्पकालिक कर्ज को दीर्घकालिक में बदला गया जबकि अन्य 600 करोड़ रु का कर्ज विव 2013-14 में चुकता करना है। मौजूदा शुल्क दर से इसकी अदायगी संभव नहीं है। यहां यह गौर तलब है कि अल्पकालिक कर्ज को दीर्घकालिक में बदलने से ब्याज का बोझ बढ़ता है और अपर्याप्त शुल्क के कारण याचिकाकर्ता अल्पकालिक कर्ज की अदायगी नहीं कर पा रहा है।

लागत परिलक्षित न करने वाली शुल्क दरों के कारण पूरा बिजली क्षेत्र वित्तीय संकट में है और भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह से किसी भी ब्याज दर पर उधार उठाना भारी हो गया है। कर्जदाताओं ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वे कर्ज को नए सिरे से चढ़ाने या आगे वित्त उपलब्ध कराने के लिए इस बात का प्रमाण चाहते हैं कि उन्हें सुनिश्चित रिकवरी दिखाई जाए ताकि उनके कर्ज की अदायगी निर्धारित समय में हो सके। प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी किसिल की हाल की एक विज्ञप्ति में कर्जदाताओं को सावधान किया गया है और उनसे कर्ज को राज्य की कंपनियों तक सीमित रखने की सलाह दी है और शुल्क संशोधन समेत सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही है। यह विज्ञप्ति इस प्रकार है:

बिजली क्षेत्र के कर्जदाताओं के हितों के लिए ठोस सुधारों की जरूरत : किसिल
सुधारों के अभाव में मार्च 2013 तक 560 अरब रु जोखिम में

बिजली क्षेत्र पर बढ़ते दबाव को देखते हुए इसके कर्जदाताओं की सेहत जांच के दायरे में है। इन



कर्जदाताओं में भारतीय बैंक, विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) और रूरल इलैक्ट्रिकल कर्पोरेशन शामिल हैं जिन्होंने अभी तक बेहतर प्रदर्शन किया है लेकिन अगर उन्हें अपनी सेहत ठीक रखनी है तो जल्दी ही मजबूत नीतिगत कदमों की जरूरत है। यदि अगले 18 महीने में कोई सार्थक प्रगति नहीं होती तो ये कर्जदाता (जिनकी मार्च 2011 तक 4.8 ट्रिलियन रु की राशि में से 12 प्रतिशत बिजली क्षेत्र पर लगा है) करीब 560 अरब रु के जोखिम में हैं।

दो प्रमुख कारणों से इन कर्जदाताओं के लिए इनकी संपदा की गुणवत्ता कमजोर होने का खतरा बढ़ गया है। ये हानियों का बढ़ना और बिजली वितरण क्षेत्र में कर्ज का स्तर ऊंचा होना। इसके अलावा बिजली उत्पादन के लिए ईंधन की किल्लत भी एक बड़ा कारण है। किसिल का अनुमान है कि वितरण श्रेणी में हानियां 2010-11 में 350 से 400 बिलियन रु तक बढ़ गईं जो विव 2008-09 के मुकाबले करीब दोगुनी है। यदि उनकी विशाल प्राप्ति योग्य जरूरतों को हटा दिया जाए तो ये हानियां और अधिक हो जाएंगी। इन हानियों की फंडिंग के मुद्दे को देखें तो राज्य बिजली कंपनियों और अन्य वितरण इकाइयों का कर्ज मार्च 2011 तक करीब 3.0 ट्रिलियन रु तक पहुंच गया। इसके अलावा ईंधन के उपलब्ध नहीं होने के खतरे और कीमत से भारत में 56000 मेगावाट में से एक तिहारी की उपलब्धता बाधित हो सकती है।

किसिल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक सुश्री रूपा कुडवा का कहना है—“सुधार के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला है वितरण हानियों को कम करते हुए सिस्टम में कुशलता लाना जो अब भी 25 प्रतिशत अधिक हैं। किसिल का मानना है कि वितरण में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। दूसरे शुल्क बढ़ोत्तरी के लिए व्यापक राजनीतिक आम सहमति की आवश्यकता है।”

किसिल का अनुमान है कि राज्यों के लिए शुल्क में औसतन करीब 50 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की जरूरत है ताकि उन्हें सब्सिडी की आवश्यकता न रहे। इस वृद्धि के लिए बड़ी राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है। इतना ही महत्वपूर्ण है कर्जदाताओं का विश्वास बढ़ाना और उन्हें बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति की समय पर जानकारी देना। इसके अलावा वितरण कंपनियों को राज्य सरकारों से समय पर सब्सिडी मिलने की जरूरत है।

सुधार की दिशा में पहल हो चुकी है जिसमें उच्च स्तरीय शुंगलू कमेटी का गठन और राज्य विद्युत मंत्रियों का 12 सूत्री संकल्प शामिल है। इसके अलावा कर्जदाताओं ने राज्य की घाटे में चल रही कंपनियों के लिए उधारी की उपलब्धता सीमित कर दी है। नतीजतन शुल्क संशोधन के लिए बहुप्रतीक्षित गति मिल चुकी है। किसिल रेटिंग्स के निदेशक श्री पवन अग्रवाल ने कहा—“अगले 18 महीने में इस क्षेत्र के सुधारों के प्रभावों और उनकी व्यापकता पर निगाह रखनी होगी। इसके बावजूद प्रमुख कर्जदाताओं (पीएफसी और आरईसी) की महत्ता को देखते हुए उन्हें भारत सरकार से समर्थन की जरूरत है।”

माननीय आयोग के संज्ञान में यह बात लाना जरूरी है कि प्रार्थी को मौजूदा ऋणों की अदायगी के और राजस्व घाटे की भरपाई के लिए फंड जुटाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो दूसरी ओर ब्याज दरें बढ़ती जा रही हैं जिसका प्रमुख कारण आर्थिक स्थिति, उधार लेने वालों की वित्तीय सेहत, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय आदि के निर्देश हैं। ब्याज दरें बढ़ने के ये कारण प्रार्थी के वश के बाहर हैं और माननीय आयोग भी यह बात मानता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एमवाईटी नियमन 2011 के अनुसार माननीय आयोग प्लस माइनस 1 प्रतिशत की दर पर बेस रेट के परिवर्तन पर विचार करेगा लेकिन उद्योग का चलन है कि बेस रेट और स्प्रेड पर विचार किया जाता है। ये दोनों ही प्रार्थी के हाथ में नहीं हैं। स्प्रेड कर्जदाता की अंदरूनी रेटिंग से तय होता है और यह कंपनी की वित्तीय स्थिति, उससे जुड़े जोखिमों और सेक्टर पर निर्भर है। नीचे टीपीडीडीएल के बारे में पिछले 2-3 साल की अवधि में ब्याज दरों की ट्रेंड की झलक दी जा रही है।

- ए) कार्यशील पूंजी पर भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर सितंबर 2010 के 10.75 प्रतिशत से ढाई प्रतिशत बढ़कर अक्टूबर 2011 में 13.25 प्रतिशत पर पहुंच गई।
- बी) कार्यशील पूंजी पर स्टेट बैंक ऑफ़ त्रावणकोर की ब्याज दर सितंबर 2010 के 11 प्रतिशत से ढाई प्रतिशत बढ़कर अक्टूबर 2011 में 13.50 प्रतिशत पर पहुंच गई।
- सी) आईडीएफसी से 09-10 से पहले 9.20 प्रतिशत ब्याज दर पर कैपेक्स कर्ज लिया था जिसकी ब्याजदर 2.40 प्रतिशत बढ़कर जून 2011 में 11.60 प्रतिशत हो गई।
- डी) धनलक्ष्मी बैंक से 09-10 से पहले 9.25 प्रतिशत ब्याज दर पर कैपेक्स कर्ज लिया था जिसकी ब्याजदर 4.50 प्रतिशत बढ़कर नवंबर 2011 में 13.75 प्रतिशत हो गई।
- ई) राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए विव 2009-10 में 9 से 11 प्रतिशत की रेंज में ऋण उपलब्ध थे और विव 2011-12 वही ऋण 11 से 12.25 प्रतिशत की रेंज में हैं। हाल ही में



आईडीएफसी/साउथ इंडियन बैंक ने नवंबर-मार्च 12 में राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए 12 प्रतिशत की दर पर कर्ज दिया है।

इतने विशाल कर्ज के लिए प्रतिभूति देना भी कठिन हो गया है। प्रार्थी के पास कर्जदाताओं के लिए ऋण/इक्विटी और एफएसीआर के अनुपात में प्रतिभूति नहीं है। अगर कोई और प्रतिभूति इनसे दी गई तो प्रार्थी उनके साथ हुए समझौतों का उल्लंघन करेगा जिसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं।

माननीय आयोग ने हाल के शुल्क आदेश के पैरा 5.2 में खुद माना है कि अधिकतम तीन साल के भीतर 2066 करोड़ रु राजस्व घाटा पूरा किया जाना है। इसका मतलब यह है कि राजस्व घाटे की भरपाई के लिए सालाना 700 करोड़ रु और संवहन लागत की वसूली करनी होगी। यदि विव 2011-12 के घाटे की पूर्ति भी तीन साल के दौरान करनी पड़ी तो सालाना वसूली और संवहन लागत बढ़कर 1300 करोड़ प्रति वर्ष बैठती है।

टीपीडीडीएल की सहायता के लिए कर्जदाताओं की उपरोक्त शर्तों को देखते हुए प्रार्थी के लिए वित्तीय संकट गहरा गया है और ऐसा लागत न दर्शाने वाली शुल्क दर की वजह से हुआ है। ऐसे में आयोग से अनुरोध है कि पिछले राजस्व घाटे को पाटने के लिए समुचित शुल्क वृद्धि की अनुमति दी जाए।

माननीय आयोग ने अपने 13 जुलाई 2012 के आदेश में तिमाही बिजली खरीदारी समायोजन फार्मूला दिया है लेकिन इसमें दीर्घकालिक अनुबंध ही शामिल हैं, जबकि अल्पकालिक द्विपक्षीय/विनिमय/यूआई की खरीद बिक्री शामिल नहीं है जो अनियंत्रित है। इनका समायोजन भी इस फार्मूल के तहत किए जाने की जरूरत है। इस समय शेष बिजली खरीद लागत का समायोजन सिर्फ दो साल बाद ही हो पाएगा। सरप्लस/एसटी/यूआई/द्विपक्षीय बिक्री और जैनकॉस को रिकवरी अनुमति तो सीईआरसी/डीईआरसी ने दी है लेकिन इसे विव 2011-12 बिजली खरीद लागत में लिया नहीं गया है। इसका समायोजन विव 14-15 में ही हो पाएगा। यह उपभोक्ताओं के हित में नहीं होगा क्योंकि उन्हें अतीत की अदायगी करनी होगी जो राष्ट्रीय शुल्क नीति की भावना के विरुद्ध है और उन्हें संवहन लागत भी भरनी पड़ेगी।



गौर तलब है कि माननीय आयोग ने शुल्क आदेश के निर्धारण में यह साफ कहा है कि वितरक लाइसेंसी को बिजली लागत की वसूली की अनुमति होगी ऐसे में समूची लागत को पीपीएसी में शामिल करना उचित होगा। यह नियमन नीचे दिया जा रहा है:

दिल्ली विद्युत आयोग (व्हीलिंग एवं रिटेल आपूर्ति शुल्क की शर्तें) नियमन 5.24 में कहा गया है कि—

“वितरक लाइसेंसी को आयोग द्वारा स्वीकृत स्रोतों से बिजली खरीद की कुल लागत वसूलने की अनुमति होगी जिसमें राज्यों के भीतर, राज्यों के बीच व्यापार लाइसेंसी, द्विपक्षीय खरीदारियों, बल्क सप्लाय, राज्य जनरेटर, स्वाधीन बिजली खरीद, केंद्रीय उत्पादन केंद्र, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, वितरक लाइसेंसी के उत्पादन कारोबार और अन्य शामिल हैं और प्रत्येक स्रोत के लिए बिलों का भुगतान रिटेल आपूर्ति कारोबार के पर बिल पेश करने पर लैटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से होगा।”

दूसरे यह निवेदन किया जाता है कि माननीय आयोग अपने तिमाही समायोजन फार्मूले को स्वतः ही लागू मान सकता है और उसकी पुष्टि बाद में की जा सकती है। इससे हर तिमाही में पीपीएसी का समायोजन हो जाएगा जो इस समय करीब 15 से 20 दिन देरी से होता है क्योंकि माननीय आयोग द्वारा पुष्टि और मंजूरी की जरूरत पड़ती है। यदि बाद में यदि कोई अंतर पाया जाता है तो उसे अगली तिमाही में समायोजित किया जा सकता है।

यह उचित होगा कि बिजली खरीद कीमत समायोजन (पीपीएसी) तंत्र के सभी अवयवों पर विचार किया जाए और उपभोक्ताओं को दी जा ही बिजली की असली कीमत के बारे में सही संकेत दिए जाएं। उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के समायोजन से टीपीडीडीएल के नकदी के प्रवाह को सही करने में भी मदद मिलेगी और दीर्घकालिक कर्ज का बोझ कम होगा। इससे भविष्य में शुल्क वृद्धि की जरूरत भी समाप्त हो जाएगी।

ऐसे में टीपीडीडीएल का आयोग से आग्रह है कि :

- ए) एक व्यवस्था की जाए जिसमें समूची बिजली खरीदारी लागत की तिमाही मंजूरी हो और इसमें प्लस या माइनस दोनों के फर्क का समायोजन किया जाए।




- बी) ऐसी अनुसूची तय की जाए जिसके तहत मान्य राजस्व घाटे की वार्षिक वसूली की व्यवस्था हो ताकि कर्जदाता अदायगी की तस्वीर देखकर राजस्व घाटे की पूर्ति करने के लिए तैयार हो जाएं।

माननीय आयोग ने माननीय एटीई के 11.11.2011 के ओपी संख्या एक के निर्णय को स्वीकार किया है जो "शुल्क संशोधन (बिजली मंत्रालय से प्राप्त पत्र पर स्वतः लिया गया संज्ञान) पर आया था। इस निर्णय में बिजली वितरण क्षेत्र के संचालन और महत्वपूर्ण पहलुओं पर संजीदगी से विचार किया गया है।

माननीय न्यायाधिकरण ने कई बाध्यकारी निर्देश जारी किए और बिजली कानून 2003 की याद दिलाई जिसमें कई अनिवार्य अधिकार माननीय न्यायाधिकरण को दिए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि एसईआरसी के वैधानिक कार्यकलापों का पालन किया गया है।

उपरोक्त आदेश में माननीय एटीई ने जो निर्देश जारी किए, वे माननीय आयोग के संज्ञान के लिए इस प्रकार हैं :

- ए) नियमन के तहत प्रत्येक राज्य आयोग यह सुनिश्चित करे कि वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा, अतीत के खर्चों का समायोजन और वार्षिक राजस्व आवश्यकता एवं शुल्क निर्धारण प्रतिवर्ष समय पर हो।
- बी) प्रत्येक राज्य आयोग का यह प्रयास होना चाहिए कि शुल्क वर्ष के लिए एक अप्रैल से पहले वित्त वर्ष का शुल्क तय हो जाए। शुल्क को वित्त वर्ष के अंत तक ही लागू रखा जाए ताकि लाइसेंसी एआरआर/शुल्क के लिए आवेदन करने के बारे में सजग रहे।
- सी) यदि एआरआर और वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा जमा कराने में एक माह से अधिक देरी हो तो राज्य आयोग शुल्क नीति के खंड 8.1 (7) के साथ पठित धारा 64 के तहत खुद ही शुल्क निर्धारण की कार्यवाही शुरू कर दे।
- डी) एआरआर/शुल्क तय करते समय राजस्व घाटे को नियमन संपदा के तौर पर नहीं छोड़ा, जब तक कि यह न्यायसंगत हो। नियमन संपदा की वसूली समयबद्ध होनी चाहिए और इसे तीन साल से ऊपर और अच्छा है कि नियंत्रण अवधि में वसूलने की अनुमति हो। नियमन संपदा पर संवहन लागत की अनुमति एआरआर वर्ष में हो ताकि वितरक लाइसेंसी को नकद प्रवाह की समस्या का सामना न करना पड़े।
- ई) वास्तविक समायोजन समय पर और अच्छा है कि हर वर्ष हो। मिसाल के तौर पर विव 2009-10 का समायोजन एआरआर एवं शुल्क निर्धारण के साथ विव 2011-12 में हो जाए।



एफ) वितरक कंपनियों के लिए बिजली खरीदारी और ईंधन प्रमुख खर्च है और ये अनियंत्रित हैं। प्रत्येक राज्य आयोग को कानून की धारा 62(4) के तहत ईंधन और बिजली खरीदारी की लागत के लिए कोई तंत्र अवश्य बनाना चाहिए। ईंधन एवं बिजली खरीद लागत का समायोजन अच्छा हो कि माहवार आधार पर केंद्रीय आयोगों के नियमनों की तरह किया जाए लेकिन किसी भी स्थिति में यह समायोजन एक तिमाही को पार नहीं करना चाहिए। जिन राज्य आयोग के पास ऐसा फार्मूला/व्यवस्था नहीं है वे इस आदेश की तारीख के छह माह के भीतर इसे कायम कर लें।

पैरा 66: इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और सांविधि रिपोर्टें सचिव, फोरम ऑफ रेगुलेटर्स को प्रत्येक वित्त वर्ष में पहली जून तक भेजी जाएं, जो प्रगति रिपोर्ट माननीय एपीटीईएल को देंगे और अपनी वेबसाइट्स पर प्रकाशित करेंगे।

7. यह निवेदन किया जाता है कि ऐसी ही राय 13 वें वित्त आयोग और भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 में भी व्यक्त की गई है जिसके नीचे दिया जा रहा है।

".....घाटे के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

(iii) समय पर शुल्क नहीं बढ़ने से घाटा बढ़ रहा है जिससे कंपनियों के संचालन प्रभावित हो रहे हैं। कुछ राज्यों ने शुल्क पिछले आठ नौ साल से नहीं बढ़ाए हैं।

"(3) शुल्क संशोधन को अधिक आर्थिक स्तर पर ले जाना: सभी राज्यों में बिजली की शुल्क दरें आर्थिक स्तर पर ले जाने के मजबूत राजनीतिक-आर्थिक फैसलों के बिना पहले दो कदम पर्याप्त नहीं होंगे और सब्सिडी एवं क्रॉस सब्सिडी को घटाना होगा। भारत पूरी दुनिया में इस समय बिजली की सबसे कम शुल्क दरों वाला और सबसे गैर आर्थिक औसत वाला देश है। यहां रिटेल में प्रति केडब्ल्यूएच की कीमत 8 सेंट्स है जबकि कोयला और गैस की प्रचुरता वाले देशों (कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका) में यह 12 से 15 सेंट्स और यूरोपीय देशों में 19-20 सेंट्स है। मौजूदा शुल्क दरें टिकाऊ नहीं हैं और इनका सरोकार गरीबों से नहीं है। इसके बजाए लाइफलाइन मीटरिंग और विशिष्ट सब्सिडी के उपाय संभव हैं। उपभोक्ताओं को सब्सिडी के बजाए भरोसेमंद आपूर्ति चाहिए। भारत में भी इस बात के प्रमाण हैं कि अच्छे प्रदर्शन वाले राज्यों में कीमते आर्थिक स्तर के अनुरूप हैं। समुचित शुल्क दरों का सीधा नाता बेहतर प्रदर्शन से है। (आर्थिक सर्वे)

प्रार्थना


उपरोक्त के आलोक में टीपीडीडीएल का आदरपूर्वक माननीय आयोग से आदरपूर्वक निवेदन है कि :

- ए) याचिका को दाखिल किया जाए: टीपीडीडीएल का अनुरोध है कि विव 2011-12 के राजस्व घाटे की गणना, विव 2013-14 के एआरआर और उसकी शीघ्र वसूली एवं संवहन लागत लेने की अनुमति दी जाए। आयोग जब भी कोई स्पष्टीकरण, अतिरिक्त सूचना या विवरण मांगेगा तो उसे उपलब्ध कराया जाएगा।
- बी) विव 2010-11 तक के राजस्व घाटे की शीघ्र वसूली का निर्देश दिया जाए और विव 2011-12 के लिए संवहन लागत और वसूली की तारीख तय की जाए। वसूली में देरी होने से संचालन को सही ढंग से चलाने में प्रार्थी को कठिनाइयों का सामना करना होगा। और/या
- सी) विव 2013-14 के लिए इस याचिका के अनुरोध के अनुसार एआरआर मंजूरी की जाए तथा इस अवधि के लिए शुल्क समायोजन का निर्धारण किया जाए।
- डी) टीपीडीडीएल द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई निर्णय होने से पहले यदि माननीय एटीई/उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता है तो उसे समायोजन एवं वसूली के लिए संज्ञान में लिया जाए।
- ई) विव 2010-11 तक के राजस्व घाटे की वसूली के लिए वर्षवार निर्धारण किया जाए और विव 2011-12 का समायोजन एवं 2013-14 का वसूली अनुमान तय किया जाए।
- ई) प्रार्थी को राजस्व घाटा सरचार्ज 8 प्रतिशत की दर से उपभोक्ताओं से लेने की अनुमति दी जाए।
- एफ) प्रार्थी को पीपीपीए सरचार्ज लगाने और उपरोक्त याचिका के आधार पर तिमाही व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान की जाए।
- जी) कोई अन्य आदेश जो आयोग उचित समझता हो।

टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड

प्रार्थी

नई दिल्ली



माननीय उच्चतम न्यायालय और एटीई (माननीय विद्युत अपील न्यायाधिकरण) में लंबित मुद्दों का विहंगम विवरण

हाल के वर्षों में माननीय आयोग द्वारा जारी शुल्क आदेशों को प्रार्थी ने माननीय विद्युत अपील न्यायाधिकरण में चुनौती दी है। उक्त शुल्क आदेशों का ब्यौरा और उस अपील का विवरण माननीय आयोग की सुविधा के लिए यहां दिया जा रहा है।


विव जिससे शुल्क आदेश संबंधित है	आदेश की तारीख	अपील संख्या	निर्णय की तारीख
2007-08	23.02.2008	52/2008	31.05.2011
2010-11	28.05.2009	153/2009	30.07.2012
2011-12	26.08.2011	14/2012	एटीई में लंबित
2012-13	13.07.2012	171/2012	एटीई में लंबित

प्रार्थी उन तथ्यों को रेखांकित करना चाहता है कि जिन मुद्दों, मामलों और निर्णयों पर माननीय एटीई ने प्रार्थी से सहमत होते हुए खारिज कर दिया है।

निम्न तालिका में दिए गए मुद्दे प्रार्थी के पक्ष में निस्तारित किए गए हैं जिन पर माननीय एटीई ने अपील संख्या 153/2009 एवं अपील संख्या 52/2008 पर फैसला सुनाया और माननीय आयोग द्वारा माननीय एटीई के आदेश के खिलाफ दायर अपील सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई। प्रार्थी का अनुरोध है कि इन मुद्दों को पूरी एमवाईटी अवधि के लिए लागू किया जाए। माननीय आयोग ने अपील संख्या 19428/2012 में 30 जुलाई 2010 के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। यह मुद्दा मुख्य रूप से नॉर्मेटिव रिबेट देने और 70:30 की कर्ज/इक्विटी के हिसाब से संवहन लागत तय करने के बारे में था।

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 21 अगस्त 2012 के आदेश में इसे खारिज कर दिया और इसका आधार दिया कि यह समय से बाहर हो गई है। लिहाजा माननीय एटीई के समूचे आदेश को पूरी एमवाईटी अवधि के लिए लागू किया जाए।

इन मुद्दों की जानकारी माननीय आयोग की सुविधा के लिए नीचे की तालिका में दी गई है।




टीपीडीडीएल के पक्ष में निर्णित मामलों से संबंधित तालिका

मामले	शुल्क आदेश जिससे संबंधित है	कार्यवाही/ याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील	निर्णय की तारीख	यदि माननीय आयोग द्वारा चुनौती दी गई
ऋण : इक्विटी के राजस्व अंतर पर संवहन लागत में रियायत	28.05.2009	153/2009	30.07.2012	माननीय आयोग की अपील सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त
एआरआर में मात्र 1% छूट	28.05.2009	153/2009	30.07.2012	माननीय आयोग की अपील सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त
कार्यशील पूंजी पर मार्जिन का इक्विटी अंश।	23.02.2008	52/2008	31.05.2011	माननीय आयोग की अपील सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त

यह विनम्र निवेदन है कि माननीय एटीई के निर्णय परंपरा डालने वाले थे। और बाध्यकारी हैं। प्रार्थी समय समय पर इन फैसलों को लागू करने का अनुरोध करता रहा लेकिन माननीय आयोग ने इन्हें विचाराधीन बताते हुए लागू नहीं किया। लेकिन अब उच्चतम न्यायालय में आयोग की अपील खारिज होने के बाद इनका अंतिम समाधान हो चुका है और आयोग के सामने वैधानिक रास्ते खत्म हो चुके हैं। लिहाजा मौजूदा याचिका में प्रार्थी इन मामलों के प्रभाव हासिल करने का पूरा हक रखता है। उपरोक्त मामलों में समायोजन की मांग की जा रही है जिन पर अंतिम समाधान हो चुका है।

प्रार्थी उन मामलों पर अमल की प्रतीक्षा करता रहा है जिनके खिलाफ माननीय आयोग ने अपील दायर की थी। माननीय आयोग ने माननीय उच्चतम न्यायालय में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 125 के तहत अपील दायर की और जो माननीय एटीई के 31 मई 2011 के अपील संख्या 52/2008 से उत्पन्न हुआ था। माननीय आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दे अपील संख्या 26630/2011 की जानकारी इस प्रकार है:

1. कार्यशील पूंजी पर मार्जिन के लिए इक्विटी कंपोनेंट: माननीय आयोग को माननीय एटीई ने 31 मई 2011 में फैसला सुनाया था कि 100 प्रतिशत कर्ज के बजाए पूंजी पर 70:30 का अनुपात के हिसाब से पहली नियंत्रण अवधि के लिए वेटेड औसत लागत की नए सिरे से गणना की जाए।




माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अपील दाखिल तो कर ली लेकिन उस पर कोई स्थगनादेश नहीं दिया।

जहां तक माननीय आयोग द्वारा उन अपीलों का प्रश्न है जिन पर फैसला नहीं हुआ है, प्रार्थी उनके बारे में कोई दावा नहीं कर रहा है और अनुरोध है कि उनका फैसला होने पर उन मामलों को लागू कर दिया जाए। एक रिट संख्या याचिका 2203/2013 दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। प्रार्थी एमवाईटी नियमन की व्याख्या को लेकर भी कोई दावा नहीं कर रहा है जिसके बारे में एक रिट याचिका प्रार्थी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की हुई है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आने पर प्रार्थी अपने इस हक को आरक्षित कर रहा है कि वह इस बारे में फैसले के बाद दावा कर सकता है।

उपरोक्त निवेदन के आलोक में प्रार्थी माननीय एटीई द्वारा तय अनुपात के लिए विशिष्ट मुद्दे के समायोजन का अनुरोध नहीं कर रहा है। हमारा यह विनम्र निवेदन है कि जो मामले अपीलों, रिट याचिकाओं के माध्यम से विचाराधीन हैं उन पर मौजूदा याचिका में कोई अनुरोध नहीं किया जा रहा है। दृष्टिकोण यह है कि बाद में किसी प्रकार की कोई अस्वीकृति या विभेद माननीय आयोग के साथ न हो।

हालांकि यह विशेष रूप से स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थी इस तौर तरीके को किसी प्रकार की छूट या गलती न माना जाए कि इसका दावा याचिकाकर्ता ने किया ही नहीं है। प्रार्थी का निवेदन है कि मौजूदा याचिका एमवाईटी नियमन 2011 के तहत दायर की जा रही है और यह एमवाईटी और एआरआर पर सीधा असर रखने वाली मौजूदा रिट याचिका, मामलों पर आने वाले फैसलों पर निर्भर है। इसके अलावा यह व्हीलिंग, रिटेल सप्लाय पर किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य के निर्णय पर आश्रित है।



निर्देशों का अनुपालन

6.1 - वितरक लाइसेंसी को निर्देश दिया जाता है कि वह हर महीने ट्रांसफॉर्मर हानियों और जोन/जिलावार एटी एंड सी हानि का डाटा पोस्ट करे और इसमें ऊर्जा इनपुट, बिल की हुई ऊर्जा और उससे प्राप्त राजस्व को महीना समाप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर वेबसाइट पर बताएं।

अनुपालन

टीपीडीडीएल ने इस निर्देश का अनुपालन किया है और इसके अनुसार ट्रांसफॉर्मर हानियों और जोन/जिलावार एटी एंड सी हानि का डाटा और इसमें ऊर्जा इनपुट, बिल की हुई ऊर्जा और उससे प्राप्त राजस्व की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई है। सितंबर 2012 तक की उक्त सूचनाएं वेबसाइट पर उपलब्ध हैं

6.2 - वितरण लाइसेंसी एक साल के भीतर यानी अगस्त 2013 तक उन जोन/जिलों में एटी एंड सी हानियां कम से कम 10% कम करे जहां ये 30% से ज्यादा हैं। यह लक्ष्य वितरण लाइसेंसी को अवश्य पूरा करना है, जो कि इस आदेश में निहित एटी एवं सी घाटों के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों से अलग हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो लाइसेंसी पर जुर्माना लगेगा।

अनुपालन

टीपीडीडीएल ने विशेष अभियान शुरू किए हैं और 30 प्रतिशत से अधिक हानि वाले जोन/जिलों में व्यापक छापाकारी अभियान, बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष जागरूकता आदि अभियान चलाए गए हैं। लेकिन पुलिस के सहयोग के अभाव में इन इलाकों में बड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह गौर तलब है कि हानि घटाने के लिए बिजली चोरी रोकने की दिशा में सघन कदम उठाने होंगे। बिजली चोरी की अधिकता वाले इलाकों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में सीआईएसएफ की फिर से तैनाती, या दिल्ली सशस्त्र पुलिस और विशेष पुलिस स्टेशनों की स्थापना से एटी एंड सी हानियों का कम करने और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में काफी मदद मिलेगी।

परिचालन समीक्षा



हम यहां आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहते हैं कि इस समय बिजली चोरी रोकने के लिए छापामारी का काम टीपीडीडीएल की इन हाउस प्रवर्तन टीमों कर रही हैं और ग्रामीण इलाकों में बिजली चोरी करने वाले को पकड़ पाना कठिन हो गया है क्योंकि वहां उग्र भीड़ का सामना करना पड़ सकता है हम बताना चाहते हैं कि बिजली चोरी की अधिकता वाले ग्रामीण इलाकों में प्रवर्तन टीमों बहुत जोखिम लेकर और हिंसक भीड़ का सामना करने का खतरा उठाकर यह काम कर रही हैं।

हमने सीआईएसएफ या दिल्ली सशस्त्र पुलिस की तैनाती के लिए दिल्ली सरकार से हस्तक्षेप का आग्रह किया है ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टीपीडीडीएल की बिजली चोरी रोकने वाली टीमों को सीआईएसएफ/पुलिस संरक्षण मिल सके और हमने विशेष बिजली चोरी विरोधी टीम गठित करने का भी आग्रह किया है।

6.3 - आयोग द्वारा टू-अप के लिए आदेश जारी होने से पहले के सभी डाटा को (केवीएच के आधार पर बिलिंग किए गए उपभोक्ताओं के केडब्ल्यूएच और केवीएच समेत) कायम रखा जाएगा और उसे मिटाया नहीं जाएगा।

अनुपालन:

टूअप के लिए आवश्यक सभी डाटा को (केवीएच के आधार पर बिलिंग किए गए उपभोक्ताओं के केडब्ल्यूएच और केवीएच समेत) याचिकाकर्ता ने अपने एसएपी-आईएसयू सिस्टम में कायम रखा जाएगा।

6.4 - वितरक लाइसेंसी को आयोग का निर्देश है कि फॉर्म 2.1 (ए) को किसी वैधानिक अंकेक्षणों से तिमाही आधार पर जांच कराई जाए। तिमाही प्रमाण पत्र आयोग के समक्ष तिमाही की समाप्ति से तीस दिन के भी आयोग के समक्ष दर्ज किया जाए।

अनुपालन

फॉर्म 2.1 (ए) का वैधानिक अंकेक्षण चल रहा है लेकिन डाटा बहुत है और इसमें बहुत समय लग रहा है। इसके पूरा होने पर अंकेक्षित प्रमाण वैधानिकों का फॉर्म 2.1 (ए) माननीय आयोग के पास जमा करा दिया जाएगा।

6.5 - आयोग वितरण लाइसेंसी को निर्देश दे रहा है कि पावर स्टेशन के आधार पर बिजली खरीद और लागत तथा विभिन्न अंकेक्षित खातों के साथ विवरण उपलब्ध कराए।

अनुपालन

पावर स्टेशन के आधार पर बिजली खरीद का परिमाण और लागत का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है जिसे आयोग के पास अलग से जमा करा दिया जाएगा।

6.6 - वितरक लाइसेंसी केंद्र एवं राज्य के उत्पादन स्टेशनों और पारेषण कंपनियों के समय से बिलों/बकाया के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा। यदि भुगतान में देरी के कारण वितरक लाइसेंसी कोई सरचार्ज देगा तो उसे आयोग एआरआर में स्वीकृत नहीं करेगा।

अनुपालन

टीपीडीडीएल ने उत्पादन केंद्रों और पारेषण कंपनियों का समय से भुगतान किया है।

6.7 - आयोग यह निर्देश दे रहा है कि वितरक लाइसेंसी सेफ्टी ऑडिट करेगा और नियमानुसार रोकथाम के उपाय करेगा।

अनुपालन

सुरक्षा अनुपालन नेटवर्क/भवनों/प्रतिष्ठानों/कार्यस्थलों आदि के सेफ्टी ऑडिट के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा है। ओएचएसएस 18001 के दिशा निर्देशों, आंतरिक प्रक्रिया, डीईआरसी के निर्देशों तथा सेफ्टी प्रबंधन प्रकोष्ठ परिषद उनके विश्लेषण के आधार पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा समुचित सुरक्षा जांच और अन्य संबद्ध मानक अपनाए जा रहे हैं। नेटवर्क की सुरक्षा के लिए सेफ्टी थीम्स भी जारी किए जा रहे हैं। माहवार आधार पर 24 जोन, 20 ग्रिड, 12 एमएमजी और 5 स्ट्रीट लाइट स्थलों की सुरक्षा जांच जिला एरिया सेफ्टी ऑफिसरों और एसओ ऑडिट टीम से करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त एहतियाती उपाय भी समय पर किए जा रहे हैं।

6.8 - एटी एंड सी हानियों के बारे में आयोग याचिकाकर्ता को निम्न निर्देश दे रहा है।

(ए) आयोग के पास महीने के तीसरे सप्ताह के भीतर बिलिंग डाटाबेस के साथ माहवार फॉर्म 2.1 (ए) जमा कराया जाए।

अनुपालन

टीपीडीडीएल ने माननीय आयोग के पास सितंबर 12 तक फॉर्म 2.1(ए) जमा करा दिया है। माननीय आयोग इस बात को समझेगा कि पूरा बिलिंग डाटा उपलब्ध कराना संभव नहीं है। अलबत्ता फॉर्म 2.1ए में किसी भी तथ्य की पुष्टि की जा सकती है। यह गौर तलब है कि माननीय आयोग 'सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट' से इस फॉर्म की पुष्टि करा रहा है।

(बी) महीना पूरा होने पर तीन सप्ताह के भीतर श्रेणीवार माहवार राजस्व एकत्र किए जाने का ब्यौरा दिया जाए।

अनुपालन

टीपीडीडीएल ने अक्टूबर 2012 तक श्रेणीवार राजस्व कलेक्शन का माहवार ब्यौरा जमा करा दिया है। साथ ही चैनलवार कलेक्शन रिपोर्ट भी आयोग को दी गई है।

(सी) फॉर्म 2.1 (ए) को तिमाही और वार्षिक बैलेंसशीट में शामिल किए जाने के संदर्भ में आयोग ने तिमाही सूचना के बारे में अंकेक्षकों के प्रमाण को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा यह सूचना नियमन खाते के साथ वार्षिक भी दी जा सकती है।

अनुपालन

फॉर्म 2.1(ए) के तिमाही वैधानिक ऑडिट का काम प्रगति पर है लेकिन डाटा अपार होने के कारण इसमें समय लग रहा है और काम पूरा होने पर वैधानिक अंकेक्षकों से प्रमाणित फॉर्म 2.1(ए) जमा करा दिया जाएगा।

(डी) श्रेणीवार/स्लैबवार उपभोक्ताओं की जानकारी मसलन उपभोक्ता संख्या, कनेक्टेड लोड, सेल्स, पावर फैक्टर, स्थिर शुल्क से राजस्व, तिमाही एवं वार्षिक बैलेंसशीट में मांगे गए शुल्क से राजस्व का ब्यौरा जमा कराया जाए।

अनुपालन

उपरोक्त विवरण के साथ टीपीडीडीएल ने फॉर्म 2.1ए सितंबर 2012 तक जमा करा दिया है।

(ई) स्रोतवार बिजली खरीद और बिक्री विवरण मसलन एमयू में परिमाण और तिमाही एवं वार्षिक बैलेंसशीट में करोड़ रु में ब्यौरा दिया जाए।

अनुपालन

पावर स्टेशन के आधार पर बिजली खरीदारी का परिमाण और उसकी लागत का ब्यौरा अलग से आयोग के पास जमा कराया जा रहा है।

(एफ) आयोग को श्रेणीवार महीने में जुड़ने वाले उपभोक्ताओं का ब्यौरा और महीना पूरा होने के बाद तीन सप्ताह के भीतर जानकारी दी जाए।

अनुपालन

टीपीडीडीएल ने सितंबर तक उपभोक्ताओं के जुड़ने के बारे में श्रेणीवार रिपोर्ट आयोग के पास जमा करा दी है।

(जी) महीने में काटे गए या जोड़े गए कनेक्शनों का ब्यौरा तीन सप्ताह के भीतर जमा कराया जाए।

अनुपालन


टीपीडीडीएल ने सितंबर 12 तक काटे गए/जोड़े गए कनेक्शनों की रिपोर्ट माननीय आयोग के पास जमा करा दी है।

(एच) उपभोक्ताओं की श्रेणी बदलने का ब्यौरा आयोग को माहवार तीन सप्ताह के भीतर जमा कराया जाए।

अनुपालन

टीपीडीडीएल सितंबर 12 तक उपभोक्ता श्रेणी में परिवर्तन की रिपोर्ट माननीय आयोग के पास जमा करा दी है।

परिचालन समीक्षा



6.9 - जब भी बिल ठीक करने के लिए जरनल एंट्री की जाएंगी, उनमें राशि और यूनिट रिवर्स करने का विवरण होगा। याचिकाकर्ता बिल ठीक करने/जेई प्रविष्टियों के बारे में माहवार ब्यौरा तीसरे सप्ताह दर्ज कराएगा।

अनुपालन

टीपीडीडीएल ने सितंबर 12 तक बिल करेक्शन/जेई प्रविष्टियों की रिपोर्ट माननीय आयोग के पास जमा करा दी है।

6.10 - 100% मीटरिंग स्ट्रीट लाइटिंग की होगी। बैलास्ट के कारण होने वाली बिजली खपत को मीटर खपत में दिखाया जाएगा।

अनुपालन

हमने 2009 में एमसीडी के सभी स्ट्रीटलाइन स्विचिंग प्वाइंट्स की मीटरिंग कर दी है जिनकी संख्या करीब 1600 है और इसमें 1,20,00 से अधिक स्ट्रीट लाइट्स शामिल है। हमने मॉडम लगाकर यह सुनिश्चित किया है कि ऑटोमेटिक सही मीटरिंग हो जाए और समय से बिलिंग सुनिश्चित हो। लेकिन एमसीडी की आनाकानी के कारण मीटर की खपत की बिलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। एमसीडी के अतिरिक्त बाकी एजेंसियों जैसे पीडब्ल्यू डी की स्ट्रीट लाइटों की बिलिंग ऐसे मीटरों से सफलतापूर्वक की जा रही है।

6.11 - यह देखने में आया है कि कुछ डिसकॉम अपने बिलिंग डाटाबेस में जीरो दर पर बिजली खपत दर्ज कर रहे हैं। आयोग का निर्देश है कि डिसकॉम जीरो दर पर कोई बिजली खपत दर्ज नहीं करेंगे।

अनुपालन

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिल समुचित शुल्क श्रेणी के आधार पर बनाए जाएं।

6.12 - मकानों पर मीटर की स्वयं खपत दर्ज की जाए। वास्तविक खपत के आधार पर बाद में बिल बनाए जाएंगे जिसके लिए माहवार मीटर की जांच की जाएगी। वित्त वर्ष की समाप्ति पर लाइसेंसी जीरो शुल्क क्रेडिट हासिल कर सकता है।

अनुपालन

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि टीपीडीडीएल के सभी प्रतिष्ठानों के मीटर बिल गैर घरेलू शुल्क दरों के आधार पर तैयार हों। इनकी रीडिंग माहवार ली जाएगी, पर खपत का बार में जीरो शुल्क क्रेडिट हासिल किया जाएगा जिसकी स्वीकृति तिमाही आधार पर आयोग ने दी है।

6.13 - अल्पकालिक बिक्री एवं खरीद के औचित्य के बारे में सभी प्रयास किए जाएंगे ताकि बिजली खरीद लागत को न्यूनतम रखा जा सके और इसके लिए आयोग अलग से विस्तृत निर्देश जारी करेगा।

अनुपालन

बिजली की अल्पकालिक बिक्री से बढ़िया कीमत हासिल करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। हमने अतिरिक्त बिजली की बिक्री के लिए दो बार टेंडर जारी किए लेकिन कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद हमने अन्य राज्यों जैसे महाराष्ट्र, उत्तराखंड, असम, पंजाब, आदि की टेंडर प्रक्रिया में एमवीबीएनएल,

टीपीटीसीएल, पीटीसी आदि व्यापारियों के मार्फत हिस्सा लिया। हम अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक की अतिरिक्त बिजली के बिक्री के लिए समझौते करने में सफल रहे हैं। बल्क बिक्री के अलावा बिजली की अल्पकालिक बिक्री कुछ दिनों के लिए की गई है। टीपीडीडीएल द्वारा बिजली की कमी/अतिरिक्त होने का विवरण अपनी वेबसाइट पर पाक्षिक आधार पर अपलोड किया जा रहा है। वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी

के आधार पर व्यापारियों और कंपनियों ने हमसे संपर्क किया और हमने अतिरिक्त बिजली की बिक्री बाजार दर पर की।

6.14 बिजली की खरीद और बिक्री के बारे में साल के अंत में यानी मार्च में किए गए प्रावधानों को एक महीने के भीतर यानी अप्रैल में समायोजित कर दिया जाएगा। यदि कोई बाकी प्रावधान होगा तो उसे आयोग अगले वर्ष के समायोजन के लिए संज्ञान में लेगा।

अनुपालन

यह निवेदन किया जाता है कि एकाउंटिंग की एकूअल अवधारणा के आधार पर एकाउंट तैयार किए जाते हैं और उनका समायोजन वास्तविक बिलों के साथ महावार किया जाता है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि कुल बिजली खरीद की अनुमति दी जाए जिसमें अंकेक्षित खातों को शामिल किया जाए अन्यथा इसका नतीजा एआरआर में अतिरिक्त या कम अनुमति के तौर पर हो सकता है।

परिचालन समीक्षा (विव 2011-12)

i) नेटवर्क बढ़ोतरी/रखरखाव

तालिका सं 1 : बढ़ोतरी/रखरखाव का ब्योरा

क्र सं	विवरण	विव 10-11	विव 11-12
1	बिजली ट्रांसफॉर्मरों की संख्या	149	153
2	ईएचवी क्षमता (MVA)	3,189	3,299
3	वितरण ट्रांसफॉर्मरों की संख्या	26,684	27,928
4	डीटी (MVA)	4,159	4,541

ii) तकनीकी सुधार

- 1,298 नई डीटी संस्थापित की गई हैं जिनके चलते हमारी वितरण व्यवस्था में अतिरिक्त 382 MVA क्षमता जुड़ गई है।
- विव 2011-12 में 1,401 मैगावाट की पीक मांग को पूरा किया गया जबकि विव 2010-11 में 1,313 मैगावाट की पीक मांग पूरी की गई थी।
- विव 2011-12 में संस्थापित क्षमता के संदर्भ में ट्रांसफॉर्मरों के खराब होने की दर 1.09 % से घटकर 0.81 % दर्ज की गई।

iii) माहवार विश्वसनीयता सूचकांक

विव 2010-11 की तुलना में विव 2011-12 का माहवार विश्वसनीयता सूचकांक (माननीय आयोग द्वारा स्वीकृत विधि के अनुसार) निम्न तालिका में दिया जा रहा है :

तालिका सं 2 : विव 2010-11 की तुलना में विव 2011-12 का माहवार विश्वसनीयता सूचकांक

माह	विव 10-11			विव 11-12		
	एसएआई एफआई	एसएआई डीआई	एमएआई एफआई	एसएआई एफआई	एसएआई डीआई	एमएआई एफआई
	संख्या	घंटे	संख्या	संख्या	घंटे	संख्या
अप्रैल	0.392	0.468	0.007	0.329	0.465	0.002
मई	0.548	0.765	0.009	0.569	0.766	0.012
जून	0.585	0.749	0.016	0.536	0.748	0.015
जुलाई	0.633	0.922	0.004	0.446	0.549	0.003

माह	विव 10-11			विव 11-12		
	एसएआई एफआई	एसएआई डीआई	एमएआई एफआई	एसएआई एफआई	एसएआई डीआई	एमएआई एफआई
	संख्या	घंटे	संख्या	संख्या	घंटे	संख्या
अगस्त	0.520	0.737	0.011	0.493	0.613	0.009
सितंबर	0.350	0.577	0.002	0.369	0.456	0.01
अक्टूबर	0.322	0.447	0.002	0.268	0.302	0.005
नवंबर	0.230	0.319	0.003	0.184	0.199	0.002
दिसंबर	0.202	0.291	0.004	0.263	0.336	0.002
जनवरी	0.191	0.278	0.003	0.491	0.991	0.004
फरवरी	0.286	0.475	0.003	0.189	0.201	0.002
मार्च	0.228	0.292	0.002	0.243	0.292	0
कुल	4.488	6.317	0.066	4.38	5.917	0.067

iv. प्रदर्शन मानक

तालिका सं 3 : प्रदर्शन मानक

क्र सं	सेवा क्षेत्र	निर्धारित समय सीमा/उपाय	प्रदर्शन का मानक	कुल मामले प्राप्त/रि पोर्टेड (A)	शिकायत जिन पर कार्रवाई की गई(B)		प्रदर्शन मानक जो प्राप्त किए गए (C)
					निर्धारित समय सीमा के भीतर	निर्धारित समय सीमा के बाहर	
1	सामान्य फ्यूज ऑफ कॉल्स	शहरी क्षेत्र में तीन घंटे के भीतर	प्राप्त कॉल्स में से कम से कम 99% को	67745	67736	9	99.99%
		ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे के भीतर	शहरों एवं नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधारा जाना चाहिए	13495	13486	3	99.93%

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	निर्धारित समय सीमा/उपाय	प्रदर्शन का मानक	कुल मामले प्राप्त/रि	शिकायत जिन पर कार्रवाई की गई(B)		प्रदर्शन मानक जो प्राप्त
2	लाइन में खराबी	जहां कहीं संभव हो, वहां वैकल्पिक स्रोत से चार घंटे के भीतर अस्थायी आपूर्ति बहाल करना	कम से कम 95% मामलों को शहरों एवं नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधारा जाना चाहिए	21433	21431	2	99.99%
		बारह घंटे के भीतर दोष दूर कर सामान्य आपूर्ति बहाल करना					
3	वितरण ट्रांसफॉर्मर में खराबी	जहां कहीं संभव हो, वहां वैकल्पिक स्रोत से चार घंटे के भीतर अस्थायी आपूर्ति बहाल करना	शहरों एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में कम-से-कम 95% डीटीआर को निर्धारित समयावधि के भीतर बदला जाए	115	102	13	88.7% *
		बारह घंटे के भीतर दोष दूर कर सामान्य आपूर्ति बहाल करना					
4	पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार आउटेज अवधि						
	लगातार एक बार में कटौती की अधिकतम अवधि	लगातार एक बार में कटौती की अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं होगी	कम से कम 95% मामलों पर अनुपालन निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाए	15556	15486	70	99.55%
	शाम 6 बजे तक आपूर्ति की बहाली	शाम 6 बजे तक आपूर्ति की बहाली		15554	15487	67	99.57%
5	स्ट्रीट लाइट दोष						
	लाइन फॉल्ट में सुधार	72 घंटे	कम से कम 90% मामलों पर अनुपालन निर्धारित समयावधि के भीतर किया जाए	48358	48065	293	99.39%
	फ्यूज्ड/ दोषपूर्ण यूनिट को बदलना	72 घंटे					
6	निरंतरता सूचकांक						
	एसएआईएफआई	लाइसेंसी द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने हैं	4.38				
	एसएआईडीआई		5.917				
एमएआईएफआई	0.066						
7	आवृत्ति भिन्नता	-	आईईजीसी के मुताबिक सप्लाय फ्रीक्वेंसी को बनाए रखना	0	0	0	0.00%
8	वोल्टेज असंतुलन	वोल्टेज असंतुलन की गणना की विधि माननीय आयोग द्वारा तय की जानी है	सप्लाय चालू होने के समय अधिकतम 3%	0	0	0	0.00%

क्र. सं.	सेवा क्षेत्र	निर्धारित समय सीमा/उपाय	प्रदर्शन का मानक	कुल मामले प्राप्त/रि	शिकायत जिन पर कार्रवाई की गई(B)		प्रदर्शन मानक जो प्राप्त
9	ई बिलिंग में गलतियों का प्रतिशत	% = बिल जिनमें सुधार की आवश्यकता है/जारी बिलों की कुल संख्या	0.20% से अधिक नहीं	39722	37362	1401	0.41%
10	खराब मीटरों का प्रतिशत	% = खराब मीटर/कुल मीटर जो सेवा में हैं	3% से अधिक नहीं	23516	23092	264	1.85%

* वितरण ट्रांसफॉर्मरों के मामले में, आपूर्ति बहाली के काम में इस वजह से देरी आयी कि उपकरण अधिक चोरी की आशंका वाले इलाकों में थे जिसके परिणामस्वरूप ओवरलोडिंग और अंततः परिसंपत्तियां बेकार भी हुईं

उपभोक्ताओं के लिए पहल

- विभिन्न चैनलों से भुगतान करने वाले सभी उपभोक्ताओं के भुगतान की पुष्टि हेतु एसएमएस सर्विस शुरू
- चेक डिस्ऑनर/बाउन्स होने की सूचना ग्राहकों को देने के लिए एसएमएस सर्विस शुरू की गई।
- उपभोक्ताओं की संतुष्टि और सुविधा में वृद्धि करने के लिए, भुगतान संग्रहण के अधिक चैनल खोले गए हैं, जैसे
 - एयरटेल मनी
 - सिटी बैंक आरटीजीएस/एनईएफटी
 - एटीओएम आईवीआरएस
- टीपीडीडीएल बिजली बिलों के भुगतान के लिए ईजी बिल की सुविधा दोबारा शुरू की गई। अब उपभोक्ता किसी भी ईजी बिल आउटलेट में जाकर अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं।
- चार अलग अलग स्थानों पर 5 नए एटीपीएम किओस्क लगाए गए हैं, ये हैं :
 - अलीपुर
 - गोपीनाथ बाजार
 - जिला कार्यालय रोहिणी सैक्टर 3 (दो किओस्क)
 - राजस्थान उद्योग नगर
- टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं के लिए मैसर्स बिल डेस्क के अलावा मैसर्स टैक प्रोसेस लिमिटेड के जरिए ईसीएस सर्विस भी शुरू की गई है।

विव 2006 और विव 2007 के पूंजीकरण का समायोजन (ट्रू-अप),

स्थिर परिसंपत्तियों को उसी वर्ष में मंजूरी देने का प्रभाव जिसमें इलैक्ट्रिकल इंस्पेक्टर (ईआई) प्रमाणपत्र प्राप्त हुए :

माननीय आयोग ने दिनांक 23.02.2008 के अपने एमवाईटी आदेश में विव 2005-06 और विव 2006-07 के पूंजीकरण को अस्थायी रूप से मंजूरी दी है जबकि विव 2002-03 से विव 2006-07 की नीति निर्देशन अवधि के लिए समायोजन की प्रक्रिया के दौरान इलैक्ट्रिकल इंस्पेक्टर (ईआई) प्रमाणपत्रों की अनुपलब्धता के चलते 242.96 करोड़ रु की पूंजीकृत परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन का लाभ देना फिलहाल टाल दिया है। माननीय आयोग का कहना है कि वह उसी वर्ष में पूंजीकरण को मंजूरी देगा जिसमें वास्तविक ईआई प्रमाणपत्र प्राप्त होंगे। उपरोक्त आदेश का प्रासंगिक अंश यहां दिया जा रहा है :

"3.33 आयोग ने तदनुसार उस कीमत पर विचार किया है जिसे परिसंपत्तियों के पूंजीकरण के लिए संबंधित वर्षों में मंजूरी दी जा सकती है। आयोग ने विव 2006 तक की परिसंपत्तियों के पूंजीकरण को स्वीकार करते हुए विव 2007 के लिए इसे अस्थायी आधार पर मंजूरी दी है। अलबत्ता, आयोग 31 मार्च, 2007 तक (अर्थात् एमवाईटी नियंत्रण अवधि के प्रारंभ होने से पहले) पूंजीकरण हेतु लंबित ऐसी योजनाओं के उस वित्त वर्ष में पूंजीकरण पर विचार करेगा जिनके संबंध में प्रासंगिक इलैक्ट्रिकल इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा एमवाईटी नियंत्रण अवधि के दौरान व्यावसायिक योजना के अनुरूप पूंजीकरण हेतु प्रस्तावित योजनाओं का समायोजन नियंत्रण अवधि की समाप्ति पर एमवाईटी विनियमन, 2007 के अनुसार किया जाएगा।"

माननीय एटीई ने वर्ष 2008 की अपील सं 36 के संबंध में अपने फैसले में कहा कि इलैक्ट्रिकल इंस्पेक्टर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के 16वें दिन से पूंजीकरण पर विचार किया जाना चाहिए।

"68.... आवेदन करने के दिन बशर्त फीस के भुगतान समेत याचिका दायर करने संबंधी अन्य सभी औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हों। आयोग को लिहाजा, इस पर्यवेक्षण के संदर्भ में इस मसले पर पुनर्विचार करना होगा। हमारा मानना है कि 15 दिन की अवधि इस प्रकार के प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए समुचित अवधि है। जहां तक एपीआर का सवाल है, हमारा मानना है कि आवेदन जमा कराने के 16वें दिन से इन परिसंपत्तियों के पूंजीकरण को मंजूरी दी जा सकती है, बशर्त फीस के भुगतान समेत अन्य

सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया हो। अतएव आयोग को, इस संदर्भ में इस मसले पर पुनर्विचार करना होगा।”

माननीय आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला विचाराधीन है, लिहाजा उसी वर्ष में पूंजीकरण विचारणीय है जिसमें ईआई प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर संशोधित गणना इस प्रकार है :

तालिका सं 4 - ईआई प्रमाणपत्रों की वर्षवार प्राप्ति

करोड़ रु

पूंजीकरण का वर्ष	कुल पूंजीकरण	ईआई प्रमाणपत्र आवश्यकत नहीं	ईआई प्रमाणपत्र प्राप्त	
			विव 06	विव 07
विव 05-06	322.68	123.67	17.85	25.83
विव 06-07	277.28	119.44	-	12.55
कुल	599.96	243.11	17.85	38.37

तालिका सं 5 - स्थिर परिसंपत्तियों का संशोधित ब्योरा

करोड़ रु

विवरण	विव 06	विव 07
आरंभिक शेष	1,686.22	1,827.74
वर्ष के दौरान जोड़	141.52	157.81
वर्ष के दौरान कमी	-	-
समाप्ति शेष	1,827.74	1,985.55

तालिका सं 6 - अवमूल्यन का संशोधित ब्योरा

करोड़ रु

विवरण	विव 06	विव 07
आरंभिक शेष	528.64	641.45
वर्ष के दौरान जोड़ @ 6.69% (एडीडी समेत)	112.81	122.28
वर्ष के दौरान कमी	-	-
समाप्ति शेष	641.45	763.72

तालिका सं 7 - अवमूल्यन का प्रयोग

करोड़ रु

विवरण	विव 06	विव 07
अवमूल्यन	112.81	122.28
ऋण अदायगी के लिए प्रयुक्त	16.51	77.98
कार्यशील पूंजी के लिए प्रयुक्त	-	-
पूंजी निवेश के लिए प्रयुक्त	96.30	44.29
इस्तेमाल नहीं किया गया अवमूल्यन	-	-
इस्तेमाल नहीं किया गया चक्रवृद्धिअवमूल्यन	-	-

तालिका सं 8 - पूंजी व्यय का संशोधित वित्त पोषण

करोड़ रु

विवरण	विव 06	विव 07
उपभोक्ता योगदान	35.99	34.85
अवमूल्यन	96.30	44.29
ऋण दाता	25.32	(25.32)
ऋण	191.38	152.03
इक्विटी	82.02	65.16
कुल	431.00	271.01

तालिका सं 9 -संशोधित इक्विटी

करोड़ रु

विवरण	विव 06	विव 07
आरंभिक शेष	462.57	544.58
वर्ष के दौरान जोड़	82.02	65.16
वर्ष के दौरान कमी	-	-
समाप्ति शेष	544.58	609.74
औसत इक्विटी	503.58	577.16
लाभ	80.57	92.35

तालिका सं 10 - ऋण की संशोधित गणना

करोड़ रु

विवरण	विव 06	विव 07
आरंभिक शेष	789.25	964.11
वर्ष के दौरान जोड़	191.38	152.03
वर्ष के दौरान अंदायगी	16.51	77.98
समाप्ति शेष	964.11	1,038.16

तालिका सं 11 - विव 07 तक अतिरिक्त राजस्व अंतर की गणना

करोड़ रु

विवरण	विव 2005-06			विव 2006-07		
	दिनांक 26.08.11 के आदेश में स्वीकृत	संशोधित	अंतर	दिनांक 26.08.11 के आदेश में स्वीकृत	संशोधित	अंतर
अवमूल्यन	112.81	112.81	-	123.31	122.28	(1.03)
आरओई	80.57	80.57	-	92.32	92.35	0.03
ब्याज	28.44	28.44	-	78.17	78.20	0.03
कुल	221.82	221.82	-	292.17	291.19	(0.98)

माननीय आयोग द्वारा दिनांक 26.08.2011 के शुल्क आदेश में संस्तुत कुल राजस्व अंतर में निम्न तालिका में दिए गए विवरण के अनुसार कमी की जा सकती है :

तालिका सं 12 : संवहन लागत के बाद अतिरिक्त राजस्व अंतर

विवरण	करोड़ रु
उपरोक्त गणना के अनुसार अतिरिक्त उपलब्ध राजस्व	(0.98)
विव 06-07 के ½ वर्ष के लिए संवहन लागत @ 9%	(0.04)
कुल	(1.02)
माननीय आयोग द्वारा संस्तुत राजस्व अंतर (दिनांक 26.08.11 के आदेश की तालिका सं 70 देखें)	156.34
विव 07 तक का संशोधित राजस्व अंतर	155.32

अलबत्ता, यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त गणना के मुताबिक अतिरिक्त राजस्व के रूप में उपलब्ध (1.02) करोड़ रु की राशि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलों पर फैसले पर निर्भर है।

विव 08 से विव 2011-12 का समायोजन (ट्रू-अप)
तथा

एमवाईटी नियंत्रण अवधि (विव 2008 से विव 2012)
के लिए कैपेक्स तथा आरओसीई

एमवाईटी विनियमन के विनियमन 4.16 के अनुसार :

विभिन्न नियंत्रण योग्य और अनियंत्रणयोग्य मानकों का समायोजन निम्न सिद्धांत के अनुरूप लागू किया जाएगा :

ए) अनियंत्रणयोग्य बिक्री और विद्युत कय की मद पर राजस्व/व्यय में अंतर का समायोजन हर साल किया जाएगा;

बी) नियंत्रण योग्य मानकों के लिए;

i. परिचालन एवं रखरखाव व्यय की मद पर अतिरिक्त या घाटे को लाइसेंसी के खाते में डाला जाएगा और उसे एआरआर में समायोजित नहीं किया जाएगा; तथा

ii. अवमूल्यन और आरओसीई को नियंत्रण अवधि के अंत में समायोजित किया जाएगा।

उक्त विनियमन के अनुसार, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुई प्रथम अवधि के लिए आरओसीई तथा अवमूल्यन को विव 2011-12 के समायोजन के साथ ही समायोजित कर दिया जाएगा।

विव 2007-08 से विव 2011-12 की अवधि के लिए विभिन्न मामलों में (सूची नीचे दी गई है) समायोजन की मांग की गई है और माननीय आयोग ने भी माननीय एटीई के समक्ष लंबित अपीलों में या जिन पर विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा पहले ही फैसला दिया जा चुका है और जिनके संबंध में उच्चतर प्राधिकरणों के समक्ष अपील नहीं की गई या जिन्हें निरस्त किया जा चुका है, इस बारे में स्वीकृति जतायी है।

1. वीएसएस कर्मचारियों की मासिक पेंशन/एलटीए
2. वीएसएस कर्मचारियों की मासिक पेंशन/एलटीए पर कुशलता घटक
3. छठे वेतन आयोग की बकाया राशि पर लागू कुशलता घटक में सुधार
4. छठे वेतन आयोग का उन कर्मचारियों पर प्रभाव जिन्होंने 01.01.2006 के बाद इसका विकल्प चुना जो उस समय निलंबित/लापता थे
5. डिस्कॉम के लिए स्वीकृत 1% से अधिक छूट

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



6. पावर बैंकिंग
7. 70:30 के ऋण इक्विटी अनुपात पर आधारित संवहन लागत
8. कार्यशील पूंजी पर लागू ब्याज दर के अनुसरण में एलपीएससी फाइनैसिंग लागत तथा उपभोक्ता सुरक्षा अभिरक्षा पर नॉर्मेटिव ब्याज में बदलाव
9. माननीय आयोग द्वारा दिनांक 24.04.2012 को जारी समीक्षा आदेश का प्रभाव

अन्य अनियंत्रणयोग्य मानकों के संबंध में भी समायोजन का निवेदन है :

1. विद्युत कय
2. बिक्री
3. गैर शुल्क आय
4. नई पहल/अतिरिक्त व्यय

उपरोक्त याचिका विभिन्न प्राधिकरणों जैसे एटीई, सुप्रीम कोर्ट आदि के समक्ष लंबित विभिन्न मामलों में सुनाए जाने वाले फैसलों पर निर्भर है

कार्यप्रणाली :

वीएसएस कर्मचारियों की मासिक पेंशन/एलटीए व्यय /वीएसएस कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की बकाया राशि

माननीय आयोग ने दिनांक 23.02.2008 के अपने एमवाईटी आदेश में नियंत्रित अवधि के लिए वीएसएस कर्मचारियों के मासिक पेंशन/एलटीए खर्चों को अस्थायी आधार पर मंजूरी दी है और यह भी कहा है कि इनका समायोजन मामले के अंतिम नतीजे के आधार पर किया जाएगा।

तालिका सं : 13 वीएसएस कर्मचारियों की वर्ष-दर-वर्ष मासिक पेंशन/एलटीए करोड़ रु

विवरण	विव 08	विव 09	विव 10	विव 11	विव 12
वीएसएस कर्मचारियों की पेंशन/एलटीए पर वास्तविक व्यय	9.47	8.34	14.18	8.10	6.90
एआरआर में संस्तुत	9.47	8.53	7.50	6.06	6.06
अंतर जिसे मंजूरी दी जानी है	-	(0.19)	6.68	2.04	0.84

यह भी निवेदित है कि चूंकि पहली एमवाईटी अवधि बीत चुकी है, लिहाजा माननीय आयोग से वास्तविक व्यय के आधार पर इनके समायोजन का अनुरोध है (अंकेक्षित वित्तीय व्यय का प्रासंगिक अंश यहां खंड II के संलग्नक 1 पर उपलब्ध है)। यह भी निवेदन है कि मामले के नतीजे के आधार पर इनका समायोजन तदनुसार उसी वर्ष किया जाए।

वीएसएस पेंशन और छठे वेतन आयोग के बकाया पर कुशलता घटक

परिचालन एवं रखरखाव खर्चों पर कुशलता घटक लागू करने के बाद, माननीय आयोग ने अनजाने में ही वीएसएस कर्मचारियों की पेंशन/एलटीए पर भी कुशलता घटक को लागू कर दिया। वर्ष 2008 की अपील सं 52 के जवाब में माननीय आयोग ने भी यह स्वीकार किया है। माननीय आयोग ने विव 2010-11 के समायोजन के समय ही उसे विव 2010-11 के लिए भी लागू कर दिया था लेकिन अभी विव 2008 से विव 2010 तक की अवधि के लिए उसमें सुधार किया जाना है। इस याचिका में यही मांग की जा रही है।

तालिका सं : 14 वीएसएस पेंशन पर कुशलता घटक में सुधार

विवरण	यूओएम	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10
एआरआर में संस्तुत वीएसएस कर्मचारियों की पेंशन/एलटीए	करोड़ रु	9.47	8.53	7.50
लागू कुशलता	%	0%	2%	3%
अंतर जिसे मंजूरी दी जानी है	करोड़ रु	-	0.17	0.22

साथ ही माननीय आयोग ने विव 2008-09 और विव 2009-10 में 01.01.2006 से 31.03.2010 की अवधि के लिए छठे वेतन आयोग की बकाया राशि को मंजूरी दी है। माननीय आयोग ने विव 08-09 और विव

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



09-10 में कुल बकाया राशि पर कुशलता घटक लागू किया है न कि उसे वर्ष दर वर्ष आधार पर वितरित किया। डीईआरसी ने अपील सं 14/2012 के जवाब में इस त्रुटि को स्वीकार किया है। कुशलता घटक की नए सिरे से गणना निम्नानुसार है :

तालिका सं : 15 छठे वेतन आयोग की बकाया राशि में कुशलता घटक में सुधार करोड़ रु

विवरण	विव 05-06	विव 06-07	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	कुल
संस्तुत बकाया (देखें तालिका सं 60 आदेश 26.08.11)	3.87	20.19	21.13	22.12	23.15	90.45
भत्ता	-	-	-	6.88	12.11	18.99
कुल बकाया	3.87	20.19	21.13	29.00	35.26	109.44
कुशलता घटक			0%	2%	3%	
कुशलता राशि	-	-	-	0.58	1.06	1.64
भुगतान वर्ष में समायोजित की जाने वाली कुशलता राशि (A)				-	1.64	
आदेश में संस्तुत बकाया				17.90	91.55	109.45
आदेश में विचारणीय कुशलता राशि (B)	-	-	-	0.36	2.75	3.10
अंतर (A-B)	-	-	-	(0.36)	(1.11)	(1.47)

उन कर्मचारियों के संबंध में छठे वेतन आयोग की बकाया राशि जिन्होंने 01.01.2006 के बाद यह विकल्प चुना

माननीय आयोग ने विव 2009-10 के समायोजन के दौरान छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में बकाया राशि को मंजूरी दी है। माननीय आयोग ने विव 2006-07 के लिए छठे वेतन आयोग की बकाया राशि को आधार वर्ष 2006-07 में जोड़ा है और इस पर एमवाईटी विनियमनों के आधार पर विचार किया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कुछ कर्मचारियों ने छठे वेतन आयोग के क्रियान्वयन को 01.01.06 से नहीं चुना बल्कि डीटीएल द्वारा नियुक्त समिति द्वारा संस्तुत छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसे बाद की तारीख से चुना है। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के समय जो 3-4 कर्मचारी निलंबित या लापता थे, उनके संबंध में बकाया का विवरण बाद में दिया जाएगा। समिति की रिपोर्ट का प्रासंगिक अंश नीचे दिया जा रहा है :

“संशोधित वेतन ढांचे को 1.1.2006 से प्रभावी माना जा सकता है; अलबत्ता कर्मचारी अपने मौजूदा वेतनमान में अगली या किसी अन्य वेतनवृद्धि की तारीख तक वर्तमान वेतनमान पर ही वेतन लेने का विकल्प चुन सकता है। ऐसे मामलों में जिनमें कर्मचारी को 1.1.2006 या संशोधित वेतन ढांचे के आदेशों के

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



जारी होने के बीच की अवधि में, पदोन्नति या अन्य आधार पर किसी ऊँचे वेतन पर रखा गया हो, उनमें वह पदोन्नति की तारीख या ऊँचे वेतनमान में रखे जाने की तारीख से संशोधित वेतन ढाँचे को चुन सकता है। उपरोक्त विकल्प उन कर्मचारियों के मामले में ही लागू नहीं होगा जिन्हें 1.1.2006 को या उसके बाद कंपनी में पहली बार या फिर अन्य किसी पद से स्थानांतरण के बाद किसी पद पर नियुक्त किया गया हो। ऐसे कर्मचारी को केवल संशोधित वेतन ढाँचे के अनुरूप ही वेतन लेने की मंजूरी दी जाएगी।”

यह निवेदन किया जाता है कि विव 2006-08 के दौरान 287 कर्मचारियों ने छठे वेतन आयोग के लिए विकल्प दिया था जबकि विव 2007-08 के दौरान 17 कर्मचारियों ने इसका विकल्प चुना। उपरोक्त का पूरे वर्ष भर में प्रभाव इस प्रकार रहा है :

विवर्ष	छठे वेतन आयोग का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या	वास्तविक भुगतान (करोड़ रु)	अतिरिक्त प्रभाव (करोड़ रु)
FY 06-07	287		0.50
FY 07-08	17		0.12

माननीय आयोग द्वारा 4.66% की मुद्रास्फीति को मंजूरी दिए जाने के बाद, वर्षवार प्रभाव नीचे दिया जा रहा है :

तालिका सं : 16 छठे वेतन आयोग की बकाया रकम की गणना

करोड़ रु

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12
वर्ष 06-07 के दौरान विकल्प देने वाले कर्मचारियों की बकाया राशि *	0.52	0.55	0.57	0.60	0.63
वर्ष 07-08 के दौरान विकल्प देने वाले कर्मचारियों की बकाया राशि	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14
कुल	0.64	0.67	0.70	0.74	0.77
कुशलता	-	0.01	0.02	0.03	0.03
शुद्ध कुशलता	0.64	0.66	0.68	0.71	0.74
भुगतान के वर्ष में स्वीकृत किया जाना है (सकल)			2.02	0.74	0.77
भुगतान के वर्ष में विचारणीय कुशलता			(0.03)	(0.03)	(0.03)

* 0.50 x 1.0466

समय पर बिजली खरीद का भुगतान कर 1 फीसदी या उससे ज्यादा कमाई गई छूट

माननीय एटीई ने 2009 की अपील संख्या 153 में जारी अपने आदेश में बरकरार रखा है कि छूट को बिजली खरीद लागत में से नहीं घटाया जा सकता है। इसके अलावा माननीय एटीई ने इस बात को भी बरकरार रखा है कि 1 फीसदी तक की छूट को गैर-शुल्क आय करार दिया जा सकता है। इस बारे में प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित है—

'35. इसलिए उपर्युक्त से यह स्पष्ट हो गया है कि पुराने शुल्क आदेश की तर्ज पर बिजली खरीद लागत को कम करने के लिए छूट आय का इस्तेमाल एमवाईटी नियामकों के खिलाफ है। सिर्फ 1 फीसदी तक की आय को ही गैर-शुल्क आय माना जाना चाहिए। इसी के हिसाब से मामलों का निपटान होना चाहिए।'

माननीय आयोग ने अगस्त 2011 में जारी आदेश में उपर्युक्त आदेश को लागू नहीं किया और उच्चतम न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर करने को तरजीह दी। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने वह याचिका खारिज कर दी है। इस याचिका को उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया; इसलिए माननीय आयोग से फिर दरखास्त की जाती है कि वह माननीय एटीई के आदेश को लागू करे। इसके अनुसार छूट का सांलाना ब्रेकअप निम्नलिखित है :

तालिका सं 17 : छूट का विभाजन 1% और 1% से अधिक


करोड़ रु

वर्ण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
माननीय आयोग द्वारा समायोजन के दौरान एनटीआई के रूप में विचारणीय छूट	35.93	34.58	19.35	23.45
1% तक छूट	17.34	16.32	14.74	20.07
1% से अधिक छूट	18.59	18.26	4.61	3.38

पावर बैंकिंग :

वित्त वर्ष 2007-08 से लेकर वित्त वर्ष 2010-11 के लिए टू अप की अपनी पुरानी याचिका में पावर बैंकिंग लेनदेन पर संवहन लागत की मांग की थी, जिसकी अनुमति माननीय आयोग द्वारा नहीं दी गई थी। अभी इस मामले पर याचिका है और यह विभिन्न प्राधिकरणों के पास लंबित है। हालांकि माननीय आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि वह खरीदी/बेची गई वास्तविक यूनिट के लिए 4 रुपये/यूनिट के आधार पर

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



पावर बैंकिंग लेनदेन को अनुमति देता है। अगस्त 2011 में जारी शुल्क आदेश के प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित है :

3.283 पावर बैंकिंग की वित्तीय लागत के मद्देनजर आयोग का मानना है कि बैंकिंग करारों पर राजस्व का असर नहीं होता है। बिजली उद्योग ऐसे व्यवहार का अनुगमन करता है, जहां फॉरवर्ड/एडवांस बैंकिंग के मामले में संयंत्र मांग करता है कि 4 फीसदी अतिरिक्त बिजली लौटा दी जाए और बैकवार्ड बैंकिंग के मामले में संयंत्र को 4 फीसदी अतिरिक्त बिजली लौटानी पड़ती है। आयोग संयंत्र द्वारा एडवांस में रखी गई बिजली को 4 रुपये प्रति यूनिट की दर पर बिकी बिजली के हिसाब से देखता है क्योंकि ऐसा नहीं करने पर वह भविष्य की खपत के लिए मौजूदा उपभोक्ताओं पर बोझ डाल रहा होगा, जिसे आयोग मुनासिब नहीं समझता। संयंत्र को अगले साल बैंक की गई बिजली के साथ 4 फीसदी अतिरिक्त बिजली मिलेगी। आयोग कुल प्राप्त बिजली को 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद मानता है। इससे संयंत्र को 4 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से ली गई अतिरिक्त 4 फीसदी बिजली पर बिजली खरीद को अनुमति मिल जाती है, जो इस बैंकिंग की वित्तीय लागत के बराबर होती है।

यह आवेदन किया जाता है कि माननीय आयोग ने ऑडिटेड खातों के हिसाब से बिजली खरीद लागत को अनुमति दी है, जिसमें पावर बैंकिंग के लिए अतिरिक्त यूनिट को शामिल नहीं किया जाता है। अपनी याचिका में टीपीडीडीएल ने पावर बैंकिंग के मद में किसी अतिरिक्त यूनिट का दावा नहीं किया है।

माननीय आयोग की ओर से अपनाई की प्रक्रिया के आधार पर सालाना बिजली बैंकिंग लागत कुछ इस तरह आती है (देखें संलग्नक 2) :

तालिका सं 18 : पावर बैंकिंग की गणना

करोड़ रु

वर्ष विव	भेजी गई (एमयू)	प्राप्त (एमयू)	अंतर (एमयू)	4 रु/यूनिट के हिसाब से पावर बैंकिंग राशि
विव 2007-08	18.02	(18.00)	(0.02)	(0.01)
विव 2008-09	376.21	(376.95)	0.74	0.30
विव 2009-10	414.20	(435.91)	21.71	8.68
विव 2010-11	266.51	(262.60)	(3.91)	(1.56)

निवेदन है कि उपर्युक्त प्रक्रिया उन लेनदेन के लिए है, जिन्हें पूरा किया जा चुका है और उसका दावा भी उसी साल किया गया था, जिस साल वे सौदे हुए थे।

बाजार कीमत पर संवहन लागत

माननीय आयोग की ओर से 28 मई 2009 को जारी शुल्क आदेश से व्यवस्थित टीपीडीडीएल ने संवहन लागत के मद में ज्यादा व्यावहारिक वित्त लागत लगाने की खातिर 2009 में अपील संख्या 153 दायर की थी लेकिन माननीय एटीई ने उसे खारिज कर दिया।

माननीय एटीई ने 2009 की अपील संख्या में 70:30 के नॉर्मेटिव डेट इक्विटी अनुपात के आधार पर संवहन लागत को अनुमति दी है। माननीय एटीई ने यह भी कहा कि ऋण की रकम पर ब्याज बाजार दर के बराबर होना चाहिए। इस आदेश का प्रासंगिक उद्धरण निम्नलिखित है :

‘इसलिए हमारी नजर में संवहन लागत 9 फीसदी तय करना सही नहीं है। इसलिए राज्य आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह संवहन लागत को बाजार दर के बराबर करने के अपने फैसले की दोबारा समीक्षा करे और संवहन लागत को ऋण/इक्विटी के 70 : 30 फीसदी अनुपात में भी मंजूरी मिलनी चाहिए।’

26 अगस्त, 2011 को जारी अपने आदेश में माननीय आयोग ने उपर्युक्त फैसले को लागू नहीं किया है क्योंकि माननीय आयोग ने इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की। उच्चतम न्यायालय ने इस याचिका को खारिज करते हुए माननीय एटीई की ओर से अपील संख्या 153/2009 में दिए गए आदेश को अंतिम रूप दिया; इसलिए माननीय आयोग से फिर दरखास्त की जाती है कि वह माननीय एटीई के आदेश को लागू करे। सालाना आधार पर संवहन लागत की संगणना निम्नलिखित है :

तालिका सं : 19 भारत औसत लागत की गणना

	वेटेज	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12
ऋण *	70	9.15%	10.17%	8.53%	8.87%	10.96%**
इक्विटी	30	16.00%	16.00%	16.00%	16.00%	16.00%
कुल	100	11.21%	11.92%	10.77%	11.01%	12.47%

* माननीय आयोग द्वारा अपने आदेश में संस्तुत

** खंड II का संलग्नक 3 देखें

निवेशित पूंजी पर लाभ

जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि एमवाईटी विनियमनों के अनुसार, निवेशित पूंजी पर लाभ (आरओसीई) तथा अवमूल्यन को नियंत्रित अवधि अर्थात् विव 2011-12 के अंत में समायोजित किया जाएगा, लिहाजा इनके समायोजन की मांग इस याचिका में की गई है।

विव 2007-08 से विव 2011-12 के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों का पूंजीकरण (वितरण कारोबार) निम्नानुसार है (देखें खंड II का संलग्नक 4)

तालिका सं : 20 वास्तविक पूंजीकरण का विवरण				करोड़ रु
विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12
264.45	337.16	375.80	390.02	345.65

परंतु माननीय आयोग ने दिनांक 23.02.08 के अपने एमवाईटी आदेश में कहा है कि वह उस वर्ष में पूंजीकरण को मंजूरी देगा जिसमें ईआई प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है, लिहाजा ईआई प्रमाणपत्र की वर्षवार प्राप्ति का विवरण नीचे दिया जा रहा है :


तालिका सं : 21 ईआई प्रमाणपत्र का विवरण			करोड़ रु				
पूंजीकरण का वर्ष	कुल पूंजीकरण	ईआई प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं	ईआई प्रमाणपत्र				
			विव 08	विव 09	विव 10	विव 11	विव 12
विव-05-06*	322.68	123.67	-	53.15	9.06	53.45	-
विव -06-07*	277.28	119.44	19.69	59.07	12.42	18.19	3.94
विव -07-08	264.45	117.53	14.59	40.02	36.80	24.14	-
विव -08-09	337.15	149.70		26.72	8.46	74.83	0.23
विव -09-10	375.80	141.48			9.57	79.64	35.86
विव -10-11	390.02	163.48				147.83	39.39
विव -11-12	345.65	133.90					110.84

* विव 07 तक प्राप्त ईआई प्रमाणपत्रों को विव 2007 तक के समायोजन संबंधी पिछले खंडों में शामिल किया गया है

विव 2005-06 से विव 2011-12 के दौरान पूंजीकरण के लिए ईआई प्रमाणपत्र की प्राप्ति पर आधारित, संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार है :

तालिका सं : 22 स्थिर परिसंपत्तियां		करोड़ रु			
विवरण	विव 08	विव 09	विव 10	विव 11	विव 12
आरंभिक शेष	1,985.55	2,137.37	2,466.03	2,683.82	3,245.38

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



विवरण	विव 08	विव 09	विव 10	विव 11	विव 12
वर्ष के दौरान जोड़	151.82	328.66	217.79	561.56	324.15
वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-	-
समाप्ति शेष	2,137.37	2,466.03	2,683.82	3,245.38	3,569.53

यह भी निवेदन है कि उपरोक्त जोड़ के संदर्भ में उपभोक्ता योगदान के पूंजीकरण को उस वर्ष के लिए विचारणीय माना गया है जिसमें ईआई प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। उपभोक्ता योगदान के शेष पूंजीकरण को वित्तीयकरण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है क्योंकि माननीय आयोग ने प्राप्तियों के आधार पर उपभोक्ता योगदान को विव 2007 तक हुए पूंजी व्यय के वित्त पोषण के लिए पहले ही इस्तेमाल कर लिया है

1. 01.04.2007 से पूर्व प्राप्त
2. 01.04.2007 के उपरांत प्राप्त

तालिका सं : 23 उपभोक्ता योगदान/अनुदान

करोड़ रु

विवरण	विव 08	विव09	विव10	विव11	विव12
आरंभिक शेष	146.96	226.37	257.45	275.73	300.23
वर्ष के दौरान जोड़ (अनुदान समेत)	91.36	41.01	53.10	147.45	167.48
वर्ष के दौरान पूंजीकृत (आरंभिक में से)	0.15	1.81	21.02	40.62	8.08
वर्ष के दौरान पूंजीकृत (01.04.07 के बाद)	11.80	8.12	13.80	82.33	44.84
समाप्ति शेष	226.37	257.45	275.73	300.23	414.79
चक्रवृद्धि पूंजीकरण उपभोक्ता योगदान	104.63	114.56	149.38	272.33	325.25

अवमूल्यन (शुद्ध उपभोक्ता योगदान)


निवेदन है कि माननीय आयोग ने शुद्ध स्थिर परिसंपत्तियों अर्थात् सकल जोड़ – उपभोक्ता योगदान पर अवमूल्यन को मंजूरी दी है। अंतिम अवमूल्यन की गणना के लिए, जिसका दावा एआरआर में किया जाना है, प्रथम अवमूल्यन की गणना सकल ब्लॉक के आधार पर की गई और औसत अवमूल्यन दर का पता लगाया गया जिसे स्थिर परिसंपत्तियों (शुद्ध उपभोक्ता योगदान) पर लागू किया गया है।

तालिका सं : 24 सकल स्थिर परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन

करोड़ रु

विवरण	विव08	विव09	विव10	विव11	विव12
आरंभिक शेष	763.72	839.80	925.73	1,022.84	1,136.16
वर्ष के दौरान जोड़ (एडीडी समेत)	76.07	85.94	97.11	113.32	131.50

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



विवरण	विव08	विव09	विव10	विव11	विव12
वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-	-
समाप्ति शेष	839.80	925.73	1,022.84	1,136.16	1,267.66
औसत अवमूल्यन दर	3.69%	3.73%	3.77%	3.82%	3.86%

तालिका सं : 25 स्थिर परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन (शुद्ध उपभोक्ता योगदान के बाद) करोड़ रु

विवरण	विव08	विव09	विव10	विव11	विव12
आरंभिक शेष	763.72	836.16	918.00	1,010.13	1,115.39
वर्ष के दौरान जोड़ (एडीडी समेत)	72.43	81.84	92.13	105.26	119.97
वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-	-
समाप्ति शेष	836.16	918.00	1,010.13	1,115.39	1,235.36

तालिका सं : 26 अवमूल्यन का प्रयोग

करोड़ रु

विवरण	विव08	विव09	विव10	विव11	विव12
अवमूल्यन	72.43	81.84	92.13	105.26	119.97
ऋण अदायगी के लिए प्रयुक्त	72.43	81.84	92.13	105.26	119.97
कार्यशील पूंजी के लिए प्रयुक्त	-	-	-	-	-
पूंजी निवेश के लिए प्रयुक्त	-	-	-	-	-
अप्रयुक्त अवमूल्यन	-	-	-	-	-
चक्रवृद्धि अप्रयुक्त अवमूल्यन	-	-	-	-	-

तालिका सं : 27 अवमूल्यन जिसकी मांग की गई बनाम जो संस्तुत किया गया

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
संशोधित अवमूल्यन	72.43	81.84	92.13	105.26
आदेशों में संस्तुत अवमूल्यन	79.54	93.15	103.21	110.28
अंतर जिसकी मांग की गई है	(7.11)	(11.31)	(11.08)	(5.02)

पूंजीकरण का वित्तपोषण

वित्त वर्ष 2006-07 तक माननीय आयोग साल में पूंजीगत व्यय के वित्त पोषण की अनुमति दे रहा था लेकिन वित्त वर्ष 2007-08 के बाद से यह पूंजीकरण के वित्त पोषण की अनुमति दे रहा है।

31.03.07 तक ऑडिटेड वित्तीय खातों के अनुसार 292.67 करोड़ रुपये का सीडब्ल्यूआईपी बकाया था, जिसके वित्त पोषण के लिए 31.03.07 तक का समय था। माननीय आयोग ने वित्त वर्ष 2007-08 के बाद से पूंजीकरण के वित्त पोषण को अनुमति दी है इसलिए दोहरे वित्त पोषण से बचने की खातिर 292.67

करोड़ रुपये के पूंजीकरण को एफआईएफओ प्रक्रिया अपनाते हुए वित्त वर्ष 2007-08 और वित्त वर्ष 2008-09 के वास्तविक पूंजीकरण से हटा दिया गया है।

तालिका सं : 28 आरंभिक सीडब्ल्यूआईपी का पूंजीकरण

करोड़ रु

वर्ष	कुल पूंजीकरण	प्रत्यक्ष पूंजीकरण	सीडब्ल्यूआईपी में से पूंजीकरण	01.04.07 को प्रारंभिक सीडब्ल्यूआईपी में से विचारणीय
विव 07-08	264.45	13.43	251.02	251.02
विव 08-09	337.15	19.55	317.60	41.65
कुल				292.67

तालिका सं : 29 ईआई प्रमाणपत्र के आधार पर सीडब्ल्यूआईपी का ब्योरा

करोड़ रु


विवरण	विव 05-06	विव 06-07	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12
सीडब्ल्यूआईपी का प्रारंभिक शेष (A)	209.89	499.30	612.00	705.30	665.18	821.48	725.44
वर्ष के दौरान ताजा निवेश (B)	430.93	270.51	245.12	288.54	374.09	465.52	370.68
31.03.07 तक वहन सीडब्ल्यूआईपी से पूंजीकृत निवेश	141.52	157.81	138.39	193.89	58.28	95.78	3.94
01.04.07 के बाद वहन सीडब्ल्यूआईपी से पूंजीकृत निवेश	-	-	13.43	134.77	159.52	465.78	320.20
वर्ष के दौरान कुल पूंजीकरण (C)	141.52	157.81	151.82	328.66	217.79	561.56	324.15
सीडब्ल्यूआईपी का समाप्ति शेष (A + B - C)	499.30	612.00	705.30	665.18	821.48	725.44	771.97

तालिका सं 30 : ईआई प्रमाणपत्रों पर आधारित पूंजीकरण

करोड़ रु

पूंजीकरण का वर्ष	ईआई आवश्यकता के आधार पर पूंजीकरण*				
	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12
विव -07-08	132.13	40.02	36.80	24.14	-
विव -08-09		176.42	8.46	74.83	0.23

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



पूँजीकरण का वर्ष	ईआई आवश्यकता के आधार पर पूँजीकरण*				
	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12
विव -09-10			151.05	79.64	35.86
विव -10-11				311.31	39.39
विव -11-12					244.73
Total	132.13	216.44	196.31	489.92	320.21
घटा : प्रारंभिक पूँजीकृत सीडब्ल्यूआईपी					
विव -07-08	(118.70)	(40.02)	(36.80)	(24.14)	-
विव -08-09		(41.65)			
शुद्ध आवश्यक वित्त	13.43	134.77	159.51	465.77	320.21

* तालिका सं 21 देखें

तालिका सं : 31 पूँजीकरण का वित्त पोषण

करोड़ रु

विवरण	विव 08	विव 09	विव 10	विव 11	विव 12
उपभोक्ता अंशदान	11.80	8.12	13.80	82.33	44.84
अवमूल्यन	-	-	-	-	-
एपीडीआरपी ऋण	-	-	-	-	-
ऋण	1.14	88.65	102.00	268.41	192.75
इक्विटी	0.49	37.99	43.71	115.03	82.61
कुल	13.43	134.77	159.52	465.78	320.20

तालिका सं : 32 इक्विटी पर लाभ

विवरण	विव 08	विव 09	विव 10	विव 11	विव 12
प्रारंभिक शेष	609.74	610.23	648.22	691.94	806.97
वर्ष के दौरान जोड़	0.49	37.99	43.71	115.03	82.61
वर्ष के दौरान कमी	-	-	-	-	-
समाप्ति शेष	610.23	648.22	691.94	806.97	889.58
औसत इक्विटी	609.99	629.23	670.08	749.46	848.28
लाभ	97.60	100.68	107.21	119.91	135.72

ऋण

वित्त वर्ष 2007-08 और वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान, टीपीडीडीएल ने अपने पूँजीगत व्यय प्रोग्राम के लिए लोन लिए हैं। इसके अलावा उपर्युक्त अवधि के दौरान टीपीडीडीएल ने अपने पुराने प्रासमिक लोन को भी वास्तविक लोन से बदल लिया है। माननीय आयोग ने अपने एमवाईटी आदेश में 01.04.07 तक बकाया

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



लोन के पुनर्भुगतान की वास्तविक शर्तों के साथ ही ब्याज दर को भी शामिल किया है। इसके अलावा आयोग ने वित्त वर्ष 07-08 और वित्त वर्ष 11-12 के दौरान अवरोध की स्थिति वाले ऋण के लिए 9.50 फीसदी की सालाना निर्देशात्मक दर को मंजूरी दी। इसमें ब्याज को 1 फीसदी मार्जिन के साथ टू अप करने का प्रावधान था। माननीय आयोग ने आदेश की पैरा संख्या 4.238 में कहा है :

'4.238 नियंत्रण अवधि के दौरान आयोग को वित्त के जरियो का टू अप करना होगा क्योंकि परिसंपत्ति पूंजीकरण का टू अप जरूरी है। आयोग कार्यशील पूंजी की जरूरत और पूंजीगत निवेश की खातिर लिए जाने वाले नए ऋण की ब्याज दर को भी टू अप कर सकता है बशर्ते उसे अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक के पीएलआर में ऊपर या नीचे 1 फीसदी से ज्यादा का अंतर दिखे।'

माननीय आयोग ने एसबीआई पीएलआर के नीचे 2.75 फीसदी नकारात्मक लागत अंतर को ध्यान में रखते हुए 9.5 फीसदी के निर्देशात्मक दर को मंजूरी दी है। यह बताया गया है कि ब्याज दर कीमत लागत और पीएलआर का संयोजन होती है। स्पष्ट किया गया है कि माननीय आयोग द्वारा ध्यान में लिए गए 2.75 फीसदी की नकारात्मक कीमत लागत के उलट एसबीआई समूह ने मार्च 2007 में वास्तविक नकारात्मक लागत अंतर को घटाकर 1 फीसदी कर दिया था। इसकी एक प्रति खंड II के संलग्नक 5 में दी गई है।

इसलिए आगे बताया गया है कि वित्त वर्ष 10-11, जब से आधार दर लागू हुई है। कोई भी बैंक इससे कम दर पर ऋण नहीं दे सकता। आधार दर ऋण की वह न्यूनतम लागत होती है, जिसपर बैंक ऋण उपलब्ध कराता है। आधार दर और कीमत लागत अंतर के हिसाब से ऋण दिया जाता है। पहले जो कीमत लागत अंतर नकारात्मक होती थी वह अब सकारात्मक हो गई है। आधार दर के लिए दिए गए दिशानिर्देशों में से प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है :

'8 चूंकि सभी ऋणों के लिए आधार दर न्यूनतम दर होगी इसलिए बैंकों को आधार दर से कम दर पर ऋण देने की अनुमति नहीं है। इसके अनुसार 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए बीपीएलआर को अधिकतम दर मानने का प्रावधान समाप्त किया जाता है। उम्मीद है कि ब्याज दर के इस विनियमन से छोटे कर्जधारकों को किफायती दर पर ऋण मिलने में आसानी होगी और बैंक से लिया गया ऋण ज्यादा कीमत पर ऋण देने वालों को कड़ी टक्कर देगा।'

हालांकि बैंक पीएलआर को दर्शा रहे हैं लेकिन कीमत-लागत अंतर और आधार दर में बदलाव समान नहीं है, जो नीचे दिए गए आंकड़े से स्पष्ट है :

तालिका सं 33 : बेस दर और पीएलआर में परिवर्तन

विवरण	एसबीआई		इलाहाबाद बैंक		धनलक्ष्मी बैंक	
	01.07.10	31.03.12	14.12.10	31.03.12	01.07.10	31.03.12
बेस दर	7.50%	10.00%	9.00%	10.75%	7.00%	11.25%
पीएलआर	11.75%	14.75%	13.25%	15.00%	16.00%	21.00%
बेस दर में परिवर्तन		2.50%		1.75%		4.25%
पीएलआर में परिवर्तन		3.00%		1.75%		5.00%

इसलिए नए ऋण पर ब्याज दर तय करते समय उस साल में लिए गए ऋण की औसत दर को ध्यान में रखा जाता है।

इसके अलावा माननीय आयोग पूंजीगत व्यय के बजाय पूंजीकरण के वित्त पोषण को अनुमति दे रहा है; ऐसे में ऋण को पूंजीकरण के साथ जोड़ना व्यावहारिक नहीं है; ऋण पुनर्भुगतान के लिए 10 साल का समय दिया जाता है और यह ऋण लिए गए साल के अगले साल से शुरू होता है। ब्याज दर पुनर्निश्चित किए जाने वाले साल में उन ऋणों के लिए संशोधित औसत दर को भी ध्यान में रखा जाता है।

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि माननीय आयोग ने 01.04.07 तक मौजूद ऋणों की वास्तविक शर्तों का अध्ययन किया है। इस तिथि तक बकाया ऋणों की ब्याज दर को भी ऋण करार में दी गई वास्तविक ब्याज दर रिसेट की शर्तों के अनुसार संशोधित किया गया है। माननीय आयोग ने निर्देशात्मक ऋणों पर ब्याज दर को अनुमति दी है, जो उस साल दिए गए ऋण की वास्तविक ब्याज दर पर आधारित होता है और अगर उस साल कोई ऋण नहीं लिया गया हो तो उससे पिछले साल लिए गए ऋण की ब्याज दर को आधार बनाया जाता है। इसलिए वास्तविक ऋणों की ब्याज दर में संशोधन होने पर उस साल के निर्देशात्मक ऋणों की ब्याज दरों में भी उसी हिसाब से संशोधन किया जाता है।

वित्त वर्ष 2006-07 में टीपीडीडीएल ने आईडीबीआई, एसबीएस, एसबीएम और आईडीएफसी के डीपीसीएल ऋण का पुनर्वित्तीयन किया है, जिसे वित्त वर्ष 11-12 में रीसेट करना था। आईडीबीआई और एसबीएम

द्वारा बताई गई ब्याज दर ज्यादा थी इसलिए टीपीडीडीएल ने 11 फीसदी सालाना की ब्याज दर पर देना बैंक से पुनर्वितीयन कराया।

एमवाईटी अवधि के दौरान उठाए गए नए ऋणों का डब्ल्यूएसीसी

तालिका सं : 34 विव 08 में पूंजीकरण के लिए डब्ल्यूएसीसी की गणना

नए कैपेक्स ऋण के डब्ल्यूएसीसी की गणना (विव 07-08)							
ऋणदाता	ऋण राशि (करोड़ रु)	संवितरित राशि (करोड़ रु)	ब्याज दर				
			विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12
आईडीएफसी	175	25	10.52%	10.52%	10.52%	10.68%	10.68%
एआरआर के लिए विचारणीय			10.52%	10.52%	10.52%	10.68%	10.68%


तालिका सं : 35 विव 09 में पूंजीकरण के लिए डब्ल्यूएसीसी की गणना

नए कैपेक्स ऋण के डब्ल्यूएसीसी की गणना (विव 08-09)						
ऋणदाता	ऋण राशि (करोड़ रु)	संवितरित राशि (करोड़ रु)	ब्याज दर			
			विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12
आईडीएफसी	175	30	10.63%	10.63%	10.68%	10.68%
आईडीएफसी	175	50	11.23%	11.23%	10.68%	10.68%
आईडीएफसी	175	70	14.00%	9.99%	9.99%	9.99%
डब्ल्यूएसीसी			12.40%	10.53%	10.36%	10.36%

तालिका सं : 36 विव 10 में पूंजीकरण के लिए डब्ल्यूएसीसी की गणना

नए कैपेक्स ऋण के डब्ल्यूएसीसी की गणना (विव 09-10)					
ऋणदाता	ऋण राशि (करोड़ रु)	संवितरित राशि (करोड़ रु)	ब्याज दर		
			विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12
पीएसबी	100	100	9.20%	9.30%	9.30%
पीएसबी	50	50	9.20%	9.30%	9.30%
धनलक्ष्मी	119	119	9.25%	9.25%	13.75%

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



नए कैपेक्स ऋण के डब्ल्यूएसीसी की गणना (विव 09-10)					
ऋणदाता	ऋण राशि (करोड़ रु)	संवितरित राशि (करोड़ रु)	ब्याज दर		
			विव	विव	विव
			09-10	10-11	11-12
सीएलएसएस 7 ट्रस्ट 2010	125	125	9.20%	9.20%	9.20%
सीएलएसएस 8 ट्रस्ट 2010	100	100	9.50%	9.50%	9.50%
डब्ल्यूएसीसी			9.27%	9.30%	10.39%

तालिका सं : 37 विव 11 में पूंजीकरण के लिए डब्ल्यूएसीसी की गणना

नए कैपेक्स ऋण के डब्ल्यूएसीसी की गणना (विव 10-11)				
ऋणदाता	ऋण राशि (करोड़ रु)	संवितरित राशि (करोड़ रु)	ब्याज दर	
			विव 10-11	विव 11-12
यूनियन बैंक	150	150	9.00%	9.00%
इलाहाबाद	100	100	9.50%	10.75%
यूनियन बैंक	100	100	11.25%	11.25%
डब्ल्यूएसीसी			9.79%	10.14%

तालिका सं : 37A विव 12 में पूंजीकरण के लिए डब्ल्यूएसीसी की गणना

नए कैपेक्स ऋण के डब्ल्यूएसीसी की गणना (विव 11-12)			
ऋणदाता	ऋण राशि (करोड़ रु)	संवितरित राशि (करोड़ रु)	ब्याज दर
			विव 11-12
केनरा बैंक	150	35	11.40%
इलाहाबाद बैंक	100	100	10.75%
डब्ल्यूएसीसी			10.92%

01.04.07 तक बकाया ऋण (पूंजीगत व्यय) का रीसेट

01.04.07 तक बकाया ऋणों के रीसेट पर भी ध्यान दिया गया है और यह तत्कालीन वास्तविक प्रभावी दरों पर आधारित था। यह बात ध्यान देने योग्य है कि माननीय आयोग ने किसी साल के प्रासमिक ऋणों की ब्याज दर को उस साल के वास्तविक ऋणों की ब्याज दर के आधार पर तय करने को अनुमति दी है।

वास्तविक दर में संशोधन किया गया है इसलिए निर्देशात्मक ऋणों की ब्याज दर में भी संशोधन की मांग की गई है।

तालिका सं : 38 विव 2003-04 में उठाए गए ऋणों की डब्ल्यूएसीसी जिस वर्ष में रीसेट किए गए

विव 03-04 में उठाए गए कैपेक्स ऋणों के डब्ल्यूएसीसीकी गणना						
ऋणदाता	ऋण राशि	औसत ऋण विव 09-10	औसत ऋण विव 10-11	औसत ऋण विव 11-12	विव 09-10	विव 10-11
पीएफसी		18.50	15.5		8.75%	8.75%
आईडीएफसी		38.50	31.5		10.61%	9.65%
डब्ल्यूएसीसी					10.01%	9.35%


तालिका सं : 39 विव 04-05 में उठाए गए ऋणों की डब्ल्यूएसीसी जिस वर्ष में रीसेट किए गए

विव 04-05 में उठाए गए कैपेक्स ऋणों के डब्ल्यूएसीसीकी गणना						
ऋणदाता	ऋण राशि	औसत ऋण विव 09-10	औसत ऋण विव 10-11	औसत ऋण विव 11-12	विव 09-10	विव 10-11
पीएफसी		6.50	5.5		8.75%	8.75%
आईडीएफसी		18.00	16.5		9.75%	9.31%
डब्ल्यूएसीसी					9.48%	9.17%

कार्यशील पूंजी ऋण

माननीय आयोग ने एसबीआई पीएलआर के नीचे 2.75 फीसदी नकारात्मक लागत अंतर को ध्यान में रखते हुए 9.50 फीसदी के निर्देशात्मक दर को मंजूरी दी है। यह बताया गया है कि ब्याज दर कीमत लागत और पीएलआर का संयोजन होती है। स्पष्ट किया गया है कि माननीय आयोग द्वारा ध्यान में लिए गए 2.75 फीसदी की नकारात्मक कीमत लागत के उलट एसबीआई समूह ने मार्च 2007 में वास्तविक नकारात्मक लागत अंतर को घटाकर 1 फीसदी कर दिया था। इसकी एक प्रति खंड II के संलग्नक 5 में दी गई है। इसलिए आगे बताया गया है कि 01.04.07 के बाद आधार दर लागू हुई है और कोई भी बैंक इससे कम दर पर ऋण नहीं दे सकता। हालांकि बैंक पीएलआर और आधार दर दोनों ही प्रकाशित कर रहे हैं। लेकिन तथ्य यही है कि आधार दर और कीमत लागत अंतर के हिसाब से ऋण दिया जाता है। पहले जो कीमत लागत अंतर नकारात्मक होती थी वह अब सकारात्मक हो गई है। आधार दर के लिए दिए गए दिशानिर्देशों में से प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिया गया है :

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



इसलिए टीपीडीडीएल ने वास्तविक ब्याज दर के आधार पर ब्याज दर लगाने की मांग की है (देखें संलग्नक 6)।

तालिका सं : 40 कार्यशील पूंजी पर ब्याज दरें

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12
वास्तविक कार्यशील पूंजी पर ब्याज दरें	11.06%	11.68%	11.02%	10.98%	12.78%

विवरण फॉर्म F 3b में उपलब्ध कराया गया है।

कार्यशील पूंजी

माननीय आयोग ने एमवाईटी आदेश में अनुमानित राजस्व आवश्यकता के आधार पर कार्यशील पूंजी की मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि माननीय आयोग ने एआरआर में विव 2007-08 से विव 2010-11 के लिए अनियंत्रित मानकों का समायोजन किया है जिसके चलते कार्यशील पूंजी आवश्यकता में बदलाव आया है।

विनियमन 4.16 (b)(ii) में भी उक्त व्यवस्था को देखा जा सकता है, जिसमें प्रावधान है

"(ii) अवमूल्यन और आरओसीई का समायोजन नियंत्रण अवधि के अंत में किया जाएगा।"

उक्त से यह स्पष्ट है कि आरओसीई का समायोजन नियंत्रण अवधि के अंत में किया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यशील पूंजी वास्तव में, आरओसीई का हिस्सा है जो कि एमवाईटी विनियमन के विनियमन 5.5 से स्पष्ट है :

"निवेशित पूंजी पर लाभ (आरओसीई) का इस्तेमाल वितरण लाइसेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा, और यह सभी प्रकार की वित्तीय लागत को भी कवर करेगा, तथा ऋण पर अलग से ब्याज तथा कार्यशील पूंजी पर ब्याज के लिए अलग व्यवस्था नहीं की जाएगी।"

यह भी कि विनियमन 5.37 में कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकता की गणना की विधि का प्रावधान किया गया है।

"बिजली की खुदरा आपूर्ति हेतु कार्यशील पूंजी में शामिल होगा -

ए) बिजली की बिक्री से दो माह में मिलने वाला राजस्व; और

बी) एक माह के परिचालन तथा रखरखाव व्यय;

सी) घटा : एक माह की बिजली खरीद लागत”

उपरोक्त से यह सपष्ट है कि बिजली की बिक्री और विद्युत कय जो कि कार्यशील पूंजी के प्रमुख अंश हैं, अनियंत्रणयोग्य मानक हैं जिनका अग्रिम आधार पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। विनियमन 4.16(a) में इस तथ्य को स्वीकार किया गाय है कि विद्युत कय तथा बिक्री दोनों ही अनियंत्रणयोग्य हैं।

“(a) अनियंत्रणयोग्य बिक्री एवं विद्युत कय की मद पर राजस्व /व्यय में परिवर्तन को हर साल समायोजित किया जाएगा;”

साथ ही, परिचालन एवं रखरखाव व्यय में भी संशोधन किया गया है ताकि अनियंत्रणयोग्य मानकों जैसे छठे वेतन आयोग, मुद्रास्फीति में सुधार आदि का समायोजन किया जा सके।

प्रासमिक कार्यशील पूंजी की संकल्पना इस हद तक लागू है कि आरओसीई के समायोजन के दौरान, कार्यशील पूंजी को विनियमन 5.37 के अनुसार कार्यशील पूंजी की आवश्यकता संबंधी गणना में, आरआरबी के अंश के तौर पर मंजूरी दी जाएगी।

माननीय आयोग ने दिनांक 28 मई, 2009 के अपने शुल्क आदेश में इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि नियंत्रण अवधि के पूरा होने पर वह कार्यशील पूंजी का समायोजन करेगा।

3.46 आयोग, नियंत्रण अवधि के अंत में आरओसीई के समायोजन के दौरान कार्यशील पूंजी की पुनःगणना करेगा और इसके लिए नियंत्रण अवधि के विभिन्न वर्षों के लिए कुल विद्युत कय लागत की बजाय शुद्ध विद्युत खरीद लागत पर विचार किया जाएगा।

तालिका 41 : कार्यशील पूंजी आवश्यकता का संक्षिप्त ब्योरा करोड़ रु

विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12
255.05	238.72	352.94	382.30	480.15

विव 2007-08 से विव 2011-12 के लिए संशोधित कार्यशील पूंजीगत आवश्यकता का ब्योरा फॉर्म F4 में दिया जा रहा है।

आरओसीई का समायोजन

स्थिर परिसंपत्तियों, कार्यशील पूंजी, अवमूल्यन आदि के समायोजन के परिप्रेक्ष्य में, याचिकाकर्ता द्वारा संशोधित आरओसीई की गणना निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका 42 : संस्तुत के परिप्रेक्ष्य में निवेदित आरओसीई

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
संशोधित आरओसीई	162.83	183.07	219.74	248.96
आदेशों में संस्तुत आरओसीई	180.81	210.29	229.70	242.06
अंतर जिसकी मांग की गई	(17.98)	(27.22)	(9.96)	6.90

एलपीएससी के वित्त पोषण की लागत का समायोजन तथा प्रोत्साहनों पर उसका प्रभाव

माननीय आयोग ने एलपीएससी के वित्त पोषण की लागत को कार्यशील पूंजी पर लागू ब्याज दर के हिसाब से मंजूरी दे रहा है। चूंकि इस याचिका में कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर के समायोजन का अनुरोध किया गया है, लिहाजा तदनुसार एलपीएससी की वित्त पोषण की लागत में भी बदलाव आएगा। माननीय आयोग शुद्ध एलपीएससी (वित्त पोषण के खर्च के समायोजन के उपरांत) पर एटी एवं सी घाटों की गणना के लिए उपलब्ध राजस्व के तौर पर विचार कर रहा है; लिहाजा इससे उस वर्ष विशेष में उपलब्ध प्रोत्साहनों पर भी प्रभाव पड़ेगा।

तालिका 43 : एलपीएससी के वित्त पोषण की लागत

करोड़ रु

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
एलपीएससी राशि	15.28	14.12	16.09	17.44
प्रधान राशि जिस पर एलपीएससी की वसूली की गई	84.89	78.44	89.39	96.89
प्रधान राशि के वित्त पोषण के लिए ब्याज दर	9.50%	9.50%	9.50%	9.50%
वास्तविक लागू कार्यशील पूंजी दरें	11.06%	11.68%	11.02%	10.98%
वित्तीय लागत में अंतर	1.32	1.71	1.36	1.43

विव 2007-08 से विव 09-10 के दौरान टीपीडीडीएल ने एटी एवं सी घाटों के संबंध में निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल करने पर 50% शेयरिंग अनुपात दर्ज किया, लिहाजा एलपीएससी की वित्त पोषण लागत की 50% राशि टीपीडीडीएल के प्रोत्साहन अंश को कम करेगी।

तालिका 44 : माननीय आयोग द्वारा संस्तुत एटी एवं सी घाटा

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10
वास्तविक एटी एवं सी घाटे	18.56%	16.74%	15.16%

तालिका 45 : प्रोत्साहनों पर एलपीएससी वित्त पोषण का प्रभाव करोड़ रु

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10
वित्तीय लागत का प्रभाव	1.32	1.71	1.36
प्रोत्साहन का प्रभाव (50%)	(0.66)	(0.86)	(0.68)

उपभोक्ता सुरक्षा अभिरक्षा पर प्रासमिक ब्याज दर

टीपीडीडीएल उपभोक्ता सुरक्षा अभिरक्षा पर @ 6% ब्याज दर का भुगतान कर रहा है। माननीय आयोग संवहन लागत और टीपीडीडीएल द्वारा उपभोक्ताओं को अदा की गई ब्याज दर के बीच अंतर पर गैर-शुल्क आय के तौर पर विचार कर रहा है। चूंकि इस याचिका में संवहन लागत के समायोजन का अनुरोध किया गया है, लिहाजा उपभोक्ता सुरक्षा अभिरक्षा पर संबंधित एनटीआई (गैर शुल्क आय) की पेशकश भी एआरआर में की गई है।


तालिका 46 : उपभोक्ता सुरक्षा अभिरक्षा पर एनटीआई के तौर पर ब्याज

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
औसत उपभोक्ता सुरक्षा अभिरक्षा	146.45	179.27	218.53	260.13
एआरआर के लिए विचारणीय संवहन लागत	9.15%	10.17%	8.53%	8.87%
संवहन लागत जिसका इस याचिका में दावा किया गया	11.21%	11.92%	10.77%	11.01%
एआरआर में अंतर जिसकी मांग की गई	(3.02)	(3.14)	(4.90)	(5.57)

विव 10-11 के एटी एवं सी घाटों का समायोजन

विव 2010-11 के समायोजन के दौरान, माननीय आयोग ने इस बात का उल्लेख किया है कि टीपीडीडीएल ने दुरुपयोग यूनिटों के समर्थन में किसी प्रकार का बैक-अप डाटा नहीं उपलब्ध कराया है। टीपीडीडीएल ने दिनांक 12 अक्टूबर, 2012 के अपने पत्र के माध्यम से अंकक्षित प्रमाणपत्र जमा कराया था (देखें खंड II का संलग्नक 7)। अलबत्ता, अंकक्षित फॉर्म 2.1(ए) में दर्शायी गई बिलिंग यूनिटों में 19.20 एमयू की निजी खपत भी शामिल है। माननीय आयोग द्वारा निर्देशित विधि के अनुसार, विव 10-11 की निजी खपत 15.90 MUs (6378-19.20)*.25% है; लिहाजा संशोधित बिलिंग यूनिट 6,374.80 होगी।

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



माननीय आयोग से विव 10-11 तक के एटी एवं सी घाटे के स्तर को समायोजित (ट्रू-अप) करने का निवेदन है। अंकेक्षित फॉर्म 2.1a के अनुसार, एटी एवं सी घाटों का विवरण इस प्रकार है :

तालिका सं : 47 एटी एवं सी संग्रहण के लिए राजस्व उपलब्धता

विवरण	करोड़ रु
दिनांक 13.07.12 की तालिका सं 9 के शुल्क आदेश के मुताबिक एटी एवं सी गणना के लिए उपलब्ध राजस्व	2,937.38
घटा :	
एलपीएससी वित्त पोषण लागत के बीच अंतर	(1.43)
एटी एवं सी उद्देश्य से शुद्ध संग्रहण	2,935.95


तालिका सं : 48 विव 10-11 के लिए एटी एवं सी घाटों की गणना

क्र सं	विवरण	यूओएम	विव 11	टिप्पणी
A	टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीडीएल के स्तर पर यूनिटों की खपत	एमयू	7,305.68	दिनांक 13.07.12 के आदेश का पेरा 3.60 देखें
B	यूनिटें जिनकी बिलिंग की गई	एमयू	6,374.80	उपरोक्त गणना देखें
C	बिलिंग राशि	करोड़ रु	2,970.32	खंड II का संलग्नक 7 देखें
D	वितरण घाटा	%	12.86%	(1-B/A)
E	संग्रहित राशि	करोड़ रु	2,935.95	देखें तालिका सं 47.
F	संग्रहण कुशलता	%	98.84%	F = E/C
G	यूनिटें वसूली गई	एमयू	6,301.04	G = (B x F)
E	एटी एवं सी घाटा	%	13.75%	E = 1 - (G/A)

तालिका सं : 49 प्रोत्साहन की गणना

विवरण	यूओएम	लक्ष्य का स्तर	वास्तविक
		X	Y
A. एटी एवं सी घाटा	%	17.00%	13.75%
B. लक्ष्य से अधिक उपलब्धि/ (लक्ष्य से कम उपलब्धि)	%	3.25%	
C. ऊर्जा इनपुट	एमयू	7,305.68	
D. वसूली गई यूनिटें	एमयू	6,063.71	6,301.04
E. औसत बिलिंग दर	रु/यूनिट	4.659	4.659

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



विवरण	यूओएम	लक्ष्य का स्तर	वास्तविक
		X	Y
F. वसूली गई राशि	करोड़ रु	2825.08	2935.95
G. निर्धारित लक्ष्य स्तर से अधिक उपलब्धि के चलते कुल लाभ (Y-X)	करोड़ रु	110.87	
टीपीडीडीएल एवं आपातकालीन आरक्षित के बीच मुनाफे की साझेदारी			
H. एटी एवं सी घाटों में न्यूनतम कमी (17%) और 15% लाने के लक्ष्यों से अधिक हासिल करने के लाभ	करोड़ रु	68.08	
I. एटी एवं सी घाटों में निर्धारित लक्ष्य से अधिक अर्थात् 15% से अधिक यानी 15% और 13.75% कमी लाने के लाभ	करोड़ रु	42.79	
J. याचिकाकर्ता को मिलने वाले लाभ (15% तक पर 50% और 15% से अधिक पर 100%)	करोड़ रु	76.83	
K. राजस्व अंतर की भरपाई के लिए इस्तेमाल होने वाला लाभ (G-J)	करोड़ रु	34.04	

दिनांक 24.04.2012 के समीक्षा आदेश का प्रभाव


माननीय आयोग ने दिनांक 24.04.12 के अपने समीक्षा आदेश में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि ब्याज/लघु अवधि के पूंजी लाभ के रूप में 5.22 करोड़ रु की बजाय 5.52 करोड़ रु की राशि को घटाया जाना है जिसके चलते विव 2008-09 के समायोजन के दौरान एनटीआई को अधिक रखा गया। माननीय आयोग से ट्रूंग अप संबंधी आदेश में उक्त को कियान्वित करने का अनुरोध है।

इस याचिका के माध्यम से उक्त सुधार को लागू करने का भी अनुरोध किया जाता है।

तालिका सं 50 समीक्षा आदेश का प्रभाव

विवरण	करोड़ रु विव 08-09
दिनांक 26.08.11 के शुल्क आदेश में अन्य आय में घटाया जाने वाला ब्याज/एसटीजी	5.22
अन्य आय में घटाया जाने वाला ब्याज/एसटीजी	5.52
एनटीआई जिसे घटाया जाना है	0.30

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



डीटीएल बकाया राशि के संदर्भ में विद्युत कय लागत

माननीय आयोग ने 26 अगस्त, 2011 के अपने आदेश में पिछली बकाया राशि की मद में विद्युत कय लागत के रूप में 62.63 करोड़ रु की राशि को मंजूरी दी है। टीपीडीटीएल का दावा है कि चूंकि राजस्व अंतर भारी था, लिहाजा डीटीएल की पिछली लागत को उपभोक्ता से वसूले बगैर ही डिस्कॉम पर डाल देना उचित नहीं होगा क्योंकि खुदरा शुल्क व्यवस्था कीमतों के अनुरूप नहीं है। टीपीडीटीएल ने विव 11-12 में बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। चूंकि माननीय आयोग ने उसे विव 08-09 के एआरआर में शामिल कर लिया है, लिहाजा इसे उक्त वर्ष की आवश्यकता में से निकाल दिया गया है और वास्तविक भुगतान के आधार पर विव 11-12 में इसका दावा किया गया है।

तालिका सं : 51 वर्षवार समायोजन का संक्षिप्त ब्योरा

करोड़ रु

उस वयय का संक्षिप्त ब्योरा जिनकी मांग की गई है	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
वीएसएस से संबंधित खर्चों का समायोजन (तालिका 13)		(0.19)	6.68	2.04
छठे वेतन आयोग के बकाया पर संग्रहण कुशलता (तालिका 15)		0.36	1.11	
वीएसएस पेंशन पर संग्रहण कुशलता (तालिका 14)		0.17	0.22	
उन कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की अतिरिक्त बकाया राशि जिन्होंने 01.01.2006 के बाद विकल्प दिया (तालिका 16)			1.99	0.71
डिस्कॉम को मंजूर की जाने वाली छूट (तालिका 17)	18.59	18.26	4.61	3.38
पावर बैंकिंग पर संवहन लागत (तालिका 18)	(0.01)	0.30	8.68	(1.56)
अवमूल्यन (तालिका 27)	(7.11)	(11.31)	(11.08)	(5.02)
आरओसीई (तालिका 42)	(17.98)	(27.22)	(9.96)	6.90
एलपीएससी वित्तीय लागत (तालिका 43)	1.32	1.71	1.36	1.43
उपभोक्ता सुरक्षा अभिरक्षा पर प्रसमिक ब्याज (तालिका 46)	(3.02)	(3.14)	(4.90)	(5.57)
दिनांक 24.04.12 का समीक्षा आदेश (तालिका 50)			0.30	
डीटीएल की बकाया रकम जिसे विव 08-09 में मंजूरी दी गई		(62.63)		

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर




उस व्यय का संक्षिप्त ब्योरा जिनकी मांग की गई है	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11
आवश्यकता में परिवर्तन	(8.20)	(83.69)	(0.99)	2.32
प्रोत्साहनों में परिवर्तन की वजह से राजस्व उपलब्धता में बदला (तालिका 45 एवं 49)	(0.66)	(0.86)	(0.68)	76.83
कुल	(8.87)	(84.54)	(1.67)	79.15

तालिका सं : 52 संशोधित राजस्व अंतर की गणना

विवरण		विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	टिप्पणी
आरंभिक राजस्व अंतर	A	(156.34)				
जोड़ जिसकी मांग की गई है	B	1.02				तालिका 12
संशोधित आरंभिक अंतर	C	(155.32)	(360.49)	(261.50)	(1,017.16)	
जोड़:						
राजस्व अंतर के लिए समायोजित आपातकालीन आरक्षित राशि	D				45.51	
माननीय आयोग द्वारा संस्तुत राजस्व (अंतर)/सरप्लस	E	(186.66)	49.44	(692.00)	(876.49)	
इस याचिका के अनुसार अतिरिक्त (अंतर)/सरप्लस	F	8.87	84.54	1.67	(79.15)	
समाप्ति राजस्व अंतर	G =C +D +E +F	(333.11)	(226.51)	(951.82)	(1,927.29)	
संवहन लागत दर	H	11.21%	11.92%	10.77%	11.01%	
संवहन लागत	I = G*H	(27.38)	(34.99)	(65.34)	(159.59)	
समाप्ति राजस्व अंतर (संवहन लागत दर समेत)	J = G+I	(360.49)	(261.50)	(1,017.16)	(2,086.87)	

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



विव 2011-12 के लिए राजस्व उपलब्धता

1. विव 2011-12 के लिए बिक्री

विव 2011-12 के लिए माननीय आयोग द्वारा अनुमानित 3,519 करोड़ रु की बिक्री की तुलना में वास्तविक बिक्री 3,346 करोड़ रु की दर्ज की गई। श्रेणीवार तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :

तालिका सं : 53 श्रेणीगत बिलिंग अनुसार बिक्री (शुद्ध विद्युत कर)

विव	शुल्क आदेश के अनुसार अनुमानित			वास्तविक		
	एमयू	करोड़ रु	एबीआर (रु/ kWh)	एमयू	करोड़ रु	एबीआर (रु/ kWh)
घरेलू	2,997.96	1,132.19	3.78	2,888.38	1,059.30	3.67
गैर-घरेलू	1,196.48	812.21	6.79	1,226.07	842.88	6.87
औद्योगिक	2,064.45	1,216.29	5.89	2,012.31	1,164.56	5.79
सार्वजनिक लाइटिंग	96.41	51.08	5.30	97.31	49.42	5.08
सिंचाई एवं कृषि	15.89	3.12	1.96	16.92	4.49	2.65
रेलवे ट्रैक्शन	61.51	29.76	4.84	56.92	26.87	4.72
डीएमआरसी	190	69.43	3.65	162.93	62.41	3.83
दिल्ली जल बोर्ड	198.6	204.87	6.60	172.12	110.99	6.45
अन्य*	111.65			65.66	25.80	3.93
कुल	6,932.95	3,519.32	5.08	6,698.62	3,346.71	5.00

* वास्तविक निजी खपत के रूप में 16.26 एमयू शामिल

माननीय आयोग ने दिनांक 13 जुलाई, 2012 के अपने शुल्क आदेश में विव 2010-11 में बिलिंग यूनिटों के 0.25% के अनुसार पर नॉर्मेटिव आधार पर निजी खपत में 2 प्रतिशत सालाना की वृद्धि को मंजूरी दी है।

तालिका सं : 54 विव 2011-12 के लिए निजी खपत की यूनिटों की गणना

विव	एमयू
तालिका सं 48 के अनुसार विव 10-11 में कुल बिलिंग यूनिटें	6,374
0.25% से ऊपर	15.93
2% वार्षिक वृद्धि	0.33
विव 11-12 के लिए कुल निजी खपत	16.26

राजस्व प्राप्ति

विव 2011-12 के लिए वास्तविक प्राप्त राजस्व 3,498.80 करोड़ रु है।

तालिका सं : 55 संग्रहण का अंकेक्षित वित्तीय वक्तव्य के साथ तालमेल

विवरण	करोड़ रु	टिप्पणी
01.04.11 को आरंभिक देनदार	264.07	अंकेक्षित बैलेन्स शीट के नोट 21 एवं 24 (खंड II का संलग्नक 8)
जोड़ :		
बिक्री	3,565.15	अंकेक्षित बैलेन्स शीट का पी एवं एल
एलपीएससी	21.14	अंकेक्षित बैलेन्स शीट का नोट 26
दिविबो बकाया	0.51	(0.10 Cr x 5) अंकेक्षित बैलेन्स शीट का नोट 26
बिल्ड सब्सिडी तथा संग्रहित में अंतर	(4.66)	तालिका सं 56 देखें
	3,846.21	अंकेक्षित बैलेन्स शीट के नोट 21 एवं 24
घटा :		
संदिग्ध देनदार (अशोध्य ऋण जिसे माफ किया जा चुका है)	13.15	अंकेक्षित बैलेन्स शीट का नोट 21
31.03.12 समाप्ति देनदार	318.65	अंकेक्षित बैलेन्स शीट के नोट 21 एवं 24
कुल संग्रहण	3,514.41	
घटा : एलपीएससी वित्तीय लागत	(15.01)	तालिका सं 64 देखें
घटा : सीआईएसएफ व्यय	(0.60)	तालिका सं 73 देखें
शुद्ध राजस्व उपलब्ध	3,498.80	

उल्लेखनीय है कि माननीय आयोग ने वर्ष के लिए एटी एवं सी घाटे के स्तर के निर्धारण हेतु सब्सिडी की वास्तविक रकम को आधार बनाया है। इस सिद्धांत को माननीय आयोग के 28 मई 2009 के शुल्क आदेश में विव 2010 के लिए जारी शुल्क आदेश में विस्तार से बताया गया है। विव 2010 के शुल्क आदेश के प्रासंगिक अंश को यहां दिया जा रहा है :

“जहां तक एटी एवं सी घाटे की गणना में सब्सिडी के उपचार का सवाल है, आयोग ने पाया कि विव 2007-08 की संग्रहण कुशलता की गणना के लिए याचिकाकर्ता ने कोई अतिरिक्त सब्सिडी का दावा नहीं किया है जैसा कि अन्य दो डिस्कॉम द्वारा किया गया है। याचिकाकर्ता ने 13 अप्रैल, 2009 को आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक में यह स्पष्ट किया था कि सब्सिडी की संवितरित राशि और दिल्ली सरकार से प्राप्त सब्सिडी की राशि को विव 2007-08 की संग्रहण कुशलता की गणना के लिए आधार माना है।”

उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर, विव 2011-12 के लिए सब्सिडी को विव 2011-12 के दौरान प्राप्त राजस्व की गणना के मकसद से विचारणीय माना गया है। विव 2011-12 के लिए सब्सिडी की बिलिंग और संग्रहित सब्सिडी का अंतर इस प्रकार है :

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



तालिका सं : 56 एटी एवं सी घाटे के स्तर के निर्धारण के लिए सब्सिडी की गणना

विव	करोड़ रु
विव 11-12 के दौरान वितरित सब्सिडी	65.31
संग्रहित राशि	69.97
11-12 के दौरान संग्रहित सब्सिडी परंतु जिसकी पिछले वर्षों में बिलिंग की गई के चलते अंतर तथा पिछले वर्षों के संग्रहण में विचारणीय	(4.66)

चूंकि एटी एवं सी घाटों के लिए सब्सिडी की गणना माननीय आयोग द्वारा विव 2007-08 के लिए समायोजन हेतु माननीय आयोग द्वारा अपनायी गई विधि के आधार की गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि यह राशि दिल्ली सरकार से प्राप्त नहीं होगी तो उस प्राप्त नहीं हुई राशि को एआरआर में मंजूरी दी जाएगी।

यदि पिछले वर्षों की सब्सिडी उसी वर्ष में प्राप्त नहीं होती और उसके अगले वर्ष में ली जाती है तो इस प्रकार प्राप्त अतिरिक्त रकम को एआरआर में विचारणीय नहीं माना जाएगा क्योंकि उसे पिछले वर्ष में विचारणीय माना गया है, जबकि उसकी बिलिंग हुई थी।

तालिका सं : 57 विव 11-12 के लिए एटी एवं सी घाटे के स्तर की गणना

क्र सं	विवरण	यूओएम	विव 11-12	टिप्पणी
A	टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं के लिए टीपीडीडीएल के स्तर पर खपी यूनिटें	एमयू	7,549.60	पृष्ठ 74 देखें
B	बिल की गई यूनिटें	एमयू	6,698.62	फॉर्म R3a देखें
C	बिलिंग राशि	करोड़ रु	3,498.72	फॉर्म R3a देखें
D	वितरण घाटा	%	11.27%	(1-B/A)
E	संग्रहित राशि	करोड़ रु	3,498.80	तालिका सं 55 देखें
F	संग्रहित राशि	%	100.00%	F = E/C
G	यूनिटें जिनकी वसूली की गई	एमयू	6,698.61	G = (B x F)
E	एटी एवं सी घाटे का स्तर	%	11.27%	E = 1 - (G/A)

iii) एटी एवं सी घाटों में कमी लाने संबंधी लक्ष्यों से अधिक हासिल करने पर राजस्व हिस्सेदारी की गणना

एटी एवं सी घाटों में कमी लाने संबंधी लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन करने पर याचिकाकर्ता के प्रोत्साहन तथा राजस्व में उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी की गणना इस प्रकार है :

तालिका सं : 58 याचिकाकर्ता और उपभोक्ताओं के अंश के लिए प्रोत्साहन की गणना


विवरण	यूओएम	लक्षित स्तर	वास्तविक
		X	Y
A. एटी एवं सी घाटे	%	13.00%	11.27%
B. लक्ष्य से अधिक उपलब्धि/ (लक्ष्य से कम उपलब्धि)	%	1.67%	
C. ऊर्जा इनपुट	MUs	7,549.60	
D. यूनिट जिनकी वसूली की गई	MUs	6,568.15	6,698.61
E. औसत बिलिंग दर	Rs/unit	5.223	5.223
F. राशि जिसकी वसूली की गई	करोड़ रु	3,430.54	3,498.80
G. निर्धारित लक्ष्य स्तर से अधिक उपलब्धि पर कुल लाभ (Y-X)	करोड़ रु	68.26	
टीपीडीडीएल और आपातकालीन आरक्षित निधि के बीच मुनाफे की हिस्सेदारी			
H. एटी एवं सी घाटे में कमी लाने संबंधी न्यूनतम स्तर (13%) और (12%) से अधिक उपलब्धि हासिल करने के लाभ	करोड़ रु	39.43	
I. एटी एवं सी घाटे में कमी लाने के संबंध में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि दर्ज कराने के लाभ अर्थात् 12% से यानी 12% - 11.27%	करोड़ रु	28.83	
J. याचिकाकर्ता को मिलने वाले लाभ (12% तक 50% और 12% से अधिक पर 100%)	करोड़ रु	48.54	
K. राजस्व अंतर को पाटने के लिए इस्तेमाल होने वाली लाभ राशि (G-J)	करोड़ रु	19.72	

शुल्क निर्धारण के लिए उपलब्ध राजस्व (करोड़ रु)

तालिका सं : 59 विव 2011-12 के लिए एआरआर को पूरा करने के लिए उपलब्ध राजस्व की रकम

विवरण	राशि	टिप्पणी
राजस्व प्राप्त (दिविबो से प्राप्त बकाया, एलपीएससी और विद्युत कर समेत)	3,498.80	देखें तालिका सं 55
घटा - भूगतान की गई विद्युत कर की राशि	143.23	(विद्युत कर पर कमीशन) /0.97
राजस्व (शुद्ध विद्युत कर के बाद)	3,355.57	
घटा : लक्ष्य से अधिक हासिल करने पर टीपीडीडीएल की हिस्सेदारी	48.54	देखें तालिका सं 58
दिविबो की बकाया राशि के समायोजन से पहले शुल्क निर्धारण हेतु उपलब्ध शुद्ध राजस्व	3,307.03	
घटा : दिविबो बकाया (80%)	0.40	

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



विवरण	राशि	टिप्पणी
घटा : एनटीआई के रूप में विचारणीय एलपीएससी	6.13	
घटा : दिविबो बकाया (20% एनटीआई के रूप में विचारणीय)	0.10	
दिविबो बकाया की 80% राशि के समायोजन के बाद शुल्क निर्धारण हेतु उपलब्ध शुद्ध राजस्व	3,300.40	

डी) गैर शुल्क आय (एनटीआई)

अन्य अनियंत्रणयोग्य मानक/घटक गैर शुल्क आय है। विव 2011-12 के समायोजन के मकसद से गैर शुल्क आय 123.42 करोड़ रु है जबकि माननीय आयोग द्वारा दिनांक अगस्त 2011 के शुल्क आदेश में इसे 30.63 करोड़ रु माना गया था।

तालिका सं : 60 विव 11-12 के लिए अंकेक्षित खातों के साथ एनटीआई का समायोजन

विवरण	करोड़ रु	करोड़ रु	टिप्पणी
अन्य परिचालन आय		139.41	अंकेक्षित खातों का नोट 26
अन्य आय		21.49	अंकेक्षित खातों का नोट 27
कुल		160.90	
घटा : उपरोक्त में शामिल आय, शुल्क निर्धारण के लिए पारित नहीं			
पूंजी अनुदान से स्थानांतरित	0.40		अंकेक्षित खातों का नोट 26
पूंजी कार्यों के लिए उपभोक्ता योगदान से स्थानांतरित (बुक प्रविष्टि के तौर पर)	14.05		अंकेक्षित खातों का नोट 26
ब्याज/लघु अवधि का पूंजी लाभ	11.41		अंकेक्षित खातों का नोट 27
आगामी वर्षों में स्थगित किए जाने वाले सर्विस लाइन शुल्क	4.43		गणना नीचे दी गई है
अन्य कारोबारों से आय	1.98		गणना नीचे दी गई है
एलपीएससी की वित्तीय लागत	15.01		उपलब्ध राजस्व समायोजित
विद्युत क्रय पर छूट	6.65		देखें तालिका सं 65
उपभोक्ता सुरक्षा अभिरक्षा पर ब्याज	(21.11)		गणना नीचे दी गई है
सामग्री लागत की वसूली के संबंध में रखरखाव लागत	4.12		
जेनरेशन डिवीजन से संबंधित आय	0.54	37.48	
कुल गैर-शुल्क आय		123.42	

आयकर की मद को निम्नानुसार शुल्क निर्धारण के लिए आय के रूप में विचारणीय नहीं माना जाएगा :

ए) अनुदान/उपभोक्ता योगदान :

चूंकि माननीय आयोग कैपेक्स के वित्त पोषण के लिए सकल पूंजी अनुदान/उपभोक्ता योगदान का प्रयोग कर रहा है, खातों में उसे केवल बुक प्रविष्टि के तौर पर दर्शाया गया है जिसे गैर शुल्क आय के तौर पर नहीं लिया जा सकता। उक्त उपचार माननीय आयोग द्वारा पिछले शुल्क आदेशों में स्वीकार्य और कियान्वित सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

बी) शेयरधारक की राशि में सरप्लस फंड पर ब्याज

माननीय एटीई ने अपील 153/2009 के फैसले में कहा है कि सरप्लस फंड पर ब्याज की राशि को कंपनी को दिया जाना चाहिए और लक्ष्य से अधिक उपलब्धि हासिल करने तथा सुरक्षा अभिरक्षा पर अर्जित ब्याज संबंधी आय के समायोजन के बाद ऐसा किया जा सकता है।

इस फैसले को माननीय आयोग ने विव 2010-11 तक के समायोजन के लिए पहले ही कियान्वित कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि टीपीडीडीएल लक्ष्य से अधिक हासिल करने के चलते सरप्लस पर उपभोक्ता की हिस्सेदारी के समायोजन के बाद राजस्व अंतर पर संवहन लागत का दावा कर रहा है। दूसरे शब्दों में, सरप्लस के मामले में उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी पर ब्याज की आय को राजस्व अंतर की गणना के दौरान पहले ही समायोजित कर दिया गया है, लिहाजा उस हद तक संवहन लागत का निचले स्तर पर दावा किया गया है।


माननीय आयोग के ध्यानार्थ यह भी लाना है कि टीपीडीडीएल ने एआरआर के उद्देश्य से पहले ही एलपीएससी राशि (अर्थात देरी से भुगतान अधिभार पर ब्याज) की पेशकश की है।

विव 2011-12 के दौरान, टीपीडीडीएल ने आयकर वापसी की मद में 1.05 करोड़ रु प्राप्त किए हैं, लेकिन माननीय आयोग ने इसे विव 2009-10 के लिए स्वीकृत आयकर में समायोजित किया है। प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है :

"3.137 चूंकि आयोग ने विव 2009-10 के समायोजन के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा अदा की जाने वाली आयकर की पूरी राशि को मंजूरी दे दी है, आयोग ने विव 2010-11 के लिए स्वीकृत आयकर में से 1.05 करोड़ रु की रकम को घटा लिया है।"

साथ ही, माननीय आयोग ने टीपीडीडीएल को उपभोक्ताओं को सुरक्षा अभिरक्षा पर @ 6% सालाना की दर से ब्याज देने का निर्देश दिया है; अलबत्ता माननीय आयोग एआरआर के मकसद से सुरक्षा अभिरक्षा पर अदा की गई 3.50% सालाना ब्याज की दर तथा माननीय आयोग द्वारा कार्यशील पूंजी पर ब्याज की

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



दर के बीच अंतर के (i.e. 12.47% - 6%) पर एआरआर में समायोजन के मकसद से विचार कर सकता है।

माननीय आयोग द्वारा निम्न को मंजूरी देने पर विचार किया जा सकता है :

तालिका सं : 61 शेयरधारक फंड के लिए समायोजित आय

विवरण	करोड़ रु	टिप्पणी
शेयरधारकों के सरप्लस फंड पर अर्जित ब्याज के रूप में आय	(11.41)	खंड II का संलग्नक 8 देखें
घटा :		
सुरक्षा अभिरक्षा पर निम्नानुसार ब्याज की गणना	21.11	तालिका 62 देखें
सरप्लस जिस पर विचार किया जाना है	9.70	

तालिका सं : 62 सुरक्षा अभिरक्षा पर ब्याज में अंतर

विवरण	करोड़ रु	टिप्पणी
आरंभिक सुरक्षा अभिरक्षा	280.54	खंड II का संलग्नक 8 देखें
अन्तर्शेष सुरक्षा अभिरक्षा	372.29	खंड II का संलग्नक 8 देखें
औसत सुरक्षा अभिरक्षा	326.42	
माननीय आयोग द्वारा कार्यशील पूंजी पर स्वीकृत ब्याज और जमा पर अदा ब्याज के बीच अंतर @ 6.47% p.a. (12.47% - 6%)	21.11	तालिका सं 19 देखें


सी) सर्विस लाइन शुल्क की गणना

माननीय आयोग द्वारा निर्धारित नीति के मुताबिक, किसी वर्ष विशेष के लिए सर्विस लाइन शुल्क को 3 वर्षों की अवधि के लिए शुल्क निर्धारित के वास्ते आय के तौर पर लिया जाएगा; लिहाजा सर्विस लाइन शुल्क के संबंध में शुल्क निर्धारण की राशि की गणना निम्नानुसार की गई है :

तालिका सं : 63 सर्विस लाइन शुल्क की गणना

विवरण	करोड़ रु
खातों में आय के रूप में दर्शायी गई राशि	40.63
माननीय आयोग द्वारा पिछले शुल्क आदेशों में पालन किए गए सिद्धांत के अनुसार गैर-शुल्क आय ((जिस वर्ष में संग्रहित किया गया है उसके लिए 1/3वां तथा शेष 2/3वें को संग्रहण वर्ष के उपरांत दो किश्तों में)	
विव 2009-10 के लिए 32.43 करोड़ रु की एक तिहाई रकम	10.81
विव 2010-11 के लिए 35.55 करोड़ रु की एक तिहाई रकम	11.85

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



विवरण	करोड़ रु
विव 2011-12 के लिए 40.63 करोड़ रु की एक तिहाई रकम	13.54
विव 2011-12 के एआरआर के लिए विचारणीय रकम	36.20

डी) अन्य लाइसेंसशुदा व्यवसायों से आय

विकास के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के मकसद से, विभिन्न वितरण कंपनियों के बीच जानकारी और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करना, तथा उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की रणनीति के अनुरूप, टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं को बिजली वितरण के अलावा अन्य कई गतिविधियों के जरिए भी राजस्व अर्जन के संभावित अवसरों की तलाश कर रहा है।

टीपीडीडीएल ने बदलाव प्रबंधन, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, आईटी समाधानों के क्रियान्वयन आदि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है।

टीपीडीडीएल ने अन्य लाइसेंसशुदा कारोबारों जैसे प्रशिक्षण (1.82 करोड़ रु), वितरण परिसंपत्तियों के जरिए (0.58 करोड़ रु) तथा परामर्श आय (1.90 करोड़ रु) से कुल 4.29 करोड़ रु की आय अर्जित की है।

माननीय आयोग ने अपने पिछले शुल्क आदेश में इस बात पर जोर दिया है कि डिस्कॉम को राजस्व अर्जन के हर संभव उपायों की तलाश करनी चाहिए। यहां यह उल्लेखनीय है कि टीपीडीडीएल अतिरिक्त राजस्व कमाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यह भी निवेदन है कि अन्य स्रोतों से आय अर्जन के संबंध में माननीय आयोग द्वारा निर्धारित मुनाफा साझा करने का अनुपात 50:50 निर्धारित किया गया है। वितरण परिसंपत्तियों से प्राप्त आय के मामले में, 80:20 के अनुपात को मुनाफा साझा करने के लिए विचारणीय माना गया है।


अनुपात के संबंध में उक्त प्रस्ताव के आधार पर, टीपीडीडीएल ने एआरआर में 2.31 करोड़ रु को एनटीआई के तौर पर लेने की पेशकश की है। $((0.58 \times 80\% + (1.90 + 1.82) \times 50\%)$.

ई) एलपीएससी के लिए वित्तीय लागत

देरी से भुगतान पर अधिभार (एलपीएससी) उन उपभोक्ताओं द्वारा देय होता है जो भुगतान के लिए निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं करते हैं। यह राशि उपभोक्ताओं द्वारा समय पर भुगतान नहीं किए जाने की वजह से अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवश्यकता पर वहन अतिरिक्त ब्याज खर्च के रूप में कंपनी पर पड़ने वाले बोझ की पूर्ति करता है।

माननीय आयोग ने विव 2010-11 के समायोजन आदेश में यह माना है कि सामान्य क्रेडिट अवधि के भीतर उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान में देरी के चलते अतिरिक्त लागत का बोझ पड़ता है और इसे शुद्ध एलपीएससी (कुल एलपीएससी - एलपीएससी को अर्जित करने की लागत) के लिए विचार करते समय कुल एलपीएससी आय में से घटाया जाना चाहिए।

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर, एलपीएससी अर्जन की वित्तीय लागत इस प्रकार है :

तालिका सं : 64 एलपीएससी अर्जन के लिए वित्तीय लागत की गणना

क्र सं	विवरण	यूओएम	राशि
A	एलपीएससी अर्जन	करोड़ रु	21.14
B	डीईआरसी द्वारा निर्धारित देरी से भुगतान पर अधिभार दर	%	18% p.a
C	प्रमुख राशि (ऊर्जा तथा अन्य देय शुल्क) जिस पर उपरोक्त एलपीएससी लगाया गया (A/B)	करोड़ रु	117.44
D	वित्तीय लागत दर	%	12.78%
E	वित्तीय लागत (C*D)	करोड़ रु	15.01

छूट

माननीय एटीई ने अपील सं 153 वर्ष 2009 के संदर्भ में अपने फैसले में कहा है कि छूट की मद में प्राप्त आय को विद्युत क्रय लागत में से घटाया नहीं जा सकता। साथ ही, माननीय एटीई का कहना है कि 1 प्रतिशत तक छूट को गैर शुल्क आय माना जा सकता है। प्रासंगिक अंश यहां दिया जा रहा है :

"35. अतैव उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि छूट की आय को विद्युत कय लागत में से घटाना एमवाईटी प्रावधानों के विपरीत है। केवल 1 प्रतिशत तक छूट को ही गैर-शुल्क आय माना जा सकता है। लिहाजा, इस मामले का समुचित रूप से जवाब दे दिया गया है।" (बलपूर्वक)

माननीय आयोग ने दिनांक 26 अगस्त, 2011 के अपने शुल्क आदेश में उक्त आदेश को लागू नहीं किया क्योंकि आयोग ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला किया। इस अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लिहाजा माननीय आयोग से माननीय एटीई के आदेश को लागू करने का पुनः अनुरोध किया जाता है।

इसके अलावा, माननीय आयोग ने डीटीएल को देय ट्रांसमिशन शुल्क के तहत पेंशन ट्रस्ट को भुगतान की जाने वाली राशि को मंजूरी दी है। निवेदन है कि यह ट्रांसमिशन शुल्क का हिस्सा है, अतैव टीपीडीडीएल ने इस पर छूट का दावा किया है; अलबत्ता माननीय आयोग ने दिनांक अगस्त 2012 के अपने पत्र में डिस्कॉम को निर्देश दिया कि वह डीटीएल के एआरआर में पेंशन ट्रस्ट भुगतान के रूप में मंजूर राशि पर छूट का दावा नहीं करे। लिहाजा, टीपीडीडीएल डीटीएल को पेंशन ट्रस्ट पर छूट की रकम लौटा रहा है ताकि उसे पेंशन ट्रस्ट के तौर पर ही लिया जाए। चूंकि ट्रस्ट को राशि लौटा दी गई है, लिहाजा बिक्री को एनटीआई के तौर पर नहीं लिया गया है।

तालिका सं : 65 1% तथा 1% से अधिक की छूट का ब्रेकअप

विवरण	करोड़ रु
माननीय आयोग द्वारा एनटीआई के तौर पर समायोजन करने हेतु विचारणीय छूट	35.86
1% तक छूट (पेंशन ट्रस्ट से अलग)	29.21
पेंशन ट्रस्ट राशि पर छूट की रकम	0.14
1% से अधिक छूट	6.51

विव 2011-12 की राजस्व आवश्यकता

विद्युत कय लागत

विव 2011-12 के लिए विद्युत कय लागत के संदर्भ में, यह निवेदन है कि माननीय आयोग द्वारा विव 2011-12 के लिए स्वीकृत शुल्क आदेश में स्वीकृत 4.06 रु/यूनिट की औसत बिजली कय लागत के संदर्भ में विव 2011-12 में वास्तविक लागत 5.29 रु/यूनिट रही है। (कृपया निम्न तालिका 66 देखें)

विव 2011-12 के लिए माननीय आयोग द्वारा स्वीकृत विद्युत कय लागत तथा याचिकाकर्ता द्वारा विव 2011-12 में वहन की गई वास्तविक विद्युत कय लागत का संक्षिप्त ब्योरा निम्नानुसार है -

तालिका सं : 66 विव 2011-12 के लिए तुलनात्मक विद्युत कय लागत (माननीय आयोग द्वारा स्वीकृत बनाम वास्तविक लागत)

विवरण	दिनांक 26.08.11 के आदेश में डीईआरसी द्वारा स्वीकृत (A)			टीपीडीईएल द्वारा वास्तव में वहन किया गया (B)			अंतर (B-A)	
	एमयू	राशि (करोड़ रु)	औसत दर	एमयू	राशि (करोड़ रु)	औसत दर	एमयू	राशि (करोड़ रु)
सीएसजीएस से क्रय बिजली *	8913.39	2862.75	3.21	6619.15	2535.41	3.85	(2294.24)	(327.34)
अंतर-राज्यीय दिवपक्षीय खरीद				635.11	250.52	3.94	635.11	250.52
पीजीसीआईएल घाटे	(395.75)			(247.49)			148.16	0.00
दिल्ली जेनको से विद्युत क्रय #	2320.74	903.98	3.90	2257.67	1053.89	4.66	(63.07)	149.91
राज्य के भीतर विद्युत क्रय				61.00	23.20	3.80	61.00	23.20

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



विवरण	दिनांक 26.08.11 के आदेश में डीईआरसी द्वारा स्वीकृत (A)			टीपीडीडीएल द्वारा वास्तव में वहन किया गया (B)			अंतर (B-A)	
	एमयू	राशि (करोड़ रु)	औसत दर	एमयू	राशि (करोड़ रु)	औसत दर	एमयू	राशि (करोड़ रु)
दिल्ली पेरीफेरी में उपलब्ध बिजली	10,838.38	3,766.73	3.48	9,325.34	3,863.02	4.14	(1513.04)	96.29
डीटीएल घाटा	(138.73)			(98.43)			40.30	0.00
डिस्कॉम के लिए उपलब्ध बिजली	10699.65	3766.73	3.52	9226.91	3863.02	4.19	(1472.74)	96.29
घटा : बेची गई अतिरिक्त बिजली /बैंकड/यूआई बिक्री	(2770.58)	(997.37)	3.60	(1680.42)	(494.10)	2.94	1090.16	503.27
टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध बिजली	7929.07	2769.36	3.49	7546.49	3368.93	4.46	(382.58)	599.57
ट्रांसमिशन शुल्क								
पीजीसीआईएल शुल्क तथा यूएलडीसी शुल्क		140.54			215.68			75.14
डीटीएल/एसएलडी सी शुल्क		308.77			405.69			96.92
अन्य ट्रांसमिशन शुल्क					4.85			4.85
टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक बिजली	7,929.07	3,218.67	4.06	7,546.49	3,995.15	5.29	(382.58)	776.48

* दादरी प्लांट शामिल


दादरी प्लांट को छोड़कर

नोट 1 : उक्त खर्च में करीब 311 करोड़ रु की बकाया राशि शामिल (सीएसजीएस के लिए 145 करोड़ रु, राज्यों के उत्पादन संयंत्रों के लिए 50 करोड़ रु और 116 करोड़ रु पीजीसीआईएल तथा डीटीएल के लिए)

नोट 2 : उक्त तालिका में टीपीडीडीएल रिटाला जेनरेशन (करीब 181 करोड़ रु) और टीपीडीडीएल सोलर जेनरेशन (करीब 3.25 करोड़ रु) के लिए ऊर्जा तथा लागत भी शामिल है

माननीय आयोग द्वारा प्लांट के आधार पर शुद्ध विद्युत क्रय की वास्तविक और अनुमानित लागत तथा ऊर्जा आपूर्ति का विवरण आगे के पैराग्राफ में दिया गया है।

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



बिजली खरीद की कीमतों में वित्त वर्ष 2011-12 के लिए हुई भारी बढ़ोतरी के विभिन्न कारण इस प्रकार हैं :-

- ए) मौजूदा संयंत्रों से बिजली खरीद की कीमतों में वृद्धि, कोयले की कीमत के भारी वृद्धि
- बी) मौजूदा संयंत्रों खासकर कोयला आधारित संयंत्रों से कम आपूर्ति जो कि माननीय आयोग के आदेश के खिलाफ है। इसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय स्रोतों और ट्रेडिंग कंपनियों से अधिक बिजली लेनी पड़ी और बिजली का आदान-प्रदान ऊंची दर पर हुआ।
- सी) नए उत्पादन केन्द्रों का वास्तविक शुल्क माननीय आयोग द्वारा अनुमानित शुल्क से कई ज्यादा है।
- डी) लाइसेंस एरिया से बाहर अतिरिक्त बिजली की कम दर पर बिक्री
- ई) सीईआरसी के 2009-14 तक लागू नियामकों पर आधारित शुल्क आदेश के कारण पिछले वर्ष का बकाया मौजूदा वर्ष (वित्त वर्ष 11-12) में जोड़ा गया।

वित्त वर्ष 11-12 में वास्तविक बिजली खरीद की कीमत 3,995.15 करोड़ रुपए रही। टीपीडीडीएल की परिधि में 7546.49 एमयू (5.29 रुपए प्रति यूनिट) की खपत हुई और उपभोक्ताओं को मुहैया कराई गई जबकि 4.06 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 7929.07 एमयू के लिए 3,218.67 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था।

इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि दिल्ली एसएलडीसी ने यूआई और इंट्रास्टेट बिलों को जारी करने में लगभग 2-3 महीने की देरी की थी। इसलिए वित्त वर्ष 2011-12 के लिए खातों को अंतिम रूप देते समय पूरे वर्ष के लिए यूआई और इंट्रास्टेट बिल जारी नहीं किए गए थे। डीपीडीडीएल उन महीनों के लिए प्रावधान किया है जिन महीनों में यूआई और इंट्रास्टेट बिल जारी नहीं किए गए हैं। इस विधि को संवैधानिक लेखागारों ने मंजूरी दी है। वित्त वर्ष 2011-12 में खपत में ब्रेकअप इस प्रकार है:

तालिका सं 67 : विद्युत कय का संक्षिप्त ब्योरा

विव 11-12 के लिए	एमयू
दिल्ली एसएलडीसी यूआई बिल की वास्तविक मांग के अनुसार*	7307.51
रिठाला उत्पादन	237.50
सोलर उत्पादन	1.49
कुल खपत	7546.49

*मार्च 12 की खपत अस्थायी

अंतिम आरईए के मुताबिक वास्तविक खपत 7,310.16 एमयू है जबकि खातों में इसे 7,307.51 माना गया है। इसलिए एटी एंड सी गणना के लिए टीपीडीडीएल की परिधि में कुल खपत 7,549.60 मानी गई है।

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



वास्तविक खर्च के साथ संबंधित फॉर्म यानि फॉर्म एफ1, एफ1ए, एफ1सी, एफ1डी और एफ1ई को यहां संलग्न किया गया है।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न स्रोतों से खरीदी गई कुल बिजली का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है:

I. दिल्ली आधारित उत्पादन कंपनियों (दादरी सहित) से ऊर्जा उपलब्धता

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान डीपीडीडीएल को दिल्ली आधारित बिजली केन्द्रों और एनटीपीसी के दादरी स्थित सीएसजीएस से उपलब्ध वास्तविक कुल बिजली और कुल कीमत तथा माननीय आयोग द्वारा अनुमानित बिजली एमयू तथा कीमत को निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका सं : 68 विव 2011-12 के लिए आदेश में दिल्ली उत्पादन कंपनियों से अनुमानित बिजली उपलब्धता तथा वास्तविक की स्थिति

उत्पादन स्टेशन	समायोजन आदेश में अनुमानित (A)			वास्तविक (B)			अंतर (B-A)	
	एमयू	करोड़ रु	औसत दर	एमयू	करोड़ रु	औसत दर	एमयू	करोड़ रु
बीटीपीएस	1107.6	442.6	4.00	940.50	408.97	4.35	(167.10)	(33.63)
राजघाट	220.22	106.18	4.82	200.65	107.69	5.37	(19.57)	1.51
दादरी I	1356.69	424.25	3.13	1242.62	510.32	4.11	(114.07)	86.07
दादरी चरण II	1497.29	508.72	3.40	1618.47	715.27	4.42	121.18	206.55
जीटी	484.8	204.66	4.22	333.74	158.03	4.74	(151.06)	(46.63)
पीपीसीएल	508.11	150.55	2.96	512.98	171.30	3.34	4.87	20.75
टीपीडीडीएल जी-सोलर				1.49	3.24	21.73	1.49	3.24
टीपीडीडीएल जी-रिठाला				232.41	180.70	7.78	232.41	180.70
कुल	5174.71	1836.96	3.55	5082.86	2255.52	4.44	(87.42)	418.56

दिल्ली की बिजली उत्पादन कंपनियों में बीटीपीएस, आरपीएच, दादरी प्रथम और जीटी ने अनुमान से लगभग 450 एमयू कम बिजली दी। इसका मुख्य कारण दिल्ली आधारित उत्पादन कंपनियों का कम पीएलएफ है।


II. केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन केन्द्रों (सीएसजीएस) से ऊर्जा उपलब्धता

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान डीपीडीडीएल को केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन केन्द्रों से उपलब्ध वास्तविक कुल बिजली और कुल कीमत तथा माननीय आयोग द्वारा अनुमानित बिजली एमयू तथा कीमत को निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका सं : 69 विव 2011-12 के लिए आदेश में सीएसजीएस से अनुमानित बिजली उपलब्धता तथा वास्तविक की स्थिति

उत्पादन स्टेशन	समायोजन आदेश में अनुमानित (A)			वास्तविक (B)			अंतर (B-A)	
	एमयू	करोड़ रु	औसत दर	एमयू	करोड़ रु	औसत दर	एमयू	करोड़ रु
एनटीपीसी								
सिंगरौली	340.87	62.27	1.83	329.65	65.30	1.98	(11.22)	3.03
रिहंड -I	227.86	45.51	2.00	227.18	54.90	2.42	(0.68)	9.39
रिहंड -II	300.63	66.26	2.20	277.12	65.65	2.37	(23.51)	(0.61)
ऊंचाहार -I	53.56	14.48	2.70	48.11	17.98	3.74	(5.45)	3.50
ऊंचाहार -II	106.47	30.01	2.82	94.75	34.86	3.68	(11.72)	4.85
ऊंचाहार -III	65.36	20.91	3.20	63.97	29.10	4.55	(1.39)	8.19
अंटा गैस	76.75	24.69	3.22	63.29	33.24	10.81	(13.46)	8.55
औरेया गैस	131.36	37.83	2.88	91.42	37.43	4.09	(39.94)	(0.40)
दादरी गैस	169.11	47.58	2.81	133.82	52.39	3.91	(35.29)	4.81
फरक्का	40.23	14.93	3.71	26.40	13.02	4.93	(13.83)	(1.91)
कहलगांव -I	84.81	27.39	3.23	77.34	33.66	4.35	(7.47)	6.27
कहलगांव -II	266.33	91.06	3.42	209.06	85.63	4.10	(57.27)	(5.43)
एनटीपीसी कुल	1863.34	482.92	2.59	1642.11	523.16	3.25	(221.23)	40.25
एनएचपीसी								
बैरा सियुल	24.84	3.39	1.36	23.00	6.82	2.96	(1.84)	3.43
सलल -I	103.46	8.98	0.87	109.67	14.82	1.35	6.21	5.84
एचईपी								
टनकपुर एचईपी	16.73	3.45	2.06	14.94	6.20	4.15	(1.79)	2.75
चमेरा -I एचईपी	37.91	6.69	1.76	61.09	13.13	2.15	23.18	6.44
चमेरा -II एचईपी	59.21	16.78	2.83	62.60	21.09	3.37	3.39	4.31
उड़ी एचईपी	82.35	12.03	1.46	86.61	30.43	3.51	4.26	18.40

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



उत्पादन स्टेशन	समायोजन आदेश में अनुमानित (A)			वास्तविक (B)			अंतर (B-A)	
	एमयू	करोड़ रु	औसत दर	एमयू	करोड़ रु	औसत दर	एमयू	करोड़ रु
धौलीगंगा	44.2	12.11	2.74	46.52	24.58	5.28	2.32	12.47
सेवा II	13.38	8.88	6.64	22.33	10.28	4.60	8.95	1.40
दुलहस्ती एचईपी	72.2	42.58	5.90	85.21	75.98	8.92	13.01	33.40
एनएचपीसी कुल	454.28	114.89	2.53	511.97	203.33	3.97	57.69	88.44
अन्य								
नाथपा झाकड़ एचईपी	194.67	42.07	2.16	218.72	56.97	2.60	24.05	14.90
टिहरी -I एचईपी	84.83	21.79	2.57	123.53	54.67	4.43	38.70	32.88
मेजिया 6	198.26	67.41	3.40	182.69	72.53	3.97	(15.57)	5.12
ताला एचईपी	34.15	6.28	1.84	29.23	5.41	1.85	(4.92)	(0.87)
अन्य कुल	511.91	137.55	2.69	554.16	189.58	3.42	42.25	52.03
परमाणु								
एनएपीएस	54.77	11.18	2.04	53.84	14.93	2.77	(0.93)	3.75
आरएपीएस 5 & 6	95.17	28.74	3.02	131.13	48.63	3.71	35.96	19.89
परमाणु कुल	149.94	39.92	2.66	184.97	63.57	3.44	35.03	23.65
कुल मौजूदा स्टेशन	2979.47	775.28	2.60	2893.21	979.64	3.42	(86.26)	204.36

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि आयोग ने सीएसजीएस ने 2,979 एमयू बिजली मिलने का अनुमान लगाया था लेकिन वित्त वर्ष 2011-12 के लिए सीएसजीएस से उपलब्ध वास्तविक बिजली 2,893 एमयू थी।

इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कोयला/गैस आधारित केन्द्रों ने अनुमानित एमयू से कम एमयू बिजली की आपूर्ति की। अंटा, औरैया और दादरी को उनकी क्षमता की 50 से 60 प्रतिशत एपीएम गैस आवंटित की गई। बाकी क्षमता आरएलएनजी/लिंग्विड गैस के पास उपलब्ध थी जो कि ऊंची कीमत के कारण अनुसूचित नहीं थी। कोयला आधारित केन्द्रों में फरक्का और कहलगांव द्वितीय को वित्त वर्ष 11-12 में सर्दियों के महीनों में पुनर्आवंटन किया गया क्योंकि (ए) टीपीडीडीएल के पास सर्दियों में अतिरिक्त बिजली थी (बी) केन्द्रों की अस्थिर कीमतें मार्केट की बिक्री दर/युआईएल से ऊंची थीं।

यहां इस बात का भी उल्लेख करना जरूरी है कि एनएचपीसी, एसजेएनएल और टीएचडीसी के जलविद्युत केन्द्रों में बिजली की दर अनुमानित दरों से अधिक थी।

III. नए उत्पादन केन्द्रों से बिजली की उपलब्धता

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान डीपीडीडीएल को नए उत्पादन केन्द्रों से उपलब्ध वास्तविक कुल बिजली और कुल कीमत तथा माननीय आयोग द्वारा अनुमानित बिजली एमयू तथा कीमत को निम्न तालिका में दिया गया है:

तालिका सं : 70 नए उत्पादन केन्द्रों से विव 11-12 के लिए अनुमानित ऊर्जा उपलब्धता बनाम वास्तविक

नए उत्पादन स्टेशन	डू-अप आदेश में अनुमानित (A)			वास्तविक (B)			अंतर (B-A)	
	एमयू	करोड़ रु	औसत दर	एमयू	करोड़ रु	औसत दर	एमयू	करोड़ रु
एपीसीएल झज्जर (यूनिट 1 & 2)	590.7	277.58	4.70	128.54	84.29	6.56	(462.16)	(193.29)
कोटेश्वर	24.13	8.45	3.50	16.28	8.10	4.97	(7.85)	(0.35)
पीपीसीएल बवाना	180.47	73.45	4.07	35.91	23.95	6.67	(144.56)	(49.50)
सीएलपी झज्जर	39.03	13.07	3.35	3.34	1.07	3.20	(35.69)	(12.00)
चमेरा III	4.22	1.48	3.51	0.00	0.00	0.00	(4.22)	(1.48)
उड़ी II	3.27	1.14	3.49	0.00	0.00	0.00	(3.27)	(1.14)
मैथॉन	1,052.46	376.78	3.58	503.35	154.75	3.07	(549.11)	(222.03)
चंद्रपुरा (डीवीसी)	359.96	122.38	3.40	213.36	82.06	3.85	(146.60)	(40.32)
कुल	2254.24	874.33	3.88	900.76	354.21	3.93	(1353.48)	(520.12)

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि आयोग ने नए सीएसजीएस ने 2254 एमयू बिजली मिलने का अनुमान लगाया था लेकिन टीपीडीडीएल को महज 901 एमयू मिली। इसके कारण इस प्रकार है :

1. एपीसीपीएल यूनिट 1 पूरे वर्ष पुर्नआवंटन किया गया क्योंकि (ए) टीपीडीडीएल के पास सर्दियों में अतिरिक्त बिजली थी (बी) केन्द्रों की अस्थिर कीमतों मार्केट की बिक्री दर/यूआई दर से ऊंची थीं। यूनिट 2 से ऊंची अस्थिर कीमतों के कारण ज्यादातर समय कम ही उत्पादन हुआ।
2. पीपीसीएल बवाना से ऊंची अस्थिर कीमतों के कारण साल में ज्यादातर समय कम ही उत्पादन हुआ। इसके एक खंड के वित्त वर्ष 11-12 में शुरू होने की उम्मीद थी लेकिन केवल आधे खंड (1जीटी और आधा एसटीजी) को ही शुरू किया जा सका।
3. सीएलपी झज्जर से भी वर्ष की शुरुआत में अनुमान से कम बिजली मिली क्योंकि उसके पास कोयले की पर्याप्त उपलब्धता नहीं थी।
4. चंदपुरा यूनिट 7 के शुरू होने में देरी की वजह से डीवीसी ने भी अनुमान से कम बिजली की आपूर्ति की।

लेकिन मैथॉनन के शुरू होने में देरी के कारण (यह अप्रैल 12 की बजाय सितंबर 12 के मध्य में शुरू हुआ) पीपीए की शर्तों के मुताबिक मैथन की जगह टीपीटीसीएल ने टीपीडीडीएल को 569 एमयू बिजली दी। ऐसे में वित्त वर्ष 2011-12 के लिए मैथन से मंजूर की गई एमयू और प्राप्त हुई वास्तविक बिजली में अंतर हो सकता है।

पारेषण शुल्क

माननीय आयोग ने पिछले बकाए के लिए 62.63 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। डीटीएल ने बिल और ब्याज बढ़ाकर 18.70 करोड़ रुपए कर दिया है। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 11-12 में इसका भुगतान किया है। इसे पारेषण बकाए में शामिल किया गया है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 2011-12 के लिए कुल बिजली खरीद की कीमत 5.29 रुपए प्रति यूनिट रही जबकि माननीय आयोग ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए अपने टैरिफ ऑर्डर में 4.06 रुपए प्रति यूनिट का अनुमान लगाया था।

बिजली खरीद के लिए प्रावधान

माननीय आयोग ने अपने पिछले आदेश में इस बात का उल्लेख किया था कि वह उन बिलों के लिए बिजली खरीद के प्रावधान की अनुमति देगा जिन्हें अप्रैल महीने में एडजस्ट किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि खातों को एकाउंटिंग के मानकों के आधार पर तैयार किया गया है इसलिए ऐसी खपत के लिए भी प्रावधान किया गया है जिनका एटीएंडसी के लिए भुगतान नहीं किया गया है। इसके लिए कुल इनपुट यूनिट को आधार बनाया गया है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि कुल बिजली खरीद

कीमत को स्वीकार करे। इसके अलावा वित्त वर्ष 2010-11 के लिए माननीय आयोग ने 26.32 करोड़ रुपए की बिजली खरीद के प्रावधान को टाल दिया था उसे भी इस याचिका में शामिल किया गया है।

नियंत्रण योग्य व्यय

निम्न के अलावा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए माननीय आयोग द्वारा अगस्त 2011 के टैरिफ ऑर्डर में मंजूर किए गए नियंत्रण लायक खर्चों को शामिल किया गया है:

1. मासिक पेंशन/वीएसएस कर्मचारियों के एलटीए खर्चों का समायोजन
2. पेंशन पर एफिशंसी फैक्टर में संशोधन/ वीएसएस कर्मचारियों के एलटीए खर्च
3. उन कर्मचारियों का छठे वेतन आयोग का बकाया जिन्होंने 01.01.2006 के बाद इस विकल्प को चुना था।

मासिक पेंशन/वीएसएस कर्मचारियों का एलटीए खर्च के साथ एफिशंसी फैक्टर

माननीय आयोग ने अस्थाई तौर पर वीएसएस कर्मचारियों के लिए 6.06 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। विव 2011-12 का वास्तविक व्यय 6.90 करोड़ रुपए है। माननीय आयोग से इसे समायोजित करने का आग्रह है।

चूंकि यह मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन है इसलिए माननीय आयोग वास्तविक फैसले के आधार पर आंकड़ों को संशोधित कर सकता है।

इसके अलावा जैसे कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि माननीय आयोग ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एफिशंसी फैक्टर को वीएसएस खर्चों पर लागू नहीं किया जाएगा इसलिए एफिशंसी फैक्टर की पुनर्गणना की गई है।


01.01.2006 के बाद छठे वेतन आयोग का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों का बकाया

जैसे ही पहले बताया जा चुका है कि डीटीएल कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कर्मचारियों ने छठे वेतन आयोग के विकल्प को 01.01.2006 के बजाए बाद की तारीख में चुना था। माननीय आयोग से अनुरोध है कि इसके लिए 0.77 करोड़ रुपए के प्रावधान की अनुमति दे (तालिका संख्या 16 के हवाले से)।

तालिका 71 : संशोधित ओ एवं एम व्यय

विवरण	करोड़ रु	टिप्पणी
सकल वेतन	202.81	दिनांक 13.07.12 के शुल्क आदेश के अनुसार
छठे वेतन आयोग का प्रभाव	0.77	तालिका सं 16 देखें
पेंशन	6.90	अंकेक्षित बैलेन्स शीट में नोट 30 देखें
मरम्मत एवं रखरखाव व्यय	95.26	शुल्क आदेशानुसार
प्रशासनिक व्यय	37.29	शुल्क आदेशानुसार
व्यय पूंजीकरण	(13.41)	शुल्क आदेशानुसार

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



विवरण	करोड़ रु	टिप्पणी
कुल ओ एवं एम व्यय	329.62	
कुशलता घटक@ 4% पेंशन को छोड़कर	12.91	
शुद्ध ओ एवं एम व्यय	316.71	

वित्त वर्ष 2008 में शुरू किए गए और वित्त वर्ष 2011-12 तक जारी नए कदमों और वित्त वर्ष 2011-12 में उठाए गए नए कदमों का समायोजन और अन्य नियंत्रण से बाहर वाले खर्चे

माननीय आयोग ने एमवाईटी ऑर्डर के पैरा 4.156 के मुताबिक टीपीडीडीएल को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को ऐसे खर्चों की लागत और लाभ के आकलन पर आधारित किसी भी नए कदम की योजना के बारे में पूर्व मंजूरी लेनी होगी। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2007-08 में कुछ कदम उठाए थे जिन्हें माननीय आयोग ने मई 2009, अगस्त 2011 और जुलाई 2012 के आने टैरिफ ऑर्डर में मंजूरी दी थी। एमवाईटी ऑर्डर का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

"4.156 इस तरह उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग का मानना है कि याचिकाकर्ता को अपनी व्यवस्था में कुशलता लाने का प्रयास करना चाहिए और दिल्ली के उपभोक्ताओं को अकर्मण्यता से निजात दिलानी चाहिए। आयोग साथ ही याचिकाकर्ता को निर्देश देता है कि वह कोई भी नया कदम उठाने से पहले बाकायदा लागत लाभ का आकलन करे और इसे मंजूरी के लिए आयोग के समक्ष पेश करे।"

वित्त वर्ष 2008 से वित्त वर्ष 2012 में शुरू किए गए कदमों तथा वित्त वर्ष 2012 तक जारी रहे कदमों एवं वित्त वर्ष 12 में उठाए गए नए कदम इस प्रकार हैं:

1. सीआईएसएफ/सुरक्षा खर्च

बिजली की चोरी को रोकने के लिए वित्त वर्ष 2007-08 में टीपीडीडीएल को सीआईएसएफ मुहैया कराई गई थी। सीआईएसएफ वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान भी उपलब्ध रही। लेकिन जून 2009 में सरकार ने सीआईएसएफ की सेवाएं हटा लीं।

जैसे कि माननीय आयोग इस बात से वाकिफ है कि बिजली की चोरी रोकने के लिए सुरक्षा सबसे अहम है ऐसे में सीआईएसएफ को हटाए जाने से टीपीडीडीएल को सीआईएसएफ के स्थान पर दूसरे बलों के जवानों को तैनात करना पड़ा। टीपीडीडीएल वित्त वर्ष 09-10 के दौरान आंशिक रूप से सीआईएसएफ के स्थान पर दूसरे सुरक्षाकर्मियों की सेवाएं ली और वित्त वर्ष 2011-12 तक इसी नीति को बरकरार रखा। माननीय आयोग ने जुलाई 2012 के अपने आदेश में इसके समायोजन को मंजूरी दी थी। टीपीडीडीएल ने इस मद में 0.60 करोड़ रुपए का खर्च उठाया है।

यहां इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि वित्त वर्ष 2011-12 में चोरी के मामलों में 25.42 करोड़ रुपए की उगाही की गई।

2. बिजली की खरीद फरोख्त/अन्य संबंधित खर्च

माननीय आयोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि 01 अप्रैल, 2007 से पहले बिजली खरीदने की जिम्मेदारी सरकारी कंपनी दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (डीटीएल) की थी जिसे 01 अप्रैल, 2007 के बाद टीपीडीडीएल (और अन्य वितरण लाइसेंसधारियों) को सौंपा गया था।

टीपीडीडीएल ने मार्केट के अनुरूप और पारदर्शी व्यवस्था के तहत उचित दामों पर बिजली खरीदने के लिए वित्त वर्ष 2008-09 में भारतीय ऊर्जा विनियम, बिजली विनियम की सदस्यता स्वीकार की।

वित्त वर्ष 10-11 के दौरान टीपीडीडीएल भारतीय बिजली विनियम (पीएक्सआईएल) की भी सदस्य बनी। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2011-12 में पीएक्सआईएल को 0.03 करोड़ रुपए और आईईएक्सएल को 0.06 करोड़ रुपए वार्षिक फीस दी।

कीमत व्यवस्था में पारदर्शिता के अलावा इसके तहत खरीदी गई बिजली की विनियम दर 0.01 रुपए प्रति यूनिट रही जबकि ट्रेडर के माध्यम से खरीदी गई बिजली की विनियम दर 0.04 रुपए प्रति यूनिट थी। इस तरह बिजली खरीद में बचत की गई।

इसलिए टीपीडीडीएल 0.09 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि को समाहित करने की अनुमति दी जाए।

3. क्रेडिट रेटिंग

माननीय आयोग ने याचिकाकर्ता को अपनी क्रेडिट रेटिंग करने का आदेश दिया है। क्रेडिट रेटिंग को पहली बार वित्त वर्ष 2007-08 में किया गया था और बाद में उसकी वार्षिक निगरानी लागत को वित्त वर्ष 2006-07 की मूल एंजिनी लागत में शामिल नहीं किया गया था जिसकी अलग से अनुमति दिए जाने की जरूरत है।

यहां इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि आरबीआई ने न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क को लागू किए जाने के बारे में अप्रैल, 2007 में दिशानिर्देश जारी किए थे जो कि व्यावसायिक बैंकों को क्रेडिट रिस्क के संबंध में पूंजी आवंटित करने की अनुमति देता हैं। इस मामले में क्रेडिट रिस्क बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे आईसीआरए, क्रिसिल आदि द्वारा जारी रेटिंग के आधार पर तय किया जाएगा। ऋणदाता द्वारा लगाई गई ब्याज दर और ऊंची होती अगर कंपनी ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग नहीं कराई होती।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में यह अनुरोध है कि 0.96 करोड़ रुपए की निगरानी फीस को वित्त वर्ष 2011-12 के एआरआर में शामिल करने की अनुमति दी जाए। माननीय आयोग ने अपने पिछले आदेशों में क्रेडिट रेटिंग खर्चों को अतिरिक्त खर्चा माना है।

4. डीपीसीएल के जमाने के विधिक खर्च

ट्रांसफर स्कीम के मुताबिक जुलाई 2002 पहले के किसी भी मुकदमे या दावे संबंधी किसी भी खर्च के लिए डिस्कॉम की देनदारी एक करोड़ रुपए तक सीमित रहेगी। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान टीपीडीडीएल ने इस मद में 0.30 करोड़ रुपए खर्च किए। इस मद पर वित्त वर्ष 2006-07 (मूल वर्ष) में यह राशि 0.06 करोड़ रुपए थी। माननीय आयोग के एमवाईटी ऑर्डर को लागू करने के बाद वित्त वर्ष 2011-12 के लिए इस मद में 0.08 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि वित्त वर्ष विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



11-12 में खर्च की गई 0.22 करोड़ रुपए (0.30 करोड़ रुपए – 0.08 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त राशि को समाहित करने की अनुमति दी जाए।

5. लेखागार के प्रमाणपत्र की लागत

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान माननीय आयोग ने कुछ आंकड़ों की सत्यता, बिजली खरीद कीमत, बिलिंग डेटा, सब्सिडी प्रमाणपत्रों को कंपनी के ऑडिटर से प्रमाणित करने का निर्देश दिया है। टीपीडीडीएल ने इस मद में 0.03 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वित्त वर्ष 2006-07 के मूल खर्च में ऑडिटर के प्रमाणपत्र का खर्च शामिल नहीं है और ऐसे में माननीय आयोग इसे शामिल करने की अनुमति दे सकता है जैसे कि उसने अपने पिछले समायोजन आदेशों में किया था।

6. बिजली बिल पर लाइसेंस फीस

वितरण एवं खुदरा आपूर्ति लाइसेंस के नियम 12.1 के मुताबिक याचिकाकर्ता को पिछले वर्ष के बिल की कुल राशि के 0.05 प्रतिशत का भुगतान लाइसेंस फीस के तौर पर माननीय आयोग को करना होगा। चूंकि इसका सीधा संबंध बिक्री से है जो कि नियंत्रण से बाहर है और इसका समायोजन किया जाना है। ऐसे में लाइसेंस फीस को भी समायोजित करने की जरूरत है।

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान इस मद में खर्च की गई कुल वास्तविक राशि 1.49 करोड़ रुपए थी। माननीय आयोग ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए 1.13 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2006-07 – खर्च की गई राशि 0.94 करोड़ रुपए गुणा 1.0466 गुणा 1.0466 गुणा 1.0466 गुणा 96 प्रतिशत) लाइसेंस फीस की अनुमति दी है।

यहां इस बात का उल्लेख जरूरी है कि वितरण एवं खुदरा आपूर्ति लाइसेंस के नियम 12.4 के मुताबिक लाइसेंसधारी को माननीय आयोग को भुगतान की गई वास्तविक लाइसेंस फीस की उगाही करने का अधिकार होगा। इस संबंध में प्रासंगिक पैरा इस प्रकार है:

“लाइसेंसधारी को नियम 12 के तहत अदा की गई किसी भी फीस को नियम 24 के मुताबिक राजस्व का निर्धारण करते समय बतौर खर्च शामिल करने का अधिकार होगा लेकिन इसमें नियम 12.3 के तहत अदा किया गया ब्याज शामिल नहीं होगा।”

इस तरह इस मद में खर्च की गई अतिरिक्त राशि 0.40 करोड़ रुपए है। इसे वित्त वर्ष 2011-12 में एआरआर में शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है।

8. सामग्री खरीदने के लिए टेंडर खर्च

माननीय आयोग ने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान प्रतिस्पर्द्धी निविदा दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें 0.25 करोड़ रुपए से अधिक कीम वाली सामग्री/सेवा को खुली टेंडर प्रक्रिया से खरीदे जाने का प्रावधान था। बाद में माननीय आयोग ने 09.10.2009 के अपने संशोधित दिशानिर्देशों में 0.25 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया था।

इसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2009-10 के बाद विज्ञापन खर्च बढ़ गया क्योंकि पहले ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। सामग्री/सेवाओं को प्रतिस्पर्द्धी दर पर हासिल किया गया जबकि खुली टेंडर प्रक्रिया अनिवार्य नहीं थी।

माननीय आयोग के आदेश के बाद यह अतिरिक्त खर्च जरूरी हो गया है और ऐसे टीपीडीडीएल को इस मद के लिए 0.28 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की अनुमति दी जाए जो कि वित्त वर्ष 11-12 के दौरान खुली टेंडर प्रक्रिया के लिए विज्ञापन पर खर्च की गई।

9. खाद्य भत्ता

डीटीएल ने अपने 15/04/10 के परिपत्र में हर कर्मचारी को 01.04.10 से प्रतिमाह 500 रुपए का खाद्य भत्ता देने का ऐलान किया था जिसे टीपीडीडीएल को भी लागू करना पड़ा। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान एफआरएसआर स्ट्रक्चर के तहत अपने कर्मचारियों को चाय/भोजन के भत्ते के रूप में 1.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया। टीपीडीडीएल हर कर्मचारी को हर महीने 125 रुपए चाय भत्ता दे रही थी। क्योंकि टीपीडीडीएल हर कर्मचारी को प्रतिमाह 125 रुपए दे रही थी इसलिए उसने अब उपर्युक्त परिपत्र के आधार पर हर कर्मचारी के लिए इस भत्ते को बढ़ाकर प्रतिमाह 500 रुपए कर दिया है। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2006-07 में इस मद में 0.39 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसलिए वित्त वर्ष 2010-11 में इसके लिए अतिरिक्त 0.79 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की जरूरत है।

वित्त वर्ष 2010-11 में अदा की गई वास्तविक रकम : 1.26 करोड़ रुपए

एआरआर में शामिल रकम : 0.39 करोड़ रुपए गुणा 0.94 करोड़ रुपए गुणा 1.0466 गुणा 1.0466 गुणा 1.0466 गुणा 1.0466 = 0.49 करोड़ रुपए

अंतर : 0.79 करोड़ रुपए

10. शिक्षा भत्ता

भारत सरकार ने दो सितंबर, 2008 की अपनी अधिसूचना के तहत हर बच्चे के लिए शिक्षा भत्ता (दो बच्चों के लिए) 40 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2010-11 में इसे लागू कर दिया है। टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 11-12 में इस मद पर 1.41 करोड़ रुपए खर्च किए जो कि मूल वर्ष यानी वित्त वर्ष 2006-07 से अधिक है।

माननीय आयोग ने अपने पिछले आदेश में इस बात का उल्लेख किया था कि बच्चों का शिक्षा भत्ता को छठे वेतन आयोग के बकाए के समायोजन में शामिल करने की अनुमति दे दी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2010-11 में बच्चों के लिए शिक्षा भत्ते को लागू किया था जबकि बकाया वित्त वर्ष 2009-10 के लिए था। माननीय आयोग को सौंपी गई पत्र की प्रतिलिपि में इस बात को रेखांकित किया गया है कि छठे वेतन आयोग के बकाए में बच्चों का शिक्षा भत्ता शामिल नहीं था। संदर्भ के लिए उसकी प्रतिलिपि यहां संलग्न है (खंड II तालिका 9)

11. कानूनी खर्चे

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान टीपीडीडीएल ने संपत्ति कर विवाद, बिजली खरीद से संबंधित मामलों, पिछली देनदारी (01.07.2002 से पहले) से संबंधित मुद्दों और माननीय आयोग की आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों पर खर्च किया है। इस बात को माना जाना चाहिए कि उपर्युक्त खर्चे नियंत्रण से बाहर की परिधि में हैं।

संपत्ति कर: एमसीडी जीएनसीटीडी द्वारा लाइसेंस के आधार पर ट्रांसफर की गई जमीन और भवनों पर संपत्ति कर की मांग कर रही है जबकि टीपीडीडीएल एमसीडी के इस दावे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही है क्योंकि एमसीडी इस भूमि का मालिकाना हक नहीं रखती है। अगर संपत्ति कर में कोई देनदारी बनती है तो इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं के फायदे के लिए यह कानूनी लड़ाई लड़ रही है। चूंकि कंपनी उपभोक्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ रही है इसलिए उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ डालने से बेहतर है कि इस मामले से संबंधित कानूनी खर्च के लिए अलग से प्रावधान किया जाए।

बिजली खरीद से संबंधित मामलों और माननीय आयोग की आदेशों पर खर्च: टीपीडीडीएल को दिल्ली की बिजली उत्पादन कंपनियों और बिजली आपूर्ति करने वाली अन्य कंपनियों के आदेशों और इससे संबंधित मुद्दों तथा उनके खिलाफ दायर अपीलों से जूझना पड़ रहा है। इतना ही नहीं टीपीडीडीएल ने माननीय आयोग के कई आदेशों के खिलाफ भी अपील दायर की है। ये मामले मतांतर या अलग-अलग कानूनी रुख से पैदा हुए हैं और इसमें टीपीडीडीएल की कोई गलती नहीं है इसलिए कानूनी खर्चों को एआरआर में अलग से शामिल किए जाने की अनुमति दी जाए।

पूर्व की देनदारियां: माननीय आयोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि टीपीडीडीएल 01.07.02 को अस्तित्व में आई थी और पिछली देनदारियों से जुड़े मामले अब भी चल रहे हैं जो कि सुधार अधिनियम, ट्रांसफर स्कीम आदि कानूनों से पैदा हुए हैं। टीपीडीडीएल का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है और इन्हें एआरआर में अलग खर्च के रूप में समायोजित किए जाने की अनुमति दी जाए।

तालिका सं : 72 विधि व्यय का संक्षिप्त विवरण

प्रकृति	करोड़ रु
विद्युत क्रय संबंधी मामले	0.07
शुल्क आदेश संबंधी मामले	0.23
पूर्व की देनदारियों से संबंधित मामले	0.10
संपत्ति कर	0.14
कुल	0.54


12. पावर बैंकिंग

जैसा कि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है कि टीपीडीडीएल पावर बैंकिंग और संबंधित वर्ष के दौरान प्राप्त हुई बिजली की लागत में अंतर का दावा कर रही है। इसे माननीय आयोग द्वारा अपनाई गई विधि के आधार पर तैयार किया गया है। इसके आधार पर पावर बैंकिंग का खर्च 2.65 करोड़ रुपए बैठता है (देखें संलग्नक 10)

तालिका 73 : नए प्रयासों/अन्य अनियंत्रणयोग्य मानकों का संक्षिप्त विवरण

विवरण	करोड़ रु
सुरक्षा व्यय	0.60

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



विवरण	करोड़ रु
बिजली की बिक्री	0.09
क्रेडिट रेटिंग	0.96
डीपीसीएल अवधि के कानूनी व्यय	0.22
ऑडिटर सर्टिफिकेट की लागत	0.03
ऊर्जा बिल पर लाइसेंस फीस	0.40
निविदा लागत	0.28
खाद्य भत्ता	0.79
बाल शिक्षा भत्ता	1.41
कानूनी व्यय	0.54
पावर बैंकिंग	(2.65)
कुल	2.67

आयकर

टीपीडीडीएल ने वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान आय कर देनदारी (एमएटी) पर 89.28 करोड़ रुपए खर्च किए जबकि अगस्त 2011 के आदेश में कुल कर देनदारी में 15 करोड़ रुपए का अस्थाई प्रावधान किया गया था। माननीय आयोग ने एमवाईटी आदेश में उल्लेख किया था कि वास्तविक आयकर को शामिल किया जाएगा। देनदारी की संवैधानिक प्रकृति को देखते हुए इसे वित्त वर्ष 2011-12 में एआरआर में शामिल किए जाने की अनुमति दी जाए।

कार्यशील पूंजी

पहले दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिक वित्त वर्ष 12 के लिए संशोधित गतिशाल पूंजी 480.15 करोड़ रुपए है। इसके बारे में एफ4 में विस्तार से जानकारी दी गई है।


आरओसीई

एमवाईटी नियामकों के मुताबिक आरओसीई और अवमूल्यन को नियंत्रण अवधि के अंत में समायोजित किया जाना है। पिछले सैक्शन में दिए गए उल्लेख, संशोधित आरआरबी के आधार पर आरओसीई और अवमूल्यन इस प्रकार है :

तालिका सं : 74 विव 07-08 से विव 11-12 की अवधि के लिए आरआरबी

विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12	टिप्पणी
आरआरबी - आधार वर्ष						
ओसीएफए का प्रारंभिक आधार	1,985.55	2,137.37	2,466.03	2,683.82	3,245.38	
कार्यशील पूंजी का प्रारंभिक आधार	53.15	255.05	238.72	352.94	382.30	
अवमूल्यन का प्रारंभिक आधार	763.72	836.16	918.00	1,010.13	1,115.39	
उपभोक्ता योगदान का प्रारंभिक आधार (ओसीएफए के कुल ओसीएफए के अनुपात में + सीडब्ल्यूआईपी + स्टोर)	92.68	104.63	114.56	149.38	272.33	
आरआरबी - वर्ष के लिए						
वर्ष के दौरान पूंजीव्यय पर व्यय	151.82	328.66	217.79	561.56	324.15	तालिका 22
वर्ष का संचित अवमूल्यन (एएडी समेत)	72.43	81.84	92.13	105.26	119.97	तालिका 25
वर्ष के लिए संचित उपभोक्ता योगदान, अनुदान आदि	11.95	9.93	34.82	122.95	52.92	तालिका 23
कार्यशील पूंजी में बदलाव	201.90	-16.33	114.22	29.35	97.86	तालिका 41
आरआरबी - प्रत्येक वर्ष के लिए	1,417.92	1,553.75	1,831.83	2,073.28	2,413.44	
सकल ब्याज	108.83	104.25	118.19	126.59	162.32	
औसत ऋण	1,187.61	1,110.03	1,208.95	1,303.35	1,494.81	
ऋण का प्रारंभिक शेष	1,038.17	933.23	915.69	902.63	1,045.78	
ऋण का समाप्ति शेष	933.23	915.69	902.63	1,045.78	1,089.85	
कार्यशील पूंजी ऋण	201.90	185.57	299.79	329.15	427.00	
आरडी - ऋण लागत का	9.16%	9.39%	9.78%	9.71%	10.86%	

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



विवरण	विव 07-08	विव 08-09	विव 09-10	विव 10-11	विव 11-12	टिप्पणी
प्रतिशत						
औसत इक्विटी	609.99	629.23	670.08	749.46	848.28	
इक्विटी का प्रारंभिक शेष	609.74	610.23	648.22	691.94	806.97	तालिका 32
इक्विटी का समाप्ति शेष	610.23	648.22	691.94	806.97	889.58	तालिका 32
आरई - इक्विटी लाभ का प्रतिशत	16%	16%	16%	16%	16%	
डब्ल्यूएसीसी (5x5c+6x6c)/(5+6)	11.48%	11.78%	12.00%	12.01%	12.72%	
आरओसीई	162.83	183.07	219.74	248.96	306.99	

अवमूल्यन

विव 11-12 के लिए अवमूल्यन 119.97 करोड़ रु था। (देखें तालिका सं 25)

तालिका सं : 75 विव 11-12 के राजस्व अंतर की गणना

विवरण	करोड़ रु	टिप्पणी
उपलब्ध राजस्व	3,300.40	देखें तालिका सं 59
राजस्व आवश्यकता	4,733.67	फॉर्म A1 देखें
राजस्व सरप्लस /(अंतर)	(1,433.27)	


संवहन लागत

70:30 के ऋण/इक्विटी अनुपात पर आधारित संवहन लागत 12.47% है (देखें तालिका सं 19)

तालिका सं : 76 राजस्व अंतर की गणना

विवरण	विव 11-12	टिप्पणी
संशोधित प्रारंभिक अंतर	(2,086.87)	देखें तालिका सं 52
जोड़ :		
माननीय आयोग द्वारा संस्तुत राजस्व अंतर	(1,433.27)	देखें तालिका सं 75
समापन राजस्व अंतर	(3,520.14)	
संवहन लागत दर	12.47%	देखें तालिका 19
संवहन लागत	(349.60)	
समापन राजस्व अंतर (संवहन लागत समेत)	(3,869.74)	

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए एआरआर

विव 2012-13 के लिए संशोधित अनुमानित बजट तथा विव 2013-14 के लिए राजस्व आवश्यकता को निम्न अनियंत्रणयोग्य मानकों के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है :

1. विद्युत खरीद
2. बिक्री
3. पूंजी व्यय
4. गैर शुल्क आय
5. आयकर

माननीय आयोग से निवेदन है कि वह दिनांक 13 जुलाई, 2012 के अपने शुल्क आदेश में विव 2011-12 के लिए अनुमानित राजस्व सरप्लस पर संशोधित अनुमानित राशि के संदर्भ में पुनर्विचार करे। साथ ही इस याचिका में विव 2013-14 की राजस्व आवश्यकता तथा मौजूदा राजस्व उपलब्धता की जानकारी भी दी जा रही है।

1. विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए अनुमानित ऊर्जा बिक्री

विव 2012-13 के दौरान बिक्री संबंधी पूर्वानुमानों के लिए निम्न को आधार बनाया गया :

1. अप्रैल - सितंबर 2012 की वास्तविक बिक्री पर विचार किया गया।
2. अक्टूबर - मार्च 2013 की अवधि में बिक्री का आकलन विव 2011-12 की पहली की तुलना में विव 2011-12 की पहली छमाही के पिछले रुझानों के आधार पर किया गया।

निवेदन है कि माननीय आयोग ने दिनांक 22.10.12 के अपने आदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए श्रेणीगत आधार पर शुल्क में संशोधन किया है जिसके चलते याचिकाकर्ता की राजस्व उपलब्धता पर लगभग 50 करोड़ रु का प्रभाव पड़ा है। आकलन के लिए, जुलाई 2012 के आदेश में संस्तुत नए शुल्क पर माननीय आयोग के अक्टूबर 2012 के आदेश के संदर्भ में संशोधन समेत विचार किया गया।

तालिका सं 77 : अक्टूबर-मार्च 2012 के लिए ऊर्जा बिक्री का पूर्वानुमान (एमयू)

श्रेणियां अप्रै-सितं	अप्रै-सितं विव 12	अक्टू-मार्च विव 12	दूसरी छमाही बनाम पहली छमाही (%)	अप्रै-सितं विव 13	अक्टू-मार्च विव 13
घरेलू	1,669.46	1,218.92	(26.99)	1,830.85	1,336.76
गैर-घरेलू	665.66	560.41	(15.78)	698.07	587.70
औद्योगिक	995.32	1,016.99	2.18	1,031.13	1,053.59
लाइटिंग	52.27	45.04	(13.83)	47.77	47.77
सिंचाई एवं कृषि	8.14	8.78	7.83	6.40	6.90
रेलवे ट्रैक्शन	31.86	25.06	(21.34)	26.71	26.71
डीएमआरसी	83.30	79.63	(4.40)	85.15	81.40
दिल्ली जल बोर्ड	84.98	87.14	2.55	93.76	96.16
प्रवर्तन/अन्य	19.05	30.35		27.61	27.61
निजी खपत	9.60	6.66			
कुल	3,619.63	3,078.99	(14.93)	3,847.45	3,264.58


सार्वजनिक लाइटिंग, रेलवे और अन्य श्रेणियों के लिए पूर्वानुमान का आधार दूसरी छमाही बनाम पहली छमाही है जबकि सार्वजनिक लाइटिंग, रेलवे और अन्य के लिए यह माना गया है कि बिक्री पहली छमाही में हुई बिक्री के बराबर होगी।

विव 2012-13 के लिए बिक्री संबंधी पूर्वानुमान (विस्तृत विवरण फॉर्म R1, R2, R3, R3a में दिया गया है) निम्नानुसार है :

तालिका सं : 78 विव 12-13 के लिए श्रेणीवार बिलिंग राजस्व

श्रेणियां	विव 11-12		
	यूनिट (Mus)	राशि करोड़ रु	एबीआर (Rs/kWh)
घरेलू	3,167.61	1,491.14	4.71

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



श्रेणियां	विव 11-12		
	यूनिट (Mus)	राशि करोड़ रु	एबीआर (Rs/kWh)
गैर-घरेलू	1,285.77	1,121.10	8.72
औद्योगिक	2,084.72	1,572.07	7.54
सार्वजनिक लाइटिंग	95.54	65.32	6.84
कृषि	13.29	3.71	2.79
रेलवे ट्रेक्शन	53.42	32.88	6.16
डीएमआरसी	166.55	85.07	5.11
अन्य	189.92	144.22	7.59
दिल्ली जल बोर्ड	55.21	24.66	4.47
कुल	7,112.03	4,540.16	6.38

दिजबो ने माननीय आयोग के शुल्क आदेश के संदर्भ में 1.7.2012 की बजाय अप्रैल 2012 से शुल्क में कमी करने संबंधी संशोधन की मांग करते हुए माननीय एटीई के समक्ष अपील सं 157/2012 दायर की है। इस मामले पर माननीय एटीई ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

निवेदन है कि यदि उक्त अपील में दिजबो को राहत मिलती है तो उससे राजस्व में 6-7 करोड़ रु का अनुमानित प्रतिकूल असर पड़ेगा। लिहाजा, माननीय आयोग से निवेदन है कि विव 2012-14 के शुल्क आदेश को मंजूरी देने से पहले इस पहलू पर भी विचार किया जाए।


विव 2013-14 के लिए बिक्री संबंधी पूर्वानुमान

पूर्व रुझान

तालिका सं : 79 विव 07 से विव 12 के दौरान श्रेणीगत बिक्री का वर्ष-दर-वर्ष विवरण

क्र.सं.	श्रेणियां	विव 07	विव 08	विव 09	विव 10	विव 11	विव 12
		बिक्री (MU)	बिक्री (MU)	बिक्री (MU)	बिक्री (MU)	बिक्री (MU)	बिक्री (MU)
1	घरेलू	1,825	2,027	2,102	2,447	2,752	2,888
2	गैर-घरेलू	834	933	1,014	1,023	1,125	1,226
3	औद्योगिक	1,435	1,744	1,767	1,884	1,962	2,012
4	सिंचाई एवं कृषि	9	12	29	20	17	17
5	रेलवे	46	48	48	54	52	57
6	डीएमआरसी	75	79	76	99	157	163
7	स्ट्रीट लाइटिंग	67	67	66	55	89	97
8	निजी खपत	19	19	19	19	19	16
9	चोरी/अन्य	41	47	41	45	45	49

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



क.सं.	श्रेणियाँ	विव 07	विव 08	विव 09	विव 10	विव 11	विव 12
		बिक्री	बिक्री	बिक्री	बिक्री	बिक्री	बिक्री
		(MU)	(MU)	(MU)	(MU)	(MU)	(MU)
10	दिल्ली जल बोर्ड		-	-	153	182	172
	कुल	4,351	4,975	5,161	5,800	6,400	6,699

तालिका सं : 80 बिलिंग यूनिटों की सीएजीआर

क.सं.	श्रेणियाँ	5 वर्षों का सीएजीआर	4 वर्षों का सीएजीआर	3 वर्षों का सीएजीआर	2 वर्षों का सीएजीआर	1 वर्षों का सीएजीआर
1	घरेलू	9.62%	9.26%	11.18%	8.63%	4.95%
2	गैर-घरेलू	8.01%	7.07%	6.55%	9.50%	8.99%
3	औद्योगिक	7.00%	3.64%	4.43%	3.36%	2.56%
4	कृषि और मशरूम	13.82%	10.00%	(15.99%)	(8.26%)	(1.46%)
5	रेलवे	4.19%	4.54%	5.85%	2.37%	8.93%
6	डीएमआरसी	16.77%	19.92%	29.12%	28.23%	4.07%
7	सार्वजनिक लाइटिंग	7.89%	9.90%	13.58%	33.08%	9.62%
8	दिल्ली जल बोर्ड				5.96%	(5.44%)
	कुल	9.01%	7.72%	9.08%	7.47%	4.67%

विव 13-14 के लिए बिक्री संबंधी पूर्वानुमान (विस्तृत विवरण फॉर्म R1, R2, R3, R3a में उपलब्ध) निम्नानुसार किया गया है :

घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक, रेलवे तथा सार्वजनिक लाइटिंग

घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक, रेलवे तथा सार्वजनिक लाइटिंग के लिए आकलन 5 वर्षों के सीएजीआर (राउंड ऑफ) अर्थात् आधार वर्ष विव 2006-07 से विव 2011-12 के मुताबिक किया गया है।

तालिका सं 81 : विभिन्न श्रेणियों के लिए विचारणीय विकास दर

विवरण	विकास
घरेलू	9.62%
गैर-घरेलू	8.01%
औद्योगिक	7.00%
सार्वजनिक लाइटिंग	7.89%
रेलवे	4.19%

डीएमआरसी

5 वर्ष का सीएजीआर 16.77% रहा है, लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि नियंत्रण अवधि के दौरान डीएमआरसी की नई लाइन चालू हुई थी जबकि आगामी एमवाईटी नियंत्रण अवधि में कोई नई लाइन चालू होने की संभावना नहीं है, लिहाजा 1 वर्ष के सीएजीआर पर 4.07% के विकास पर विचार किया जा रहा है।

कृषि

कृषि में 5% सामान्य विकास पर विचार किया गया है।

दिल्ली जल बोर्ड (दिजबो)

दिजबो के संबंध में विव 2009-10 से आंकड़े उपलब्ध हैं, लिहाजा 2 वर्ष में 5.96% सीएजीआर विकास को आधार बनाया गया है।

तालिका सं : 82 पिछले वर्षों में उपभोक्ताओं की संख्या

क्र.सं.	श्रेणियां	विव 07	विव 08	विव 09	विव 10	विव 11	विव 12
1	घरेलू	7,13,548	7,49,987	8,33,572	9,17,316	9,88,879	10,35,905
2	गैर-घरेलू	1,28,556	1,34,415	1,55,606	1,87,265	1,85,283	2,00,810
3	औद्योगिक	31,530	34,619	34,886	33,278	34,339	35,199
4	कृषि एवं मशरूम खेती	3,861	3,849	5,027	5,620	5,469	4,105
6	रेलवे ट्रैक्शन	1	1	1	1	1	1
7	डीएमआरसी	2	2	2	3	3	3
8	सार्वजनिक लाइटिंग	37	40	40	181	391	380
10	दिल्ली जल बोर्ड		0	0	56	51	56
	कुल	8,77,534	9,22,913	10,29,135	11,43,719	12,14,415	12,76,459


तालिका सं : 83 उपभोक्ताओं की संख्या का सीएजीआर

क्र.सं.	श्रेणियां	5 वर्षों का सीएजीआर	4 वर्षों का सीएजीआर	3 वर्षों का सीएजीआर	2 वर्षों का सीएजीआर	1 वर्षों का सीएजीआर
1	घरेलू	7.74%	8.41%	7.51%	6.27%	4.76%
2	गैर-घरेलू	9.33%	10.56%	8.87%	3.55%	8.38%
3	औद्योगिक	2.23%	0.42%	0.30%	2.85%	2.50%
	कुल	7.78%	8.45%	7.44%	5.64%	5.11%

तालिका सं 84 : विव 13-14 के लिए विचारणीय श्रेणीवार विकास

क्र.सं.	श्रेणियां	5 वर्षों के सीएजीआर पर आधारित
1	घरेलू	7.74%
2	गैर-घरेलू	9.33%
3	औद्योगिक	2.23%

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



उपरोक्त के आधार पर, श्रेणीगत मांग एवं बिक्री का अनुमानित ब्योरा निम्नानुसार है :

तालिका सं 85 : श्रेणीगत अनुमानित बिक्री (विद्युत कर रहित)

श्रेणियां	विव 13-14 अनुमानित)		
	यूनिट (एमयू)	राशि (करोड़ रु)	रु/यूनिट
घरेलू	3,472.26	1,696.35	4.89
गैर-घरेलू	1,388.72	1,267.56	9.13
औद्योगिक	2,230.63	1,752.45	7.86
सार्वजनिक लाइटिंग	103.08	74.73	7.25
कृषि	13.96	4.31	3.09
रेलवे ट्रैक्शन	55.65	36.11	6.49
डीएमआरसी	173.33	93.92	5.42
अन्य	201.25	158.41	7.87
दिल्ली जल बोर्ड	55.21	25.43	4.61
कुल	7,694.10	5,109.27	6.64

विस्तृत श्रेणीवार विवरण फॉर्म R1, R2, R3 and R3a में दिया गया है।

अनुमानित संग्रहण

माननीय आयोग ने दिनांक 13.07.12 के अपने आदेश में 99.50% के ऊर्जा संग्रहण लक्ष्य को मंजूरी दी है। इसके आधार पर, अनुमानित ऊर्जा संग्रहण का विवरण यहां दिया जा रहा है :

विवरण	विव 12-13	विव 13-14
मौजूदा दरों पर अनुमानित बिलिंग	4,540.16	5,109.27
संग्रहण कुशलता	99.50%	99.50%
अनुमानित संग्रहण	4,517.46	5,083.72

विद्युत कय आवश्यकता

माननीय आयोग ने विव 2012-13 तथा विव 2013-14 के लिए वितरण घाटा लक्ष्यों को क्रमशः 12.06% तथा 11.56% निर्धारित किया है। विव 12-13 तथा विव 13-14 के लिए इसी मात्रा में ऊर्जा आवश्यकता के आधार पर निम्न गणना की गई है :

तालिका सं : 86 अनुमानित ऊर्जा आवश्यकता

विवरण	यूओएम	विव 12-13	विव 13-14
अनुमानित बिक्री	Mu's	7,112	7,694
वितरण घाटा*	%	12.06%	11.56
ऊर्जा इनपुट (टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं की खपत के लिए टीपीडीडीएल स्तर पर)	Mu's	8,088	8,700

विव 12-13 तथा विव 13-14 के लिए विद्युत आकलन

- फॉर्म F1 का स्पष्टीकरण : कुल विद्युत कय लागत
- फॉर्म F1a का स्पष्टीकरण : विद्युत खरीद का माहवार ब्योरा
- फॉर्म F1c का स्पष्टीकरण : ट्रांसमिशन तथा व्हीलिंग शुल्क
- फॉर्म F1d का स्पष्टीकरण : पिछले/चालू वर्ष का यूआई विवरण
- फॉर्म F1e का स्पष्टीकरण : अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क

विव 2012-13 के लिए आकलन

दिल्ली विद्युत उत्पादन केंद्रों से उपलब्ध ऊर्जा : अप्रैल 12 से अक्टूबर 12 की बिजली कय लागत जेनरेटरों से प्राप्त होने वाले वास्तविक बिलों पर आधारित है। नवंबर 12 से मार्च 13 की अवधि के आकलन पिछले पांच वर्षों में संबंधित महीनों के लिए कंपनियों के कोटा में टीपीडीडीएल की हिस्सेदारी के औसत वास्तविक पीएलएफ/उपलब्धता पर आधारित हैं।

दिल्ली राज्य के उत्पादन केंद्रों से उपलब्धता का आकलन करने के दौरान, अनआबंटित कोटा में टीपीडीडीएल की हिस्सेदारी को मौजूदा प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर अर्थात् 23.19% माना गया है।

बवाना (पीपीसीएल III) के मामले में, गैस आबंटन में मौजूदा कमी किए जाने को देखते हुए केवल एक जीटी तथा आधे एसटी को ही आकलन के लिए विचारणीय माना गया है।

नवंबर 12 से मार्च 13 के दौरान ताप एवं गैस स्टेशनों के लिए परिवर्तनीय लागत के आकलन के दौरान सितंबर 12 से अक्टूबर 12 की औसत परिवर्तनीय लागत पर विचार किया गया है।

विव 12-13 के शुल्क आदेशों के लिए स्थिर लागत को टीपीडीडीएल की समानुपातिक हिस्सेदारी के लिए आधार बनाया गया है। दिल्ली उत्पादन केंद्रों से ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता तथा अनुमानित लागत का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

रिठाला प्लांट से उत्पादन की परिवर्तनीय कीमत अप्रैल 12 से अक्टूबर 12 की अनुमानित बिलिंग के आधार पर 4.27 रु/यूनिट ली गई है। स्थिर लागत को रिठाला की शुल्क याचिका के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा, केंजी बेसिन से गैस की कम उपलब्धता के मद्देनजर, टीपीडीडीएल को ढुलाई या भुगतान शुल्क तथा असंतुलन शुल्क भी अदा करना पड़ा है जिसे स्थिर लागत में शामिल किया गया है।

तालिका सं : 87 दिल्ली उत्पादन स्टेशनों से उपलब्ध होने वाली अनुमानित शुद्ध ऊर्जा

उत्पादन स्टेशन	अनुमानित(विव 12-13)		
	एमयू	करोड़ रु	औसत दर
बीटीपीएस	980.32	466.75	4.76
दादरी	1315.40	532.15	4.05
दादरी II	1393.78	633.07	4.54
राजघाट	186.73	105.87	5.67
जीटी	373.88	203.42	5.44
पीपीसीएल	488.51	181.14	3.71

उत्पादन स्टेशन	अनुमानित(विव 12-13)		
	एमयू	करोड़ रु	औसत दर
पीपीसीएल III (बवाना)	334.88	269.61	8.05
आईपी (बकाया)		-0.01	
रिठाला जेनरेशन	165.69	181.55	10.96
टीपीडीडीएल सोलर जेनरेशन	2.03	4.00	19.72
कुल	5,241.19	2,577.55	4.92

सेंट्रल सेक्टर जेनेरेटिंग स्टेशनों से ऊर्जा उपलब्धता

एनटीपसी संयंत्र: अप्रैल 12 से अक्टूबर 12 की अवधि में बिजली खरीद की कुल कीमत उत्पादकों से मिले वास्तविक बिलों पर आधारित है। नवंबर 12 से मार्च 13 की अवधि के लिए पूर्वानुमान संयंत्रों की पिछले पांच वर्षों के दौरान संबंधित महीनों के लिए तय कोटे में टीपीडीडीएल के अंश की औसतन वास्तविक पीएलएफ/उपलब्धता के आधार पर इसका हिसाब लगाया गया है।

जो संयंत्र 3 साल से कम अवधि से चल रहे हैं उनके लिए अल्प अवधि के लिए वास्तविक उपलब्ध डेटा के आधार पर पूर्वानुमान लगाया गया है।

नोट 1: गैस में चल रही मौजूदा कटौती के मददेनजर अंटा, औरैया और दादरी (गैस) गैस स्टेशनों से नवंबर 12 से मार्च 13 के दौरान ऊर्जा की उपलब्धता इन स्टेशनों द्वारा अप्रैल 12 से अक्टूबर 12 तक के स्तर पर ही रहने की संभावना है।

नोट 2: फरक्का में ईंधन की आपूर्ति को लेकर कुछ समस्या रही है जिसके कारण इस स्टेशन से ऊर्जा की उपलब्धता जुलाई 12 से अक्टूबर 12 के दौरान घटी है। नवंबर 12 से मार्च 13 के दौरान भी यही स्थिति रहने की संभावना है। ऐसे में नवंबर 12 से मार्च 13 के बीच फरक्का से मिलने वाली ऊर्जा के अप्रैल 12 से अक्टूबर 12 के दौरान प्रति माह मिली औसतन ऊर्जा के बराबर रहने की उम्मीद है।

जलविद्युत संयंत्र: अप्रैल 12 से अक्टूबर 12 की अवधि में बिजली खरीद की कुल कीमत उत्पादकों से मिले वास्तविक बिलों पर आधारित है। नवंबर 12 से लेकर मार्च 13 के लिए अनुमान हर संयंत्र के अपने जल अध्ययन (सीईआरसी ऑर्डर्स में उल्लेखित) में दर्शाए गए मासिक डिजाइन एनर्जी पर आधारित है। तला जल विद्युत संयंत्र (टीएचईपी) के लिए टीपीडीडीएल को वित्त वर्ष 09-10, वित्त वर्ष 10-11 और वित्त वर्ष 11-12 में आपूर्ति की गई वास्तविक ऊर्जा स्थिर कोटा माना गया है क्योंकि टीएचईपी का डिजाइन एनर्जी उपलब्ध नहीं है।

सीएसजीएस द्वारा आवंटित नहीं किए गए कोटे को शून्य माना गया है:

दीर्घकालिक द्विपक्षीय समझौते: टीपीडीडीएल ने मैथन पावर लिमिटेड और सीएलपी, झज्जर के साथ दीर्घकालिक समझौते किए हैं। सीएसजीएस की ही तरह इसमें भी पूर्वानुमान लगाया गया है।

सीएसजीएस से अनुमानित उपलब्धता और अनुमानित कीमत के बारे में तालिका 88 में जानकारी दी गई है जो कि इस प्रकार है :

तालिका सं : 88 सीएसजीएस तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली अनुमानित शुद्ध ऊर्जा

उत्पादन स्टेशन	अनुमानित(विव 12-13)		
	एमयू	करोड़ रु	औसत दर
एनटीपीसी			
सिंगरोली	314.29	57.90	1.84
रिहंड-I	200.23	45.77	2.29
रिहंड-II	291.39	65.92	2.26
ऊंचाहार-I	51.72	18.81	3.64
ऊंचाहार _II	102.07	41.28	4.04
ऊंचाहार _III	63.29	25.99	4.11
अंटा गैस	40.55	19.02	4.69
औरैया गैस	42.37	26.30	6.21
दादरी जीपीपी	86.47	44.13	5.10
फरक्का	28.35	12.06	4.25
कहलगांव I	90.50	30.76	3.40
कहलगांव -II	277.48	92.84	3.35
एनटीपीसी – कुल	1,588.71	480.80	3.03
एनएचपीसी			
बैरा सियुल	23.44	4.04	1.72
सलल -I	107.24	12.49	1.16
टनकपुर	15.39	4.04	2.63
चमेरा -I	54.41	9.53	1.75
चमेरा -II	58.91	19.89	3.38
उड़ी	90.67	19.02	2.10
धौलीगंगा	44.31	16.29	3.68
सेवा II	16.12	7.17	4.45
चमेरा -III	29.28	11.43	3.91
दुलहस्ती	76.01	48.29	6.35
एनएचपीसी – कुल	515.77	152.18	2.95
अन्य			
कोटेश्वर एचईपी	39.87	13.22	3.32

नाथपा झाकड़ी एचपीएस	187.40	48.85	2.61
टिहरी एचपीपी	92.97	35.12	3.78
ताला एचईपी	29.61	5.85	1.98
डीवीसी	812.09	313.84	3.86
अरावली झज्जर	152.02	144.36	9.50
सीएलपी झज्जर	203.84	73.57	3.61
मैथॉन पावर लिमिटेड	1,652.97	590.68	3.57
अन्य कुल	3,170.77	1,225.51	3.87
परमाणु			
नरोरा एपीएस	57.40	14.15	2.46
आरएपीपी 5 & 6	108.98	37.61	3.45
परमाणु कुल	166.38	51.75	3.11
कुल मौजूदा स्टेशन	5,441.63	1,910.24	3.51

*नोट: टीएचडीसी फिलहाल अस्थाई ऑर्डर के आधार पर बिलिंग कर रही है। हालांकि टीएचडीसी से अंतिम टैरिफ ऑर्डर के सीईआरसी द्वारा जारी होने की उम्मीद है। इसलिए टीएचडीसी वित्त वर्ष 07-08 से वित्त वर्ष 12-13 का बकाया ब्याज सहित वसूल करेगी। अगर टैरिफ ऑर्डर वित्त वर्ष 12-13 के दौरान जारी होता है तो बकाए के प्रभाव से बिजली खरीद की अनुमानित कीमत बढ़ जाएगी।

आयोग इस बात का भी संज्ञान ले सकता है कि सीआईएसएफ के कर्मचारियों का वेतन बढ़ने से एनटीपीसी के स्टेशनों का टैरिफ ऑर्डर भी बढ़ेगा। ऐसे में एनटीपीसी के इस अंतर को पाटने के लिए बकाया वसूल करने की उम्मीद है। इसलिए बिजली खरीद कीमत के और बढ़ने की संभावना है।

तालिका सं : 89 नए/भविष्य के संयंत्रों की से उपलब्ध होने वाली अनुमानित शुद्ध ऊर्जा

उत्पादन स्टेशन	अनुमानित(विव 12-13)		
	एमयू	करोड़ रु	औसत दर
रिहंड III	44.36	17.36	3.91
बाढ़ II	51.08	19.99	3.91
पार्वती एचईपी III	11.80	4.25	3.61
उड़ी II	5.34	1.92	3.61
सासन, एमपी	36.70	11.01	3.00
कुल	149.27	54.54	3.65

अन्य स्रोतों से बिजली खरीद पूर्वानुमान : अंतरराज्यीय, अल्पकालिक द्विपक्षीय और बैंकिंग

तालिका 90 : अन्य स्रोतों से अनुमानित यूनिटों की खरीद तथा बिक्री

अन्य स्रोत	अनुमानित (विव 12-13)	
	एमयू	करोड़ रु
अन्य स्रोतों से बिजली खरीद		
अंतर राज्यीय द्विपक्षीय खरीद	215.13	84.05
राज्य के भीतर बिजली खरीद	19.53	8.10
अन्य खरीद कुल	234.65	92.15
अन्य स्रोतों को बेची गई बिजली		
राज्य के भीतर विद्युत क्रय (बैंकिंग बिक्री समेत)	(2,614.27)	(748.64)

बिजली की उपलब्धता के लिए दीर्घकालिक पीपीए के अलावा टीपीडीडीएल ने अपनी ऊर्जा जरूरतों में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष खरीद और बैंकिंग इंतजाम जैसे द्विपक्षीय समझौते भी किए हैं। इसके अलावा दैनिक मांग और आपूर्ति में संतुलन कायम करने के लिए अल्पकालिक इंतजाम करने की जरूरत है और वह भी 15 मिनट के मध्यांतर समय के आधार पर।

टीपीडीडीएल पहले ही नवंबर 12 से मार्च 12 की अवधि के लिए बिजली बिक्री इंतजाम कर चुकी है जिसे कि पूर्वानुमान में प्रत्येक लेनदेन की संबंधित दर माना गया है। साथ ही टीपीडीडीएल नवंबर 12 से मार्च 12 की अवधि के लिए अन्य राज्यों द्वारा अतिरिक्त बिजली की बिक्री के लिए जारी टेंडरों में भी भागीदारी कर रही है और इस बिक्री को भी पूर्वानुमानों में शामिल किया गया है।

अगर बिजली की बिक्री के बाद भी उपलब्धता मांग से ज्यादा रहती है तो अतिरिक्त बिजली के यूआई/एक्सचेंज के माध्यम से बिकने की संभावना है। यूआई/एक्सचेंज बिक्री की दर इस साल पिछले साल की अपेक्षा बहुत कम है। ऐसे में बिजली की कीमत के पिछले वर्ष की मासिक दरों से कम रहने की संभावना है और इसके नवंबर 12 में 2.20 रुपए प्रति यूनिट, दिसंबर 12, जनवरी 13 और मार्च 13 में 2.50 रुपए प्रति यूनिट तथा फरवरी 13 में 2.00 रुपए प्रति यूनिट रहने का अनुमान है।

अगर किसी भी महीने में आपूर्ति की तुलना में मांग बढ़ जाती है तो माना गया है कि इस मांग को 5.00 रुपए प्रति यूनिट की द्विपक्षीय प्रत्यक्ष खरीद से पूरा किया जाएगा। हालांकि नवंबर 12 से मार्च 13 की अवधि के लिए द्विपक्षीय खरीद का कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है।

टीपीडीडीएल का अनुमान है कि उसके पास उपलब्ध अतिरिक्त बिजली को देखते हुए 2484 एमयू अतिरिक्त बिजली (अप्रैल 12 से अक्टूबर 12 के दौरान वास्तविक बिक्री के मुताबिक 978 एमयू और नवंबर 12 से मार्च 13 के दौरान अनुमानित बिक्री 1506 एमयू) होगी जिसे बिक्री किया जाएगा और इससे होने वाली कमाई का इस्तेमाल टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करने पर किया जाएगा।

पारेषण नुकसान

अंतरराज्यीय पारेषण में होने वाले नुकसान को पूर्वानुमान में जुलाई 12 से अक्टूबर 12 की अवधि के दौरान औसतन पीओसी नुकसान के बराबर माना गया है।

ग्रिड कोऑर्डिनेशन कमेटी की 12वीं कमर्शियल सब कमेटी की दिल्ली में 28.06.2012 को हुई बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक अंतरराज्यीय नुकसान को 1.21 प्रतिशत माना गया है।

वित्त वर्ष 12-13 के लिए बिजली खरीद लागत पूर्वानुमान

मौजूदा स्टेशनों से बिजली खरीद की अनुमानित लागत निम्न अनुमान लगाए गए हैं :

- ए) नवंबर 12 से मार्च 13 के लिए विभिन्न बिजली संयंत्रों की तय कीमत को सीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ ऑर्डरों (वित्त वर्ष 09 से 14 तक) और डीईआरसी के एमवाईटी ऑर्डर के मुताबिक तय किया गया है।
- बी) हर स्टेशन के लिए (सितंबर 12 तक) अस्थिर कीमत (ताप और गैस दोनों के लिए) को नवंबर 12 से मार्च 13 की अस्थिर कीमत का अनुमान लगाने में आधार बनाया गया है।
- सी) पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 12-13 में खपत में बेहद मामूली बढ़ोतरी हुई है और अगस्त 12 से अक्टूबर 12 के दौरान कोई वृद्धि नहीं रही। नवंबर 12 से मार्च 13 के दौरान भी इसी रुझान के रहने का अनुमान है। इसलिए नवंबर 12 से मार्च 13 की खपत को नवंबर 11 से मार्च 12 में हुई खपत के बराबर माना गया है (शून्य प्रतिशत बढ़ोतरी)।
- डी) अगर कोई द्विपक्षीय प्रत्यक्ष खरीद है तो इसे औसतन 5.00 रुपए प्रति यूनिट की दर से माना गया है। हालांकि नवंबर 12 से मार्च 13 के दौरान कोई द्विपक्षीय खरीद का अब तक कोई प्रावधान नहीं है।

तालिका सं : 91 नए/भविष्य के संयंत्रों की अनुमानित प्रति यूनिट लागत

स्टेशन	दर (पीएस /यूनिट)	पीएलएफ (%)	क्षमता (मैगावाट)	सीओडी
रिहंड III	391	85	1000	यूनिट 1: नव'12
बाढ़ II	391	85	1320	यूनिट 1: जन'13
सासन, एमपी	300	85	3960	यूनिट 1 : जन '13
पार्वती एचईपी III	361	45	520	यूनिट 1: जन'13
उड़ी II	361	45	240	यूनिट 1: जन'13

पारेषण शुल्क

नवंबर 12 से मार्च 13 के लिए पारेषण शुल्क को अप्रैल 12 से सितंबर 12 की अवधि के बिलों के औसतन पारेषण शुल्क के बराबर माना गया है।

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



डीटीएल के लिए पारेषण शुल्क को दिल्ली बिजली नियामक आयोग द्वारा 13.07.2012 के एमवाईटी ऑर्डर में मंजूर किए गए टीपीडीडीएल के शेयर के मुताबिक रखा गया है।

माननीय आयोग के आदेश के मुताबिक नवंबर 12 से मार्च 13 के लिए बीबीएमबी शुल्क में टीपीडीडीएल का शेयर 0.04 करोड़ रुपए प्रतिमाह माना गया है।

इसके अलावा नवंबर 12 से मार्च 13 के लिए बिजली खरीद कीमत के पूर्वानुमान में दिल्ली एसएलडीसी शुल्क, एनआरएलडीसी सिस्टम ऑपरेटिंग शुल्क, रिएक्टिव एनर्जी शुल्क (डीटीएल को भुगतान), अरावली पारेषण शुल्क और सीएलपी पारेषण शुल्क जैसे पारेषण संबंधी लागत को लगभग 1.60 करोड़ रुपए प्रतिमाह माना गया है।

सेवा कर विभाग द्वारा पारेषण पर सेवा कर का दावा किया जा रहा है। अगर सेवा कर का भुगतान किया जाता है तो इसे संबंधित अवधियों के लिए अलग से लिया जाएगा क्योंकि यह एक संवैधानिक भुगतान है।

टेंडरिंग के लिए ईएमडी

बिजली मंत्रालय द्वारा बिजली की अल्पकालिक खरीद के लिए 15 मई, 2012 को जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक बोलीकर्ता को बैंक गारंटी के रूप में 30000 रुपए प्रति मेगावॉट प्रतिमाह के हिसाब से ईएमडी जमा करनी पड़ सकती है। ऊंची कीमत पर अतिरिक्त बिजली बेचने के लिए टीपीडीडीएल भी नीलामी में भाग लेगी जिससे उसे भी इस अतिरिक्त खर्च को वहन करना पड़ सकता है। अगर कंपनी को ऐसा कोई खर्च वहन करना पड़ता है तो इसे समायोजन के समय एआरआर से वसूला जाएगा।

वित्त वर्ष 12-13 के लिए ऊर्जा संतुलन इस प्रकार है :

तालिका सं : 92 ऊर्जा शेष का संक्षिप्त विवरण तथा विद्युत क्रय लागत

विवरण	आकलन (FY 12-13)		
	एमयू	राशि (करोड़ रु)	दर
सीएसजीएस से क्रय बिजली	8,300	3,054	3.68
अंतर-राज्यीय द्विपक्षीय खरीद	215	84	3.91
पीजीसीआईएल घाटा	(262)		
दिल्ली उत्पादन कंपनियों से बिजली खरीद	2,532	1,366	5.39
राज्य के भीतर बिजली खरीद	20	8	4.15
दिल्ली के आसपास उपलब्ध बिजली	10,805	4,511	4.18
डीटीएल घाटा	(102)		
डिस्कॉम के लिए उपलब्ध बिजली	10,702	4,511	4.22
घटा - अतिरिक्त बिजली विक्रय/बैंक की गई/यूआई बिक्री	(2,614)	(749)	2.86
टीपीडीडीएल ग्राहकों के लिए उपलब्ध बिजली	8,088	3,763	4.65
ट्रांसमिशन शुल्क			
पीजीसीआईएल शुल्क तथा यूएलडीसी शुल्क + एनआरएलडीसी शुल्क + अरावली एवं सीएलपी शुल्क		284	
डीटीएल शुल्क + एलएलडीसी शुल्क + रिएक्टिव ऊर्जा शुल्क		223	
टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं के लिए बिजली आवश्यकता	8,088	4,270	5.28
पिछले वर्षों में बकाया		135	
बकाया समेत कुल बिजली क्रय लागत	8,088	4,405	5.45

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए बिजली खरीद अनुमान

दिल्ली की बिजली उत्पादक कंपनियों से ऊर्जा की उपलब्धता: वित्त वर्ष 13-14 के लिए आकलन पिछले पांच वर्षों के दौरान संबंधित महीनों के लिए तय कोटे में टीपीडीडीएल के अंश के औसतन वास्तविक पीएलएफ/उपलब्धता को आधार बनाया गया है।

आरपीएच अपना सेवाकाल पूरा कर चुका है और उसे वित्त वर्ष 13-14 में सेवाकाल से मुक्त माना गया है। इस तरह इस संयंत्र से कोई बिजली नहीं मिलेगी। दिल्ली राज्य की बिजली उत्पादक कंपनियों से मिलने वाली बिजली का आकलन करते समय गैरआवंटित कोटे में टीपीडीडीएल के हिस्से को उसकी मौजूदा हिस्सेदारी 23.19% के बराबर माना गया है।

बवाना (पीपीसीएल तृतीय) के मामले में गैस आवंटन में रही कटौती को देखते हुए केवल एक जीटी और आधा एसटी को पूर्वानुमान में शामिल किया गया है। हालांकि स्टेशन द्वारा तय पूरी कीमत वसूले जाने से वित्त वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित प्रति यूनिट दर में काफी बढ़ोतरी हुई है।

हर स्टेशन के लिए सितंबर 12 और अक्टूबर 12 के दौरान अस्थिर कीमतों में पांच प्रतिशत (ताप और गैस दोनों में) की बढ़ोतरी हुई है और इसे वित्त वर्ष 13-14 की अनुमानित कीमतों में शामिल किया गया है। तय कीमत को वित्त वर्ष 13-14 के लिए जारी टैरिफ ऑर्डर के मुताबिक लिया गया है। दिल्ली की बिजली उत्पादक कंपनियों से बिजली की अनुमानित उपलब्धता और अनुमानित कीमत तालिका 43 में दी गई है :

तालिका सं : 93 दिल्ली उत्पादन स्टेशनों से उपलब्ध होने वाली अनुमानित शुद्ध ऊर्जा

उत्पादन स्टेशन	अनुमानित(विव 13-14)		
	एमयू	करोड़ रु	औसत दर
बीटीपीएस	1,030.84	493.99	4.79
दादरी	1,394.34	555.35	3.98
दादरी II	1,453.24	702.50	4.83
राजघाट	0	0	0.00
आईपी स्टेशन	0	0	0.00
जीटी	359.19	175.98	4.90
पीपीसीएल	484.10	184.90	3.82
पीपीसीएल III (बवाना)	157.85	206.84	13.10
रिठाला	122.64	176.66	14.40
कुल	5,002.19	2,496.07	4.99

सेंट्रल सेक्टर जेनेरेटिंग स्टेशनों से ऊर्जा उपलब्धता

एनटीपीसी संयंत्र: अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के लिए पूर्वानुमान संयंत्रों की पिछले पांच वर्षों के दौरान संबंधित महीनों के लिए तय कोटे में टीपीडीडीएल के अंश की औसतन वास्तविक पीएलएफ/उपलब्धता के आधार पर इसका हिसाब लगाया गया है।

जो संयंत्र तीन साल से कम अवधि से चल रहे हैं उनके लिए अल्प अवधि के लिए वास्तविक उपलब्ध डेटा के आधार पर पूर्वानुमान लगाया गया है।

सितंबर 12 से अक्टूबर 12 के दौरान औसत परिवर्तनीय शुल्क दरों में 5% वृद्धि से विव 13-14 के लिए परिवर्तनीय शुल्क का निर्धारण किया है।

जलविद्युत संयंत्र: अनुमान हर संयंत्र के अपने जल अध्ययन (सीईआरसी ऑर्डर्स में उल्लेखित) में दर्शाए गए मासिक डिजाइन एनर्जी पर आधारित है। तला जल विद्युत संयंत्र (टीएचईपी) के लिए संयंत्र द्वारा वित्त वर्ष 09-10, वित्त वर्ष 10-11 और वित्त वर्ष 11-12 में टीपीडीडीएल को आपूर्ति की गई वास्तविक ऊर्जा तय कोटा माना गया है क्योंकि टीएचईपी का डिजाइन एनर्जी उपलब्ध नहीं है।

सीएसजीएस द्वारा आवंटित नहीं किए गए कोटे को शून्य माना गया है:


दीर्घकालिक द्विपक्षीय समझौते: टीपीडीडीएल ने मैथन पावर लिमिटेड और सीएलपी, झज्जर के साथ दीर्घकालिक समझौते किए हैं। सीएसजीएस की ही तरह इसमें भी पूर्वानुमान लगाया गया है।

सीएसजीएस से अनुमानित उपलब्धता और अनुमानित कीमत के बारे में तालिका 88 में जानकारी दी गई है जो कि इस प्रकार है :

तालिका सं : 94 सीएसजीएस तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध होने वाली अनुमानित शुद्ध ऊर्जा

उत्पादन स्टेशन	अनुमानित (विव 13-14)		
	एमयू	करोड़ रु	औसत दर
एनटीपीसी			
सिंगरोली	320.48	59.36	1.85
रिहंड-I	219.81	45.13	2.05
रिहंड-II	285.88	61.92	2.17
ऊंचाहार-I	53.03	18.53	3.49
ऊंचाहार _II	103.03	36.61	3.55
ऊंचाहार _III	65.15	25.56	3.92
अंटा गैस	32.40	16.08	4.96
औरैया गैस	30.00	18.26	6.09
दादरी जीपीपी	66.00	32.97	5.00
फरक्का	24.00	10.80	4.50
कहलगांव I	97.65	31.63	3.24
कहलगांव -II	311.11	97.90	3.15
एनटीपीसी – कुल	1,608.54	454.75	2.83
एनएचपीसी			
बैरा सियुल	25.01	3.69	1.47
सलल -I	104.50	10.93	1.05
टनकपुर	16.90	4.26	2.52
चमेरा -I	38.37	6.91	1.80
चमेरा -II	58.34	12.36	2.12
उड़ी	83.35	14.55	1.75
धौलीगंगा	43.74	11.64	2.66
सेवा II	18.22	7.68	4.22
चमेरा -III	29.62	8.09	2.73
दुलहस्ती I	71.39	38.47	5.39
एनएचपीसी – कुल	489.44	118.58	2.42
अन्य			
कोटेश्वर एचईपी	45.55	16.91	3.71
नाथपा झाकड़ी एचपीएस	166.36	46.49	2.79
टिहरी एचपीपी	79.62	39.20	4.92

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



उत्पादन स्टेशन	अनुमानित (विव 13-14)		
	एमयू	करोड़ रु	औसत दर
ताला एचईपी	29.45	5.95	2.02
डीवीसी	792.78	310.29	3.91
अरावली झज्जर	1002.18	533.20	5.32
सीएलपी झज्जर	923.30	313.92	3.40
मैथॉन पावर लिमिटेड	2233.80	785.58	3.52
अन्य कुल	5273.03	2051.55	3.89
परमाणु			
नरोरा एपीएस	42.00	9.07	2.16
आरएपीपी 5 & 6	101.79	30.77	3.02
परमाणु कुल	143.79	39.84	2.77
कुल मौजूदा स्टेशन	7,514.80	2,664.71	3.55


तालिका सं : 95 नए/भविष्य के संयंत्रों से उपलब्ध होने वाली अनुमानित शुद्ध ऊर्जा

उत्पादन स्टेशन	अनुमानित (विव 13-14)		
	एमयू	करोड़ रु	औसत दर
कोलदम	49.42	18.35	3.71
रिहंड III	187.73	75.68	4.03
बाढ़ II	146.43	59.03	4.03
पार्वती एचईपी III	23.86	8.86	3.71
उड़ी II	10.79	4.01	3.71
सासन, एमपी	293.57	88.07	3.00
रामपुर एचईपी	23.40	8.69	3.71
कुल	735.20	262.69	3.57

अन्य स्रोतों से बिजली खरीद पूर्वानुमान: अंतरराज्यीय, अल्पकालिक द्विपक्षीय और बैंकिंग

बिजली की उपलब्धता के लिए दीर्घकालिक पीपीए के अलावा टीपीडीडीएल ने अपनी ऊर्जा जरूरतों में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्यक्ष खरीद और बैंकिंग इंतजाम जैसे द्विपक्षीय समझौते भी किए हैं। इसके अलावा दैनिक मांग और आपूर्ति में संतुलन कायम करने के लिए अल्पकालिक इंतजाम करने की जरूरत है और वह भी 15 मिनट के मध्यांतर समय के आधार पर।

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



तालिका 96 : अन्य स्रोतों से अनुमानित यूनिटों की खरीद तथा बिक्री

अन्य स्रोत	अनुमान (विव 13-14)	
	एमयू	करोड़ रु
अन्य स्रोतों से बिजली खरीद		
अंतर राज्यीय द्विपक्षीय खरीद	-	-
राज्य के भीतर बिजली खरीद	-	-
अन्य खरीद कुल	-	-
अन्य स्रोतों को बेची गई बिजली		
राज्य के भीतर विद्युत क्रय (बैंकिंग बिक्री समेत)	(4,020.07)	(1,125.62)

यदि बिजली की बिक्री के बावजूद उपलब्धता इसकी मांग से अधिक हुई तो इस अतिरिक्त बिजली को यूआई के लिए छोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार की बिजली की दर 2.80 रु/यूनिट (12-13 के पीपीसी आकलन के आधार पर, जिसके अंतर्गत अक्टूबर 12 तक के आंकड़े वास्तविक हैं) रहने की संभावना है। विव 13-14 तक बैंकिंग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यदि मांग किसी महीने उपलब्धता से अधिक रही तो उसे 5.00 रु/यूनिट की दर से द्विपक्षीय प्रत्यक्ष खरीद के जरिए पूरा हुआ माना जाएगा।

साथ ही, टीपीडीडीएल ने अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्धता की मद में 3,987 एमयू अतिरिक्त ऊर्जा उपलब्ध होने का अनुमान जाहिर किया है जिसे बेच दिया जाएगा और इससे प्राप्त आय को टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाली बिजली खरीद लागत को कम करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा।

पारेषण नुकसान

अंतरराज्यीय पारेषण में होने वाले नुकसान को पूर्वानुमान में जुलाई 12 से अक्टूबर 12 की अवधि के दौरान औसतन पीओसी नुकसान के बराबर माना गया है।

ग्रिड कोऑर्डिनेशन कमेटी की 12वीं कमर्शियल सब कमेटी की दिल्ली में 28.06.2012 को हुई बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक अंतरराज्यीय नुकसान को 1.21% माना गया है।

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए बिजली खरीद लागत पूर्वानुमान

मौजूदा स्टेशनों से बिजली खरीद की अनुमानित लागत निम्न अनुमान लगाए गए हैं:

- ए) वित्त वर्ष 2013-14 के लिए विभिन्न बिजली संयंत्रों की स्थिर कीमत को सीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ ऑर्डरों (वित्त वर्ष 09 से 14 तक) और डीईआरसी के एमवाईटी ऑर्डर के मुताबिक तय किया गया है।
- बी) हर स्टेशन के लिए (सितंबर 12 तक) अस्थिर कीमत (ताप और गैस दोनों के लिए) को वित्त वर्ष 2013-14 की अस्थिर कीमत का अनुमान लगाने में आधार बनाया गया है।
- सी) अगर कोई द्विपक्षीय प्रत्यक्ष खरीद है तो इसे औसतन 5.00 रुपए प्रति यूनिट की दर से माना गया है। हालांकि वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान कोई द्विपक्षीय खरीद का अब तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

तालिका सं 97 : विव 13-14 में नए / भविष्य के संयंत्रों की अनुमानित प्रति यूनिट लागत


स्टेशन	दर (पीएस/यूनिट)	पीएलएफ (%)	क्षमता (मेगावाट)	सीओडी
कोलदम	371	45	800	अक्टूबर 2013
रिहंड III	403	85	1000	यूनिट 1: अप्रैल'13, यूनिट 2: जुलाई'13
बाढ़ II	403	85	1320	यूनिट 1: जन'13, यूनिट 2: नव '13
सासन, एमपी	300	85	3960	यूनिट 1 जन'13, यूनिट 2 जुलाई'13, यूनिट 3 जन'14
पार्वती एचईपी III	371	45	520	अक्टूबर 2013
उड़ी II	371	45	240	अक्टूबर 2013
रामपुर एचईपी	371	45	412	अक्टूबर 2013

पारेषण शुल्क

वित्त वर्ष 2013-14 के लिए पारेषण शुल्क को अप्रैल 12 से सितंबर 12 की अवधि के औसतन पारेषण शुल्क बिलों को 5 प्रतिशत वृद्धि के बराबर माना गया है।

डीटीएल के लिए पारेषण शुल्क को दिल्ली बिजली नियामक आयोग द्वारा 13.07.2012 के एमवाईटी ऑर्डर में मंजूर किए गए टीपीडीटीएल के शेयर के मुताबिक रखा गया है।

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



माननीय आयोग के आदेश के मुताबिक वित्त वर्ष 2013-14 के लिए बीबीएमबी शुल्क में टीपीडीडीएल का शेयर 0.49 करोड़ रुपए माना गया है।

इसके अलावा वित्त वर्ष 2013-14 के लिए बिजली खरीद कीमत के पूर्वानुमान में दिल्ली एसएलडीसी शुल्क, एनआरएलडीसी सिस्टम ऑपरेटिंग शुल्क, रिएक्टिव एनर्जी शुल्क (डीटीएल को भुगतान), अरावली पारेषण शुल्क और सीएलपी पारेषण शुल्क जैसे पारेषण संबंधी लागत को लगभग 1.60 करोड़ रुपए प्रतिमाह माना गया है।

सेवा कर विभाग द्वारा पारेषण पर सेवा कर का दावा किया जा रहा है। अगर सेवा कर का भुगतान किया जाता है तो इसे संबंधित अवधियों के लिए अलग से लिया जाएगा क्योंकि यह एक संवैधानिक भुगतान है।

विव 13-14 के लिए ऊर्जा संतुलन की स्थिति निम्नानुसार है :

तालिका सं : 98 ऊर्जा संतुलन का संक्षिप्त ब्योरा तथा विद्युत कय लागत

विवरण	अनुमान (विव 13-14)		
	एमयू	राशि (करोड़ रु)	दर
सीएसजीएस से विद्युत खरीद	11,097.58	4,185.25	3.77
अंतर राज्यीय दिवपक्षीय खरीद	-	-	-
पीजीसीआईएल घाटा	(419.37)		
दिल्ली उत्पादन कंपनियों से खरीद	2,154.61	1,238.37	5.75
राज्य के भीतर विद्युत खरीद	-	-	-
दिल्ली के आसपास विद्युत उपलब्धता	12,832.82	5,423.62	4.23
डीटीएल घाटा	(112.69)		
डिस्कॉम के लिए उपलब्ध बिजली	12,720.13	5,423.62	4.26
घटा : अतिरिक्त विद्युत जो क्रय की गई/जमा की गई/यूआई बिक्री	(4,020.07)	(1,125.62)	2.80
टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं के लिए आवश्यकता बिजली	8,700.06	4,298.00	4.94
ट्रांसमिशन शुल्क			
पीजीसीआईएल शुल्क तथा यूएलडीसी शुल्क		301.69	
डीटीएल शुल्क		173.12	
टीपीडीडीएल उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक बिजली	8,700.06	4,772.81	5.49

नवीकरणीय ऊर्जा दायित्व

माननीय आयोग ने हाल ही में डीईआरसी (आरपीओ एंड आरईसी फ्रेमवर्क इम्प्लिमेंटेशन) रेग्युलेशन, 2012 की अधिसूचना जारी की जो एक अक्टूबर 2012 से प्रभाव में आ गया है।

माननीय आयोग ने 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित वार्षिक सौर और गैर सौर नवीकरणीय दायित्वों का आदेश दिया है। इसे इस तरह सारणीबद्ध किया गया है:

वित्त वर्ष	सौर	गैर-सौर	कुल
2013	0.15%	3.25%	3.40%
2014	0.20%	4.60%	4.80%
2015	0.25%	5.95%	6.20%
2016	0.30%	7.30%	7.60%
2017	0.35%	8.65%	9.00%

विनियमनों में इस बात का प्रावधान है कि सौर ऊर्जा समेत नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद एआरआर में दी गई नवीकरणीय ऊर्जा की कुल लागत से अधिक नहीं होगी। इससे अधिक की कीमत को शुल्क में किसी भी स्थिति में मंजूरी नहीं दी जाएगी।

याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग से आरपीओ से संबंधित विभिन्न मसलों पर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है जिसमें खरीद के तरीके, पात्र फीड-इन-टैरिफ, राज्य के भीतर घाटा आदि शामिल हैं। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा की व्यवस्था में लगने वाले समय के मद्देनजर आरपीओ के कियान्वयन में विस्तार का भी अनुरोध किया है। उपरोक्त के चलते, सौर ऊर्जा से स्वयं उत्पादन के अलावा अन्य कोई आरपीओ यूनिट या लागत पर विचार नहीं किया गया है। विव 2012-13 से ही आरपीओ को आवश्यक बनाए जाने की स्थिति में, यह अनुमान लगाया गया है कि कंपनी के लिए औसत खरीद लागत पर 6-7 पैसे/यूनिट का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।

यह भी अनुरोध किया जाता है कि माननीय आयोग याचिकाकर्ता द्वारा विद्युत कय लागत में आरपीओ के प्रभाव को शामिल कर सकता है जो कि याचिकाकर्ता के अनुरोध पर अंतिम फैसले पर आधारित होगा।

फॉर्म F2 का स्पष्टीकरण नोट : सकल स्थिर परिसंपत्तियां

माननीय आयोग ने विव 2012-13 से विव 2014-15 के लिए पूंजी व्यय को अस्थायी रूप से स्वीकृति देते हुए इस अवधि के दौरान पूंजीकरण को अस्थायी रूप से मंजूरी दी है। निवेदन है कि टीपीडीडीएल प्रथम नियंत्रण अवधि के पूंजी व्यय तथा पूंजीकरण के समायोजन के लिए आवेदन कर रहा है।

एमवाईटी विनियमन के उपबंध 4.17 में प्रावधान है कि माननीय आयोग किसी भी वर्ष के पूंजीकरण तथा कैपेक्स का संशोधन कर सकता है।

"4.17 आयोग किसी भी वर्ष के समायोजित पूंजी व्यय तथा पूंजीकरण के आधार पर नियंत्रण अवधि के बाकी वर्षों के लिए पूंजी व्यय और पूंजीकरण को भी संशोधित कर सकता है।"

माननीय आयोग से टीपीडीडीएल की कैपेक्स योजना के आधार पर पूंजीकरण के लिए पूंजी व्यय की मद में स्वीकृत अस्थायी राशि को संशोधित करने का अनुरोध है। यह भी ध्यानार्थ लाया जाता है कि विव 2007-08 के लिए 950 करोड़ रु के अस्थायी रूप से स्वीकृत कैपेक्स की तुलना में उक्त अवधि का वास्तविक व्यय 1350 करोड़ रु रहा। संशोधित कैपेक्स योजना के आधार पर (कृपया फॉर्म F2c का स्पष्टीकरण नोट देखें), संशोधित सकल ब्लॉक इस प्रकार है :

तालिका सं 99 अनुमानित पूंजीकरण

विवरण	विव 12-13	विव 13-14
प्रारंभिक शेष	3,569.53	4,165.17
वर्ष के दौरान जोड़	595.65	535.44
वर्ष के दौरान कमी	-	-
समाप्ति शेष	4,165.17	4,700.61

पूंजीकरण का वित्त पोषण

माननीय आयोग पूंजीकरण में उपभोक्ता योगदान की राशि के समायोजन के उपरांत पूंजीकरण के वित्त पोषण को संस्तुति दी है।

तालिका सं : 100 अनुमानित उपभोक्ता योगदान

उपभोक्ता योगदान/अनुदान	विव 12-13	विव 13-14
प्रारंभिक शेष	414.79	354.79
वर्ष के दौरान जोड़ (अनुदान सहित)	40.00	40.00
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	100.00	100.00
समाप्ति शेष	354.79	294.79
चक्रवृद्धि पूंजीकृत उपभोक्ता योगदान	425.25	525.25

तालिका सं : 101 पूंजीकरण का वित्त पोषण

विवरण	विव 12-13	विव 13-14
उपभोक्ता योगदान	100.00	100.00
अवमूल्यन	-	-
ऋण	346.95	304.81
इक्विटी	148.69	130.63
कुल	595.65	535.44

तालिका सं : 102 अनुमानित इक्विटी

विवरण	विव 12-13	विव 13-14
प्रारंभिक शेष	889.58	1,038.28
वर्ष के दौरान जोड़	148.69	130.63
वर्ष के दौरान कमी	-	-
समाप्ति शेष	1,038.28	1,168.91
औसत इक्विटी	963.93	1,103.59
मुनाफा	154.23	176.57

फॉर्म F2a का स्पष्टीकरण नोट : अवमूल्यन तथा अवमूल्यन का प्रावधान

माननीय आयोग ने उपभोक्ता योगदान के समायोजन के बाद सकल स्थिर परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन को मंजूरी दी है। संशोधित पूंजीकरण के आधार पर, अवमूल्यन की गणना निम्नानुसार की गई है :

तालिका सं 103 : अनुमानित अवमूल्यन (उपभोक्ता योगदान के बगैर) करोड़ रु

विवरण	विव 12-13	विव 13-14
प्रारंभिक शेष	1,267.66	1,417.26
वर्ष के दौरान जोड़ (एडीडी समेत)	149.59	171.85
वर्ष के दौरान कमी	-	-
समाप्ति शेष	1,417.26	1,589.11
औसत अवमूल्यन दर	3.87%	3.88%

उपरोक्त औसत अवमूल्यन दर को लागू करने के बाद जीएफए (शुद्ध उपभोक्ता योगदान) पर संशोधित अवमूल्यन की गणना की गई है।

तालिका सं : 104 अनुमानित अवमूल्यन (शुद्ध उपभोक्ता योगदान) करोड़ रु

विवरण	विव 12-13	विव 13-14
प्रारंभिक शेष	1,235.36	1,370.44
वर्ष के दौरान जोड़ (एडीडी समेत)	135.08	153.43
वर्ष के दौरान कमी	-	-
समाप्ति शेष	1,370.44	1,523.87

तालिका सं : 105 अवमूल्यन का प्रयोग

विवरण	विव 12-13	विव 13-14
अवमूल्यन	135.08	153.43
ऋण अदायगी के लिए प्रयुक्त	135.08	153.43
कार्यशील पूंजी के लिए प्रयुक्त	-	-
पूंजी निवेश के लिए प्रयुक्त	-	-
अप्रयुक्त अवमूल्यन	-	-
चक्रवृद्धि अप्रयुक्त अवमूल्यन	-	-

फॉर्म F2a (i) का स्पष्टीकरण नोट : अवमूल्यन के विरुद्ध अग्रिम

अवमूल्यन के विरुद्ध अग्रिम की आवश्यकता की गणना एमवाईटी विनियमन में निर्धारित विधि के अनुसार की गई है।

एमवाईटी विनियमन, 2011 के अनुसार

AAD= ऋण (जो कि पूंजीगत व्यय के लिए लिया गया) अदायगी राशि जो कि ऋण अदायगी अवधि पर आधारित है, जो कि इन विनियमनों के आधार पर की गई गणना के मुताबिक ऋण राशि के 1/10वें भाग घटा अवमूल्यन की ऊपरी सीमा तक ही हो सकता है;

बशर्ते, अवमूल्यन के विरुद्ध अग्रिम उसी स्थिति में मंजूर होगा जबकि एक वर्ष विशेष में चक्रवृद्धि अदायगी उस वर्ष तक के चक्रवृद्धि अवमूल्यन से अधिक होगी,"

यह भी कि किसी वर्ष विशेष में अवमूल्यन के विरुद्ध अग्रिम चक्रवृद्धि पुनर्भगतान और उस वर्ष तक चक्रवृद्धि अवमूल्यन के बीच अंतर तक ही सीमित होगा।

उपरोक्त के आधार पर, ऋण के 1/10वें भाग की गणना प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीकरण के वित्त पोषण के समायोजन तथा विव 12-13 और विव 13-14 (देखें फॉर्म F3b) के लिए आवश्यक नए ऋणों के आधार पर की गई है।

वर्ष के लिए ऋणों की वापसी की राशि 3b से ली गई है।

मौजूदा अवमूल्यन राशि फॉर्म F2a से संबद्ध है।

चक्रवृद्धि अवमूल्यन को उपरोक्त गणना के मुताबिक लिया गया है।


चूंकि AAD का मामला विचाराधीन है, लिहाजा AAD की मांग नहीं की गई है।

फॉर्म F2b का स्पष्टीकरण नोट : निवेश प्लान मास्टर

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि प्रथम नियंत्रण अवधि के समायोजन के आधार पर, माननीय आयोग से विव 2012-13 की एआरआर में दायर कैपेक्स प्लान के अनुसार पूंजी व्यय को मंजूरी देने का निवेदन है।

तालिका सं : 106 विव 12-13 से विव 14-15 के दौरान अनुमानित कैपेक्स		करोड़ रु			
विवरण /विव		2012-13	2013-14	2014-15	कुल
गैर अभिरक्षा कार्यों के लिए बजट					
1	एटी एवं सी घाटों में कमी लाने संबंधी योजनाएं				
1.1	मीटर बदलना	27	28	38	93
1.2	एचवीडीएस कार्य	20	15	10	45
1.3	एलटी बेयर कंडक्टर से एलटी एबीसी को बदलना				
1.4	फ्रेंचाइजी/एसपीडी के लिए एलटी एबीसी				
एटी एवं सी घाटों में कमी का कुल योग		47	43	48	138
2	विश्वसनीयता सुधार योजनाएं				
2.1	ऑटोमेशन क्रियान्वयन	8	5	10	23
2.2	नई टेक्नोलॉजी (जीआईएस, संचार, ओएमएस तथा स्मार्ट फीडर)	12	21	18	51
2.3	सुरक्षा संबंधी	8	8	8	24
2.5	11 kV रुग्ण केबल को बदलना	10	10	10	30
2.6	जांच के उपकरण	2	2	2	5
विश्वसनीयता सुधार का कुल योग		40	46	48	133
3	लोड विकास योजनाएं				
3.1	ईएचवी कार्य				
3.1.1	अभिरक्षा कार्यों को छोड़कर ग्रिड सबस्टेशन	81	95	92	268
3.1.2	66 & 33 kV लाइनें तथा केबल				
3.1.3	66 & 33 kV जोड़/बे/ट्रांसफॉर्मरों में वृद्धि				
3.1.4	11 kV सिस्टम विस्तार	66	92	54	212
3.1.5	नए मीटर	48	49	51	148
3.1.6	एलटी कार्य	10	10	10	30
लोड विकास का कुल योग		205	246	207	658
4	ढांचागत विकास योजनाएं				
4.1	सिविल ढांचागत परियोजनाएं	5	5	5	15

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



विवरण /विव	2012-13	2013-14	2014-15	कुल
4.2 सूचना प्रौद्योगिकी	17	20	19	56
4.3 प्रशासनिक समर्थन	10	10	10	30
ढांचागत विकास का कुल योग	32	35	34	101
गैर अभिरक्षा कार्यों का कुल योग (A)	324	370	337	1,031
अभिरक्षा कार्य	50	50	50	150
आईडीसी	45	55	66	166
कुल	419	475	453	1,347

फॉर्म F2b का स्पष्टीकरण नोट : ऋण : निवेश प्लान – मास्टर – ऋण विवरण

फॉर्म F2b(i) का स्पष्टीकरण नोट : चालू करना/पूँजीकरण योजना – मास्टर

फॉर्म F2b(ii) का स्पष्टीकरण नोट : वर्षवार पूँजी व्यय

फॉर्म F2b(ii) का स्पष्टीकरण नोट : ऋण : वर्षवार पूँजी व्यय – ऋण विवरण

फॉर्म F2b(iii) का स्पष्टीकरण नोट : पूँजीकृत कार्यों का वित्त पोषण

फॉर्म F2b(iii) का स्पष्टीकरण नोट : ऋण : पूँजीकृत कार्यों का वित्त पोषण – ऋण ब्योरा

ऋण किसी योजना विशेष के लिए नहीं लिया जाता क्योंकि अलग-अलग योजनाओं के लिए ऋण लेना काफी महंगा साबित होता है और प्रशासनिक दृष्टि से भी ऐसा करना काफी असुविधाजनक होता है।

माननीय आयोग द्वारा संस्तुत कुल पूँजी व्यय के लिए ऋण लिया जाता है।

योजना के हिसाब से पूँजीगत विवरण मौजूदा याचिका में उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है, यह विवरण अनियंत्रणयोग्य मानकों के समायोजन की प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।

विव 12-13 से पूँजी व्यय हेतु ऋण संबंधी सूचना को फॉर्म 3a और 3b में तथा इन फॉर्मों की टिप्पणियों में दिया गया है।

फार्म F2c का स्पष्टीकरण : पूंजीगत कार्य जो जारी है – संक्षिप्त वक्तव्य

विव 2012-13 से, यह अनुमान किया गया है कि शुरुआती सीडब्ल्यूआईपी के 50% (प्राप्ति हेतु लंबित ईआई प्रमाणपत्र समेत) तथा वर्ष के दौरान वहन रकम को, वर्ष के दौरान पूंजीकृत कर दिया जाएगा।

तालिका सं : 107 जारी अनुमानित पूंजीगत कार्य करोड़ रु

विवरण	विव 12-13	विव 13-14
सीडब्ल्यूआईपी का प्रारंभिक शेष	771.97	595.65
वर्ष के दौरान ताजा निवेश	419.32	475.23
ताजा निवेश से किया गया पूंजी निवेश*	595.65	535.44
वर्ष के दौरान कुल पूंजीकरण	595.65	535.44
सीडब्ल्यूआईपी का समाप्ति शेष (A + B - C)	595.65	535.44

* प्रारंभिक सीडब्ल्यूआईपी पर विचार करते हुए पूंजीकरण अनुमानित, वर्ष के दौरान तथा वहन सीडब्ल्यूआईपी और ईआई प्रमाणपत्रों की पूर्व प्राप्तियां

फार्म F2d का स्पष्टीकरण : पूंजीकृत व्यय का विवरण

कर्मचारी लागत और F2d में पूंजीकृत होने वाली अनुमानित ब्याज लागत का विवरण।

फॉर्म F2e : अप्रयुक्त परिसंपत्तियों का वक्तव्य

परिसंपत्तियों को सेवा निर्गत करने पर होने वाले नुकसान के उपचार के बारे में माननीय आयोग के फैसले के लंबित रहने के चलते, विव 2012-13 से परिसंपत्तियों को निर्गत करने पर विचार नहीं किया गया है।

फॉर्म F2f : पूंजी परिसंपत्तियों की लागत के लिए योगदान, अनुदान और सब्सिडी

बेलेंस शीट में पूंजी परिसंपत्तियों की लागत के लिए योगदान को फंड के स्रोत में भेजा गया है। यह ऐसी स्थिति में किया गया है जबकि जिस परिसंपत्ति के लिए योगदान किया गया है वह पूंजीगत है।

वित्त वर्ष 2008 से 12 के दौरान प्राप्त हुए उपभोक्ता योगदान और कैपिटलाइज्ड को वित्त वर्ष 2012 तक के आरओसीई के समायोजन सेक्शन में दिया गया है।

अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2012-13 और वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान उपभोक्ता योगदान के तहत 100 करोड़ रुपए पूंजीकरण किए जाएंगे।

फॉर्म F3 का स्पष्टीकरण: ब्याज और वित्तीय शुल्कों का सारांश

सीडब्ल्यूआईपी को फाइनेंस करने के लिए लिए गए ऋण का ब्याज चुकता करने में दी गई रकम का वर्ष के दौरान पूंजीकरण किया गया है। नए ऋण के लिए ब्याज की दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष रखी गई है जिसे समायोजित करते समय वास्तविक रखा जाएगा।

फॉर्म 3a का स्पष्टीकरण: 01.04.12 तक बकाया सभी ऋणों के लिए लोन मास्टर

01.04.12 तक बकाया सभी ऋणों के लिए विस्तार (नियम और शर्त आदि) से फॉर्म एफ3ए में जानकारी दी गई है।

वित्त वर्ष 2009-10, वित्त वर्ष 2010-11 और वित्त वर्ष 2011-12 में पैदा हुए राजस्व में भारी अंतर के कारण टीपीडीडीएल इक्विटी में 16 प्रतिशत रिटर्न की रिकवरी और इंसेंटिव हासिल करने में नाकाम रही और उसे प्रासमिक कैपेक्स लोन को अतिरिक्त कैपेक्स लोन में बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ऋण के बारे में अगर माननीय आयोग को किसी तरह की सूचना की जरूरत पड़ेगी तो वह मुहैया कराई जाएगी।

फार्म 3b के बारे में स्पष्टीकरण: भारित औसतन ब्याज दर की गणना

वित्त वर्ष 2007 तक रिण का समायोजन करते समय वास्तविक ब्याज दर को आधार बनाया गया है। वित्त वर्ष 07-08 से वित्त वर्ष 11-12 के दौरान लिए गए ऋण के लिए वास्तविक भारित औसतन ब्याज दर मानी गई है और इसके संबंधित अवधि के दौरान पूंजीकरण के लिए मंजूर होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 12-13 और वित्त वर्ष 13-14 के दौरान समायोजन में ऋण पर ब्याज दर 12 प्रतिशत सालाना माना गया है। हालांकि प्रतिवर्ष समायोजन करते समय वास्तविक ब्याज दर को जोड़ा जाएगा।

वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए ब्याज दर वित्त वर्ष 11-12 के दौरान चल रही 12.78 प्रतिशत की सालाना दर को माना गया है।

वास्तविक ऋणों के भुगतान के लिए मौजूदा ऋण समझौतों की शर्तों को आधार बनाया गया है। अन्य ऋणों के भुगतान के लिए जिस वर्ष ऋण लिया गया है उस वर्ष किए गए मूल भुगतान को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किया गया है। इस ऋण को ऋणस्थगन अवधि के समाप्त होने के बाद अगली 40 तिमाही किस्तों (दस साल में) में दिया जाना है।

तालिका सं - 108 अनुमानित ऋणों का विवरण *

विवरण	विव 12-13	विव 13-14
प्रारंभिक शेष	1,089.83	1,266.49
वर्ष के दौरान जोड़	346.95	304.81
वर्ष के दौरान कमी	170.30	205.01
समाप्ति शेष	1,266.49	1,366.29
औसत ऋण	1,178.16	1,316.39

* उपरोक्त में कामकाजी पूंजीगत ऋण शामिल नहीं

फॉर्म F4 का स्पष्टीकरण नोट : कार्यशील पूंजी की आवश्यकता

कार्यशील पूंजी आवश्यकता की एमवाईटी विनियमनों के मुताबिक गणना की गई है।

कार्यशील पूंजी आवश्यकता = 2 माह में बिजली की बिक्री से प्राप्त राजस्व - 1 माह की बिजली कय लागत - 1 माह ट्रांसमिशन शुल्क - 2 माह का व्हीलिंग शुल्क

कुल 53.15 करोड़ रु की अवमूल्यन राशि को माननीय आयोग द्वारा विव 2003 से विव 2005 के दौरान प्रारंभिक कार्यशील पूंजी आवश्यकता के लिए उपलब्ध तथा स्वीकृत मानना गया है।

विस्तृत ब्योरा फॉर्म F4 में दिया गया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपभोक्ता सुरक्षा अभिरक्षा पर अदा किए गए ब्याज को माननीय आयोग ने एआरआर में इस आधार पर मंजूरी नहीं दी है कि उपभोक्ता सुरक्षा अभिरक्षा राशि डिस्कॉम के पास ही उपलब्ध थी। माननीय आयोग को इस तथ्य की जानकारी है कि तत्कालीन दिविबो द्वारा प्राप्त सुरक्षा अभिरक्षा की रकम प्रारंभिक बैलेन्स शीट में हस्तांतरित राशि से कहीं ज्यादा दी, इस संबंध में माननीय आयोग द्वारा याचिका सं 78-80/2004 के संबंध में दिनांक 23.04.2007 के फैसले और दिल्ली सरकार को जारी पत्रांक F.11 (134)/DERC/2004-05/ दिनांक 24.04.2007 में उल्लिखित वैधानिक परामर्श का संदर्भ लिया गया है।

माननीय आयोग द्वारा सप्लाई कोड में दिए गए निर्देश के अनुसार, टीपीडीडीएल कुल उपभोक्ताओं (इनमें वो उपभोक्ता भी शामिल हैं जिन्होंने दिविबो को सुरक्षा अभिरक्षा राशि जमा करायी थी) को सुरक्षा अभिरक्षा पर ब्याज का भुगतान कर रहा है, परंतु प्रारंभिक बैलेन्स शीट में हस्तांतरित रकम (10 करोड़ रु) से अधिक की सुरक्षा अभिरक्षा पर ब्याज का भुगतान दिल्ली पावर कंपनी लिमिटेड (होलिडिंग कंपनी) द्वारा किया जाना है लेकिन डीपीसीएल उस ब्याज की उस रकम की प्रतिपूर्ति नहीं कर रहा है जिसका भुगतान टीपीडीडीएल ने डीपीसीएल की सुरक्षा अभिरक्षा की मद में किया है। टीपीडीडीएल, बीएसईएस डिस्कॉम ने एक रिट याचिका सं 2395/2008 दायर की है जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि फिलहाल ऐसे उपभोक्ताओं को अदा की गई ब्याज की रकम की टीपीडीडीएल को प्रारंभिक बैलेन्स शीट में हस्तांतरित राशि के ऊपर से सुरक्षा अभिरक्षा पर देय ब्याज के तौर पर मांग नहीं की जा रही है क्योंकि मामला फिलहाल अदालत के समक्ष विचाराधीन है। यह भी निवेदन है कि यदि उक्त मामले में डीपीसीएल के पक्ष में फैसला सुनाया जाता है, तो उस स्थिति में अदा की गई ब्याज की रकम प्रभाव का दावा संवहन लागत के साथ एआरआर में किया जाएगा। यह भी निवेदन है कि कार्यशील पूंजी के लिए स्वीकृत ब्याज दर और भुगतान की गई सुरक्षा अभिरक्षा के बीच अंतर को एआरआर में गैर-शुलक आय के रूप में दर्शाया जाएगा। यह भी अनुरोध है कि कार्यशील पूंजी का समायोजन विद्युत कय/राजस्व आवश्यकता संबंधी वास्तविक समायोजित आंकड़ों के आधार पर किया जाए।

फॉर्म 5 का स्पष्टीकरण नोट : मरम्मत एवं रखरखाव व्यय (आर एवं एम व्यय)

फॉर्म 6 का स्पष्टीकरण नोट : कर्मचारी लागत एवं प्रावधान

फॉर्म F7 का स्पष्टीकरण नोट : प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय

उपरोक्त खर्चों को दिनांक 13 जुलाई, 2012 के आदेश में संस्तुत माना गया है।

छठे वेतन आयोग को लागू करना

छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वार्षिक वृद्धि की तिथि एक जुलाई तय की गयी है जो 01.07.2006 से लागू हो गई है। उन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि दी गई है जिनकी अगली वेतन वृद्धि 01.07.2006 से 01.01.2007 के बीच थी।

वित्त मंत्रालय ने अपने 19 मार्च 2012 के परिपत्र में साफ किया है कि जिन कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि फरवरी से जून 2006 तय थी उन्हें 01.01.2006 से पूर्वसंशोधित वेतनमान के अनुरूप एक वेतन वृद्धि दी जाएगी।

इस परिपत्र की सिफारिशें वित्त वर्ष 2012-13 में लागू की जाएंगी। इसके बारे में अध्ययन (लगभग 5-6 करोड़) वास्तविक भुगतान के आधार पर वित्त वर्ष 12-13 के समायोजन में दिया जाएगा।

सेवा कर में बढ़ोतरी

सेवा कर को 01.04.2012 से 10.30 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.36 प्रतिशत कर दिया गया है। सेवा कर पहले कुछ सेवाओं तक सीमित था लेकिन अब इसे खासतौर पर नकारात्मक सूची में लाई गई सेवाओं के अलावा सभी सेवाओं में लागू कर दिया गया है। माननीय आयोग ने उपर्युक्त प्रासमिक खर्चों की वित्त वर्ष 12-13 से आगे के लिए वित्त वर्ष 11-12 के खर्चों के आधार पर अनुमति दे दी है जिससे ऊपर किए गए बदलावों से खाते पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। माननीय आयोग से अनुरोध है कि वित्त वर्ष 12-13 के लिए समायोजन के समय भी इसे वास्तविक आधार पर लागू करने की अनुमति दी जाए।

फॉर्म 9 का स्पष्टीकरण नोट: प्राप्य का विवरण

प्राप्य की गणना प्रासमिक आधार पर 99.50 प्रतिशत कलेक्शन एफिशिएंसी के आधार पर की गई है।



फॉर्म एफ10 का स्पष्टीकरण: आयकर प्रावधान

इक्विटी पर रिटर्न की गणना पहले की गयी फाइनेंसिंग गणना के आधार पर की गई है।

तालिका 109 : अनुमानित आयकर

करोड. रु

विवरण	विव 12-13	विव 13-14	टिप्पणी
औसत इक्विटी	963.93	1,103.59	तालिका 54
आरओई	154.23	176.57	@16%
सकल कर (कर दर @ 20%)	192.79	220.71	RoE/(1-Tax)
Tax	38.56	44.14	

अलबत्ता, आयकर का समायोजन वास्तविक के आधार पर किया जाना चाहिए।

फॉर्म 11 का स्पष्टीकरण नोट : निवेश से आय तथा अन्य गैर-शुल्क आय

फॉर्म **F11a** का स्पष्टीकरण नोट : उपभोक्ताओं से विविध शुल्कों की मदों में प्राप्त आय

फॉर्म **F11b** का स्पष्टीकरण नोट :

विव 2011-12 पर आधारित अनुमानित गैर-शुल्क आय; अलबत्ता छूट पर विचार नहीं किया गया।

एनटीआई का समायोजन वास्तविक के आधार पर किया जाएगा।

फॉर्म F13 का स्पष्टीकरण नोट : फॉर्म सूचकांक

पिछले वर्ष के सूचकांक उपलब्ध कराए गए हैं। सीपीआई/डब्ल्यूपीआई से संबंधित कागजातों की प्रतियां खंड II संलग्नक 12 पर उपलब्ध हैं।

भविष्य के सूचकांकों का पूर्वानुमान जताना कठिन है; लिहाजा विव 2011-12 से संबंधित वास्तविक सूचकांकों को आधार बनाया गया है जो कि वास्तविक के समायोजन की शर्तों के अधीन हैं।

फॉर्म F14 का स्पष्टीकरण नोट : विनियमित दर आधार

आरआरबी की गणना एमवाईटी विनियमनों में निर्धारित विधि के मुताबिक की गई है। फॉर्म F2 के स्पष्टीकरण के मुताबिक, संशोधित जीएफए और अवमूल्यन की गणना उस वर्ष विशेष में विचारणीय पूंजीकरण के आधार पर की गई है जिसमें ईआई प्रमाणपत्रों को जमा कराया गया।

कार्यशील पूंजी संबंधी आंकड़ों को फॉर्म F4 से लिया गया है।

विव 12-13 और विव 13-14 का बिजली खरीद कीमत समायोजन (पीपीएसी)

01.04.12 से 30.06.12 के दौरान एफपीए लागू था। 1 जुलाई, 2012 को नई शुल्क व्यवस्था लागू होने के बाद, एफपीए को हटा लिया गया और 1 अक्टूबर, 2012 से पीपीएसी को लागू किया गया; परंतु माननीय आयोग ने इस संदर्भ में किसी तरह की वृद्धि को मंजूरी नहीं दी है। जनवरी 13 से मार्च 13 का अनुमानित पीपीएसी 5.74% है जिससे 65.24 करोड़ रु का अनुमानित राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। विव 13-14 के दौरान अनुमानित पीपीएसी से 256.88 करोड़ रु की वसूली का आकलन है। (देखें खंड II संलग्नक 13)

तालिका सं : 110 वर्ष के लिए अनुमानित सरप्लस / (अंतर)

करोड़ रु

विवरण	विव 12-13	विव 13-14	टिप्पणी
मौजूदा शुल्क पर अनुमानित राजस्व	4,517.46	5,083.72	पृष्ठ सं 95
अनुमानित पीपीएसी	65.24	256.88	खंड II संलग्नक 13
कुल अनुमानित राजस्व उपलब्धता	4,582.70	5,340.60	
अनुमानित राजस्व आवश्यकता	5,227.09	5,643.09	फॉर्म A1 के अनुसार
संवहन लागत के बगैर शुद्ध (अंतर)/सरप्लस	(644.39)	(302.49)	

तालिका सं : 111 समाप्ति अंतर की गणना

करोड़ रु

विवरण	विव 12-13	विव 13-14	टिप्पणी
प्रारंभिक राजस्व अंतर	(3,869.74)	(4,689.29)	तालिका सं 76
इस याचिका के अनुसार अतिरिक्त राजस्व अंतर	(644.39)	(302.49)	तालिका सं 110
घाटा अधिभार के जरिए अनुमानित वसूली @ 8%*	271.04	385.52	मौजूदा शुल्क के आधार
वर्ष के दौरान राजस्व (अंतर)/सरप्लस	(373.35)	83.03	
समाप्ति राजस्व (अंतर)	(4,243.08)	(4,606.26)	
संवहन लागत दर @ 11%# की अनुमानित दर पर	(446.21)	(511.25)	
समाप्ति राजस्व अंतर (संवहन लागत सहित)	(4,689.29)	(5,117.51)	

* विव 12-13 के 9 माह के लिए

वास्तविक ब्याज दर के आधार पर समायोजन के अधीन

शुल्क तार्किकीकरण

शुरुआत में ही टीपीडीडीएल यह स्पष्ट करना चाहती है कि शुल्क परिमेयकरण प्रक्रिया प्रस्तावित करने की मंशा शुद्ध अतिरिक्त राजस्व कमाना नहीं है बल्कि ढांचे को ज्यादा आसान, संतुलित, उपभोक्ताओं के अनुकूल और ज्यादा व्यावहारिक बनाना है।

इसलिए टीपीडीडीएल माननीय आयोग से अनुरोध करता है कि वह शुल्क ढांचा इस तरह बनाए कि महज परिमेयकरण के कारण कुल राजस्व जरूरत पर पड़ने वाला असर 'शून्य' रहे और इस राजस्व का इस्तेमाल लाइसेंसधारक के अनुमति प्राप्त खर्चों पर करने की अनुमति दी जाए।

'शुल्क परिमेयकरण' पर टीपीडीडीएल के प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

1 – हाई एंड उपभोक्ताओं पर विश्वसनीयता शुल्क का प्रावधान

उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की खातिर वितरण कंपनियों ने मौजूद नेटवर्क को मजबूत बनाने में भारी भरकम पूंजी खर्च की है। इसके अलावा बेस मांग को पूरा करने के लिए लंबी अवधि के विभिन्न करार किए गए हैं। हालांकि ग्रिड की स्थिरता बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है कि कंपनी पीक डिमांड का प्रबंधन अच्छे से करे ताकि उसके सभी उपभोक्ताओं को बिना किसी बाधा के बिजली आपूर्ति हो सके।

इसलिए पीक डिमांड को पूरा करने की खातिर वितरण कंपनियों को स्टैंड बाय/महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है, जिससे बिजली की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

वितरण कंपनियों ने बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता को इस तक बढ़ाने में सफलता हासिल की है कि अब उपभोक्ताओं द्वारा वैकल्पिक बिजली आपूर्ति प्रबंधन की जरूरत मसलन डीजल जेनसेट के इस्तेमाल में काफी कमी आई है।

इसलिए यह प्रस्ताव दिया जाता है कि माननीय आयोग ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले यानी हाई एंड उपभोक्ताओं (सभी श्रेणियों में) पर लगने वाले शुल्क में 'विश्वसनीयता शुल्क' को एक अलग तत्व के तौर पर रखे। वैसे भी ये हाई एंड उपभोक्ता अबाधित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निजी डीजल जेनसेट वगैरह के परिचालन और रखरखाव पर 10-12 रुपये प्रति यूनिट खर्च करते हैं। अबाधित बिजली की आपूर्ति

कर वितरण कंपनियों ने ऐसे उपभोक्ताओं को काफी राहत पहुंचाई है और अब ये अपने डीजल जेनरेटरों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके रखरखाव पर होने वाला खर्च भी काफी कम हुआ है।

इस शुल्क को उसी रकम के बराबर रखा जा सकता है, जो ये हाई एंड उपभोक्ता बिजली के वैकल्पिक इंतजाम पर खर्च करते थे लेकिन वितरण कंपनियों की ओर से अबाधित बिजली आपूर्ति के कारण अब खर्च नहीं कर रहे हैं। इससे लो एंड उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी और उन पर ज्यादा शुल्क का बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अबाधित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैसे भी उतनी ज्यादा रकम खर्च नहीं कर रहे थे।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि हाई एंड उपभोक्ताओं पर विश्वनीयता अधिभार लगाए जाने के बावजूद उन्हें यह बिजली डीजल जेनसेट से होने वाली बिजली आपूर्ति से काफी सस्ती पड़ेगी क्योंकि लंबी अवधि या द्विपक्षीय करार के तहत खरीदी गई बिजली डीजल जेनसेट से आने वाली बिजली के मुकाबले काफी सस्ती होती है।

2- (क) एनडीएचटी, एनडीएलटी उपभोक्ता श्रेणियों का विलय

(ख) एसआईपी और एलआईपी उपभोक्ता श्रेणियों का विलय

हाल के शुल्क आदेश में हुए बदलाव जहां एनडीएलटी-2 और एमएलएचटी का विलय किया गया है एक स्वागतोद्य कदम है क्योंकि माननीय आयोग ने शुल्क परिमेयकरण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। हालांकि एक बार फिर यह प्रस्ताव है कि इसी सिद्धांत पर गैर-घरेलू (एनडीएलटी, एनडीएचटी उपभोक्ता श्रेणियों) के लिए एक ही शुल्क तय किया जाना चाहिए क्योंकि ये सभी बिजली का उपयोग एक ही उद्देश्य से करते हैं वह है 'व्यावसायिक गतिविधियों' के लिए और इसलिए इन श्रेणियों का भी विलय हो जाना चाहिए। इसी तर्ज पर औद्योगिक उपभोक्ताओं (एसआईपी और एलआईपी उपभोक्ता श्रेणियों) के लिए भी एक ही शुल्क होना चाहिए क्योंकि ये भी बिजली का इस्तेमाल 'औद्योगिक गतिविधियों' के उद्देश्य से ही करते हैं।

इससे उपभोक्ताओं की श्रेणी घटाने में मदद मिलेगी और साथ ही शुल्क ढांचे को आसान बनाने में भी, जिससे अनैतिक व्यवहारों पर काबू पाने में भी आसानी होगी।

3- एचटी मीटरिंग

क- माननीय आयोग 11 केवी या इससे ज्यादा बिजली (100 किलोवाट से ज्यादा का लोड) इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एचटी मीटरिंग को अनिवार्य बना सकता है।

ख- यह भी प्रस्ताव दिया जाता है कि एचवीडीएस पर मौजूद उपभोक्ता यानी 50 किलोवाट से ज्यादा के लोड के लिए डेडिकेटेड ट्रांसफॉर्मर वाले उपभोक्ताओं को भी एचटी मीटरिंग उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके साथ ही उन्हें मौजूदा शुल्क पर अतिरिक्त 2 फीसदी की रियायत भी दी जा सकती है क्योंकि एचवीडीएस लाइन नुकसान, वितरण ट्रांसफॉर्मर लोडिंग, रखरखाव समस्या कम करने में मदद करता है और वोल्टेज प्रोफाइल सुधारता है, जिससे स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होती है और बिजली चोरी की आशंका भी कम हो जाती है।

माननीय आयोग को इसकी भी तारीफ करनी चाहिए कि एचटी मीटरिंग की मदद से एटी एंड सी घाटा भी काफी हद तक कम किया जा सकता है।

4- 5 किलोवाट लोड तक समान तय शुल्क :

पुराने शुल्क आदेश में तय शुल्क पर माननीय आयोग के नजरिये को संदर्भ के लिए नीचे पेश किया जा रहा है-

'आयोग इस बात से सहमत है कि मौजूदा शुल्क ढांचा यानी तय शुल्क से होने वाली वसूली लाइसेंसधारक की तय लागत के मुकाबले काफी कम है।'

'आयोग का मानना है कि तय शुल्क से होने वाली वसूली को धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले इसके असर को कम से कम किया जा सके।'

फिलहाल 5 किलोवाट के नीचे तय शुल्क के दो स्लैब हैं, जिसमें से ज्यादातर घरेलू उपभोक्ता ऐसे हैं, जिनका अनुमोदित लोड 2 किलोवाट से कम है लेकिन उनका कनेक्टेड लोड 2 किलोवाट से काफी ज्यादा है। इससे उन उपभोक्ताओं की ओर अनुचित झुकाव होता है, जिन्होंने अपने लोड को वास्तविक कनेक्टेड लोड के बराबर नहीं किया है जबकि अन्य बिल्ड लोड के उपभोक्ता तय शुल्क का भुगतान कर रहे हैं।

लाइसेंसधारक द्वारा हर महीने प्रति उपभोक्ता पर आने वाली तय लागत मौजूदा शुल्क से कहीं ज्यादा है, जिसकी वजह से 5 किलोवाट से ज्यादा अनुमोदित लोड वाले अन्य घरेलू उपभोक्ताओं व अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 5 किलोवाट से कम अनुमोदित लोड वाले उपभोक्ताओं को क्रॉस सब्सिडाइज करना पड़ता है। शुल्क में इस असामनता को समाप्त करने के लिए आयोग घरेलू श्रेणी के लिए तय शुल्क का पुनर्गठन कर सकता है, जिससे 5 किलोवाट लोड तक समान तय शुल्क लगाया जाए।

5 – 10-100 किलोवाट अनुमोदित लोड वाले औद्योगिक व गैर-घरेलू उपभोक्ताओं और 100 किलोवाट से ज्यादा एमडीआई के लिए बिलिंग

यह बताना प्रासंगिक है कि 100 किलोवाट से ज्यादा अनुमोदित लोड और अनुमोदित लोड से कम या उसके बराबर एमडीआई वाले ईमानदार उपभोक्ताओं पर बेकार में ज्यादा शुल्क का बोझ डाला जा रहा है जबकि 100 किलोवाट से कम अनुमोदित लोड और उससे ज्यादा एमडीआई वाले अनैतिक उपभोक्ता लोड उल्लंघन के लिए 30 फीसदी अधिभार लगाने के बावजूद कम शुल्क का भुगतान करते हैं, जो ईमानदार उपभोक्ताओं के लिए सही नहीं है।

इसकी बानगी के लिए हम मान लेते हैं कि एलटी का एक अनैतिक औद्योगिक उपभोक्ता है, जिसके पास 80 केवीए का अनुमोदित लोड और 120 केवीए का एमडीआई है जबकि एलटी पर एक ईमानदार औद्योगिक उपभोक्ता के पास 120 केवीए का ही अनुमोदित लोड और एमडीआई है।

विवरण	उपभोक्ता ए	उपभोक्ता बी
अनुमोदित लोड (केवीए में)	80	120
एमडीआई (केवीए में)	120	120
यूनिट (केवीएएच में)	15000	15000
प्रभावी तय शुल्क (रुपये में केवीए/प्रति माह)	90	150
प्रभावी ऊर्जा शुल्क (रुपये में प्रति केवीएएच)	6.6	8.0
भुगतान योग्य तय शुल्क (30 फीसदी लोड उल्लंघन अधिभार समेत) (रुपये में)	11880	18000
भुगतान योग्य ऊर्जा शुल्क (रुपये में)	99000	120000
भुगतान योग्य कुल शुल्क (रुपये में)	110880	138000

जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि अनैतिक उपभोक्ता ए ने ईमानदार उपभोक्ता बी से काफी कम शुल्क चुकाया वह भी 30 फीसदी लोड उल्लंघन लगाए जाने के बावजूद। इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए यह गुजारिश की जाती है कि ऐसे मामलों के लिए जहां औद्योगिक व गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एमडीआई 100 किलोवाट से ज्यादा हो रहा हो जबकि अनुमोदित लोड 100 किलोवाट से कम हो, उनके लाइसेंस का पुनर्श्रेणीकरण कर अगली श्रेणी में डाल देना चाहिए और उन पर वही शुल्क लगाना चाहिए, जो एलटी पर मौजूद 100 किलोवाट से ज्यादा लोड वाले औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर लगता है।

6 — प्लॉटेड भवनों में फ्लोर टाइप निर्माण में आम सेवाओं के लिए दिए गए कनेक्शनों पर प्रभावी शुल्क मौजूदा शुल्क आदेश में माननीय आयोग ने स्पष्ट किया है कि आम सेवाओं के लिए अलग कनेक्शन, 11 केवी के सीजीएचएस सिंगल डिलिवरी प्वाइंट वाले, उपभोक्ताओं से ऊर्जा शुल्क के लिए उच्चतम स्लैब के अनुसार शुल्क वसूला जाएगा। इस बारे में शुल्क शेड्यूल से प्रासंगिक बातें नीचे दी गई हैं :

‘अलग मीटर के जरिये आम सुविधाओं के लिए स्वतंत्र कनेक्शन रखने वाली सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के मामले में बिल घरेलू श्रेणी के लिए ऊर्जा शुल्क के उच्चतम स्लैब के आधार पर बनाया जाएगा।’

इसके अलावा हम यह बताना चाहेंगे कि प्लॉटेड भवनों के फ्लोर टाइप निर्माण में अब आवासीय उपभोक्ता भी आम सुविधाओं मसलन लिफ्ट्स, पार्किंग वगैरह के लिए स्वतंत्र कनेक्शनों का आवेदन कर रहे हैं। उपर्युक्त तर्क के आधार पर फ्लोर टाइप निर्माण में आम सेवाओं के लिए ऐसे कनेक्शनों के लिए भी घरेलू श्रेणी में उपलब्ध उच्चतम स्लैब के आधार पर शुल्क वसूलना चाहिए।

7 — बिजली बिल के नकद भुगतान की सीमा बढ़ाई जाए

यह शुल्क आदेश में माननीय आयोग के उन निर्देशों के संदर्भ में है कि अगर बिजली का बिल 4,000 रुपये से ज्यादा है तो याचिकाकर्ता भुगतान को अकाउंट पेई चेक या फिर डीडी के जरिये ही स्वीकार करेगा।

इस बारे में हम यह बताना चाहेंगे कि हम माननीय आयोग के इस निर्देश का पालन करते रहे हैं लेकिन हाल में हुई शुल्क बढ़ोतरी के बाद उपर्युक्त आदेश के कारण हमारे जिला कार्यालयों में कम आय वाले उपभोक्ता समूह / ग्रामीण इलाके खासतौर पर नरेला, बवाना, मंगोलपुरी, जहांगीरपुरी वगैरह की ओर से काफी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है। कम आय वाले इन समूहों की मौजूदगी बैंकिंग लेनदेन में नहीं के बराबर है और उनमें से ज्यादातर के पास तो बैंक खाते भी नहीं हैं लेकिन उनका बिल 4,000 रुपये से ज्यादा आया है।

इसके अलावा ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं, जहां ऐसे उपभोक्ताओं से नकद लेकर टीपीडीडीएल के पक्ष में चेक काटे गए हैं, जहां उनसे नकद ली गई रकम कंपनी को चेक के जरिये किए गए भुगतान से ज्यादा है। हम यह भी कहना चाहेंगे कि नकदी के जरिये भुगतान सीमा तय करने का व्यवहार किसी और सेवा क्षेत्र मसलन दूरसंचार में नहीं अपनाया जा रहा है।

जमीनी हकीकत और नकदी में भुगतान स्वीकार नहीं करने पर ऐसे उपभोक्ताओं की ओर से डिफॉल्ट की संभावनाओं को देखते हुए, हम माननीय आयोग से दरखास्त करते हैं कि वह नकदी भुगतान की मौजूदा सीमा की समीक्षा करे और इसे बढ़ाकर कम से कम 10,000 रुपये कर दे, जिससे ग्राहकों को सहूलियत होगी और राजस्व संग्रह या वसूली भी बढ़ेगी।

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर



हम यह भी कहना चाहेंगे नेट बैंकिंग के जरिये भुगतान की सीमा को भी बढ़ाकर 10,000 रुपये से ज्यादा कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इस तरीके का इस्तेमाल हाई एंड उपभोक्ता करते हैं, जो नेट बैंकिंग के इस्तेमाल से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं।

8 – 'विज्ञापनों और होर्डिंग्स' के लिए शुल्क श्रेणी

यह माननीय आयोग की ओर से 13 जुलाई 2012 को जारी उस शुल्क आदेश के संदर्भ में है, जिसमें उसने वित्त वर्ष 2012-13 के लिए 'विज्ञापनों और होर्डिंग्स' की खातिर अलग शुल्क श्रेणी के बारे में कहा था।

इस बारे में हम वित्त वर्ष 2012-13 के लिए जारी शुल्क आदेश के प्रावधान 5.79 की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे; यह निम्नलिखित है :

'इस शुल्क आदेश में आयोग ने विज्ञापनों और होर्डिंग्स में होने वाली बिजली खपत के लिए अलग श्रेणी बनाई है। बाहरी विज्ञापनों, बाहरी होर्डिंग्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स, मॉल, मल्टीप्लेक्सों, थिएटरों, क्लबों, होटलों, बस स्टॉप्स, रेलवे/मेट्रो स्टेशनों पर रोशन होने वाले डिस्प्ले की बिजली खपत को अलग से मीटर किया जाएगा और उन पर 'विज्ञापनों और होर्डिंग्स' श्रेणी के तहत शुल्क लगाया जाएगा। लेकिन नाम और दुकान या व्यावसायिक परिसर के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से लगाए गए डिस्प्ले को इस श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। इन डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल की जा रही बिजली का शुल्क ऐसी दुकानों और व्यावसायिक परिसरों के लिए मौजूदा श्रेणी के तहत वसूला जाएगा।'

इसके अलावा हम माननीय आयोग का ध्यान शुल्क शेड्यूल की ओर भी दिलाना चाहेंगे, जिसमें कहा गया है कि ऐसे विज्ञापनों और होर्डिंग के लिए तय शुल्क 500 रुपये/माह/कनेक्शन होना चाहिए।

हम इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ज्यादातर जगहों पर कई सारे विज्ञापन बोर्ड और होर्डिंग के लिए बिजली की आपूर्ति सिंगल कनेक्शन के जरिये की जा रही है। ऐसे में यह बताना बेहद जरूरी है कि विज्ञापनों और होर्डिंग के कई कनेक्शन 60-80 किलोवाट बिजली की खपत करते हैं और एक ही कनेक्शन के जरिये करीब 35 होर्डिंग को बिजली जाती है। बेहद अच्छा होगा अगर ऐसे मामलों में, जहां लोड 60-80 किलोवाट है, वहां विज्ञापनों और होर्डिंग के लिए तय शुल्क प्रति माह 6-8 रुपये प्रति किलोवाट ही आएगा, जो घरेलू उपभोक्ताओं से लिए जा रहे तय शुल्क से भी कम है।

उपर्युक्त तथ्यों के मददेनजर माननीय आयोग ऐसे कनेक्शनों के लिए प्रति होर्डिंग आधार पर तय शुल्क लगाने की अनुमति दे सकता है।

विव 2012-13 और विव 2013-14 के लिए संशोधित एआरआर

